छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **दशम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021

(फाल्गुन 14, शक सम्वत् 1942)

[अंक 10]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021

(फाल्गुन 14, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण काल है। मैं प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 25 तारांकित प्रश्न को एक समान समझता हूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा। पक्ष और विपक्ष के दोनों साथियों से अनुरोध है कि सदन की गरिमा के अनुसार और स्थायी आदेश का ध्यान रखते हुए मूल प्रश्नकर्ता 2 प्रश्न और अनुपूरक प्रश्नकर्ता 1 प्रश्न तक सीमित रहें तो बेहतर होगा। हम लोग 25 प्रश्न निपटा पायेंगे।

प्रश्न संख्या : 1 XX XX

बेरला वि. खं. के ग्राम पिरदा से गब्दा मार्ग पर पुल निर्माण

2. (*क्र. 1212) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेरला विकासखण्ड के ग्राम पिरदा से गब्दा पहुंच मार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुल की लागत राशि कितनी है? (ख) पुल निर्माण का कार्य किस फर्म के द्वारा किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेरला विकासखण्ड के ग्राम पिरदा से गब्दा पहुंचमार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुल की लागत राशि रु. 15.74 लाख है. (ख) पुल निर्माण का कार्य मेसर्स बी.एल. जैन फर्म, राजनांदगांव के द्वारा किया जा रहा है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था, उसका जवाब आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोड़िया से खंगारपार, खुपरा, गब्दा, पिरदा नहर में क्या लाईनिंग का भी काम चल रहा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, कितने की लागत से नहर की लाईनिंग का कार्य किया जा रहा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोरनाला व्यपवर्तन योजना की नहर की रिमाडलिंग एवं लाईनिंग का कार्य 390 मीटर से 1001, 770 मीटर तक लगभग 6 नग आर.बी., 10 नग इनलेट तथा 12 नग कोलावा सहित..।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मैं लागत पूछ रहा हूं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- 5 करोड़ 55 लाख रुपये।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, पहले तो जब मैंने प्रश्न लगाया, उसके बाद जो पूल की क्वालिटी थी, जो घटिया किस्म का पूल बनवाया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपका अंतिम प्रश्न होगा। आप उस हिसाब से पूछिये, आपको बार-बार मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं माननीय मंत्री जी के एक चीज ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण नहर है और इसमें विभाग के द्वारा स्टीमेट के आधार पर अच्छी क्वालिटी से काम कराया जाना था, वह काम नहीं कराया जा रहा है। चूंकि जब मैंने प्रश्न लगाया, उसके बाद कल विभाग के द्वारा तुरंत पुलिया को तोड़ने का काम आनन-फानन में किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उसमें आप चीफ इंजीनियर लेबल के अधिकारियों से मेरी उपस्थिति मे कार्यों की जांच करायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में आपका प्रश्न था, उसको तो तोड़कर फिर से बना रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप पूरे कार्य की लाईनिंग की जांच करने की बात कहेंगे तो आपकी उपस्थिति में हमारा चीफ इंजीनियर जाकर उसकी जांच कर लेगा।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्या : 3 XX XX

<u>जिला राजनांदगांव में ऑंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती</u>

4. (*क्र. 1629) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगन बाड़ी कार्यकर्त्ताओं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया लंबित है? यदि हां, तो उक्त भर्ती हेतु वित्त विभाग द्वारा क्या निर्देश दिये गये हैं, भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? विकासखण्डवार एवं केन्द्रवार भर्ती एवं पदों की संख्या सहित जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : जी हां, राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया लंबित है. वित्त विभाग द्वारा शासकीय व्यय में मितव्यता एवं वित्तीय अनुशासन के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 88/एफ-2015-04-02-2007/ब-4/चार, दिनांक 27-05-2020 के कंडिका 2.1 में रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार लेख है :—"लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की जाए". "जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, किन्तु नियुक्ति शेष है उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाये. ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग मे में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए." रिक्त पदों की भर्ती के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी कार्यकर्ताओं के भरे एवं रिक्त पदों का विकासखण्डवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखंड का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता		आंगनबाड़ी सहायिका		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
		भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	राजनांदगांव	511	34	496	49	1	0
2.	छुरिया	359	49	347	61	14	0
3.	खैरागढ़	327	18	316	29	4	0
4.	छुईखदान	276	2	273	5	36	0
5.	डोंगरगांव	233	33	225	41	8	0
6.	डोंगरगढ़	274	6	271	9	52	03
7.	मानपुर	244	3	243	4	75	3
8.	मोहला	195	8	187	16	65	1
9.	चौकी	249	17	240	26	46	13
	योग	2668	170	2598	240	301	20

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब स्पेसीफिक आया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग को रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आपने कितने बार पत्र-व्यवहार किया, उस पत्र क्रमांक के बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती के लिए 27-5-2020 को संचालनालय के माध्यम से वित्त विभाग को आवेदन लगाया गया है, उसके पहले भी लगाये गये थे, पर आखिरी आवेदन अभी 27-05-2020 को लगाया गया है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीया मंत्री जी, आपने वित्त विभाग का हवाला दे दिया है, पर आप इस सदन के माध्यम से पीड़ित पक्ष को क्या बोलना चाहेंगी ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रक्रिया तो चल ही रही है, जैसे ही वित्त विभाग का आदेश आयेगा, हम तत्काल कार्यवाही करायेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी सवाल है। क्योंकि यह मामला साल भर से अटका है, यह बहुत गरीब लोगों की भर्ती का मामला है। मैं सोचता हूं कि जिस हिसाब से फिगर आया हुआ है कि एक विकासखंड में इतने पद भरे एवं इतने पद रिक्त हैं, ऐसे छोटे मामले को लेकर आप स्पेसीफिक माननीय माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके विशेष प्रयास करेंगी ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भर्तियां हो जायें । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगी चूंकि वित्त विभाग उनके अंतर्गत है इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे ।

प्रश्न क्रमांक : 05 XX XX

महानदी नहर प्रणाली के ऊपर रेस्ट हाउस निर्माण

6. (*क्र. 1226) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महानदी नहर प्रणाली के ऊपर कितने रेस्ट हाउस हैं? क्या इन सभी रेस्ट हाऊसों में केयर टेकर हैं? (ख) पूर्व निर्मित रेस्ट हाऊसों के अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा नये कितने रेस्ट हाउस कहां-कहां बनाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) महानदी नहर प्रणाली के ऊपर कोई रेस्ट हाऊस निर्मित नहीं है एवं कोई भी केयर टेकर कार्यरत नहीं है. (ख) विभाग के अंतर्गत कोई भी अतिरिक्त नये रेस्ट हाऊस नहीं बनाए जा रहे हैं.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि महानदी नहर प्रणाली के ऊपर कोई रेस्ट हाऊस निर्मित नहीं है व कोई केयर टेकर कार्यरत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं है । माननीय मंत्री जी, रेस्ट हाऊस हो या निरीक्षण गृह हो, बात तो एक ही है, हम बोलचाल की भाषा में निरीक्षण गृह भी बोलते हैं तो कृपया आप यह बतायें कि निरीक्षण गृह कहां-कहां है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या मुझे पूरी लिस्ट पढ़नी है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में सत्तू भैया ने रेस्टहाऊस के बारे में जानकारी चाही थी अब रेस्टहाऊस जैसा शब्द इरीगेशन डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो विभाग ने वैसा उत्तर दिया है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, यह तो व्यावहारिक ज्ञान की बात है । आप इतने अनुभवी मंत्री हैं । जहां आदमी रूकते हैं, जहां लोग जाते हैं वह रेस्टहाऊस है और निरीक्षण गृह में अंतर क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- तो क्या मैं आपको निरीक्षण गृह की लिस्ट बता दूं ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- बतायें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं पूरा पढ़ दूं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, संख्या बता दीजिये और उनके क्षेत्र से संबंधित बता दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमश: लाहोद, रूद्री, कोटबार, बुधनी, कनकी, पलारी, अर्जुनी, नेतरा, सेमराडीह, नारा, मांढर, पंडरभट्ठा, सण्डी, देवरी, भरसेला, कुर्रा, चम्पारन, गौरभाठ, गुधेरा, खोरपा, चन्डी, छाती, गुजरा, दतानखैरा, लच्छनपुर, उडान, मरदा, सकरी, भालुकोना, बिरबिरा, छैरीखेड़ी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, क्या इन स्थानों में केयरटेकर हैं? उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिये वहां कौन देखता है, कौन रहता है ? और जो भी अधिकारी जाते हैं तो क्या विजिटर लिस्ट में हस्ताक्षर करते हैं ? क्या आप उसको बुलाकर देखेंगे कि कोई रूके कि नहीं रूके ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केयरटेकर तो कहीं नहीं हैं क्योंकि लगभग यह सब खाली निरीक्षण अब पहले सड़कें नहीं हुआ करती थीं तो रात रूकते थे, किसानों से मिलते थे । अब तो आजकल आवागमन का साधन है इसलिए लगभग ज्यादातर रेस्टहाउस का, कुटीर का निरीक्षण, कुटीर का कोई उपयोग नहीं होता है उसके बावजूद भी जो व्यक्ति रूकते हैं उसकी जानकारी विभाग को रहती है । वहां रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मेरा मूल प्रश्न यह है कि उसकी देखरेख कौन करता है ? उसकी मरम्मत का काम कौन करता है ? वह इसके अभाव में जर्जर हो रहे हैं । पहले किचन होते थे, क्रॉकरी होती थी, यह सब इसमें कहां है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थिति में क्राकरी होती थी वह कहां है इसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाउंगा लेकिन वहां की देखरेख के लिये यानी हमारे जो मेंटेनेंस के लेबर होते हैं उसके माध्यम से हम लोग कराते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन था कि कई निरीक्षण कुटीर तो जमींदोज हो गए हैं और कुछ नहीं बचा है । धीरे-धीरे गांव वाले लोग कोई पलंग ले गया, कोई खिड़की ले गया, कोई कुछ और सामान ले गया, सब फर्नीचर ले गये लेकिन कम से कम अभी जो बचे हैं, जो साधारण हालत में हैं तो कम से कम ऐसे निरीक्षण कुटीरों को चिन्हित करके उसमें चूंकि कोई बहुत बड़ी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है । मात्र थोड़े बहुत रेनोवेशन की आवश्यकता है और प्रॉपर्टी एरीगेशन की तो कम से कम उसको सुरक्षित करने के लिये अवश्य ही कुछ करेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा सुझाव है । माननीय धनेंद्र भैया बहुत वरिष्ठतम हैं, श्री सत्तू भैया बहुत वरिष्ठतम हैं और उनके सुझाव हैं। जहां-जहां भी ऐसे सुझाव आते हैं, तांदुला के कमाण्ड में कुछ निरीक्षण गृहों की मरम्मत की गयी है । चूंकि भैया ने केवल महानदी का और जो निरीक्षण कुटिया है उसका प्रश्न किया था लेकिन जहां-जहां आवश्यक है और आप भी सुझाव दीजियेगा। हम जानते हैं यह हमारे विभाग की एक बड़ी बहुत वेल्यूएबल प्रॉपर्टी है इसका मेंटेनेंस होना चाहिए लेकिन जहां-जहां सुझाव आते हैं उसके बारे में विभाग विचार करता है । आप भी कोई इस पूरे नेटवर्क में, किसी रेस्टहाऊस के बारे में, किसी कुटीर के बारे में ऐसा सुझाव देंगे तो उसका मेंटेनेंस भी कराया जायेगा और उसका संधारण भी कराया जायेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहर के किनारे में निरीक्षण कुटीर का निर्माण पहले से हुआ है । यह बात सही है कि आपने जिसको रेस्टहाउस बोल दिया वह निरीक्षण कुटीर है लेकिन उसमें रूकने का, बैठने का और प्रशासनिक काम करने की भी एक जगह है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी सी राशि दे देने से अगर ये निरीक्षण कुटीर का निर्माण ठीक से हो जाएगा तो वहां रूकने की भी जरूरत नहीं है । आपके अमीन लोगों के बैठने की जगह नहीं है । नहर में अमीन का बहुत बड़ा रोल है कि कहां पर पानी मिल रहा है, कहां नहीं मिल रहा है । इरीगेशन की जमीन है, नहर में कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है । उससे आपकी व्यवस्था में सुधार होगा, इसलिए न केवल महानदी की लाईन में बल्कि आप कृपा करके एक बार सर्वे तो करा लीजिए । हर विधान सभा क्षेत्र में एक-दो जगह निरीक्षण कुटीर है और उस निरीक्षण कुटीर को अगर बना देंगे तो न केवल मंत्री कभी गए तो उनके हाथ-पैर धोने की जगह होगी, अधिकारी गए तो उनके रूकने की जगह होगी, अन्यथा अमीन तो वहां रहेगा ही और अमीन वहां गरीब लोगों से, गांव के लोगों से मिलजुल लेगा । थोड़े से पैसे की जरूरत है इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, धर्मजीत भइया ने कहा ना कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक-दो कुटीर होंगे । लगभग हर विधान सभा में नहीं है । ये ऐसी योजनाएं हैं जैसे आपके यहां खुड़िया है, बिलासपुर में खूंटाघाट है, महानदी का पूरा सिस्टम है, तांदुला का जो आजादी के पहले अंग्रेजों ने बनवाया था । उसमें ज्यादातर निरीक्षण कुटीर है । अभी की जो योजनाएं बनी हैं उसमें तो थोड़ा-थोड़ा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रेस्ट हाऊसेस हैं, इसमें भी लखौली में जो है, उसे तो पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया है । उसके द्वारा उसका मेंटेनेन्स किया जाता है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उसे वापस कर दिया गया है , आपके अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी कहां-कहां है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अगर वापस कर दिया गया होगा तो मैं उसको दुरूस्त करवा लूंगा । लेकिन अभी जो लखौली की जानकारी दी गई है, लखौली के रेस्ट हाऊस को पर्यटन विभाग को ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

<u>प्रधानमंत्री एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभान्वित किसान</u>

7. (*क्र. 1446) श्री अरूण वोरा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया है? जिलेवार जानकारी देवें? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है? कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया है? (ख) दुर्ग जिले में उक्त अवधि में कितने किसानों की बेमौसम बारिश से फसलों की नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु विभाग को आवेदन प्राप्त हुए हैं? इन आवेदनों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) फसल बीमा योजनाओं में बीमा राशि प्रति हेक्टेयर में निर्धारित की जाती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 2019-20 एवं 2020-21 फसल मौसमवार बीमित कृषकों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 तथा जिलेवार, फसलवार प्रति हेक्टेयर फसल बीमा की राशि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में है. योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2019 में 5,09,212 एवं रबी वर्ष 2019-20 में 1,48,451 कृषकों को बीमा लाभ प्राप्त हुआ है, मौसम खरीफ वर्ष 2020 में दावा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं मौसम रबी वर्ष 2020-21 में फसल कटाई उपरांत दावा गणना तथा भुगतान किया जाता है. प्रश्नाधीन अवधि में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत बीमित कृषकों तथा बीमा दावा से लाभान्वित कृषकों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 तथा जिलेवार, फसलवार प्रति हेक्टेयर फसल बीमा की राशि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 में है. योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में दावा भुगतान हेतु पात्र 23675 कृषकों को बीमा दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है. वर्ष 2020-21 में अधिसूचित उद्यानिकी फसलों में से टमाटर फसल की आवरण अवधि 31-12-2020 को समाप्त हो चुकी है बीमा दावा राशि के गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है, अन्य सभी फसलों की आवरण अवधि के समाप्ति उपरांत बीमा दावा राशि की गणना कर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नियमानुसार भुगतान किया जाता है. (ख) प्रश्नांश क की अवधि में जिला दुर्ग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश से फसल को होने वाले नुकसान हेतु बीमा कंपनी को खरीफ वर्ष 2019 में 88 आवेदन प्राप्त हुये है जिसमें से 42 पात्र बीमित कृषकों को दावा राशि 2.46 लाख रुपये प्रदाय की गई है. रबी वर्ष 2019-20 एवं खरीफ वर्ष 2020 में कृषकों का आवेदन प्राप्त नहीं हुये है. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत 9 किसानों से बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संबंधी आवेदन प्राप्त हुए है. इनमें से 3 कृषकों द्वारा केला फसल एवं 2 कृषक द्वारा टमाटर फसल इस तरह कुल 5 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया था. योजनांतर्गत केला फसल में बेमौसम वर्षा से क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के फलस्वरूप केवल टमाटर फसल पर क्षतिपूर्ति राशि रुपये 56305 का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित कृषकों को किया गया है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना में प्रति हेक्टेयर कितना प्रीमियम लिया जाता है और दूसरा प्रश्न उद्यानिकी फसलों में कौन कौन सी फसलों का बीमा होता है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह तो बड़ा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना की पूरी सूची मैं आपको उपलबध करवा दूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, मौसम आधारित फसल में आपका जिला सबसे ज्यादा आता है, पिछली बार भी केला, पपीता, टमाटर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था । कितनी फसलों का बीमा होता है, क्योंकि बहुत से किसानों का नुकसान होता है तो कोई निर्धारण है क्या कि इसी फसल का बीमा होगा, बाकी का नहीं होगा क्योंकि किसान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, नुकसान होता है । सबसे ज्यादा आपके जिले का है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सौभाग्य है कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा फसल होती है, फर्टाइल जिला है तो जिन फसलों का होता किसान उसका लाभ प्राप्त करता है, किसी अन्य फसल के बारे में आपका सुझाव हो तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है ।

<u>खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन ऑंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था</u>

8. (*क्र. 1606) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी ऑंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? कितने केन्द्र का संचालन निजी भवनों में किया जा रहा है? विकासखण्डवार बतावें? (ख)ऑंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किस-किस मद द्वारा की गयी है? पूर्ण-अपूर्ण निर्माण कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी देवें?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में 496 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 30 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है. 27 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 05 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन (किराये के) निजी भवनों में किया जा रहा है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाही थी कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं । जिसमें जानकारी मिली है कि अंबागढ़ चौकी में 11, छुरिया-1 में 9 और छुरिया-2 में 7, कुल 27 केन्द्र भवनविहीन हैं । आदरणीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि ये भवन कब तक बन जाएंगे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बताना संभव नहीं है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे प्रभारी मंत्री जी भी उपस्थित हैं । 2017-18 के भवन अभी तक नहीं बने हैं । एक आंगनबाड़ी का भवन चार सालों तक पूर्ण नहीं हो पा रहा है । इसे बच्चों के शिक्षा का मंदिर माना जाता है । चार साल तक एक भवन नहीं बन पा रहा है तो यह दुर्भाग्य की बात है । इसलिए मैं बोलना चाहती हूं कि उसमें कुछ राशि महिला एवं बाल विकास विभाग की लगती है, कुछ राशि डी.एम.एफ. की लगती है और कुछ राशि मनरेगा से लगती है । मैं यह कहना चाहती हूं कि भवन की पूरी राशि एक ही विभाग से लगनी चाहिए ताकि भवन 6 महीने में पूरा हो जाए, मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, शुरू से ही पंचायत इसकी एजेंसी है। मनरेगा के अभिसरण और विभाग के अभिसरण से ही बनता है । यह नियम में ही है, यदि केन्द्र सरकार से ऐसा कोई निर्देश आ जाए, हमने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है कि आंगनबाड़ी भवन के लिए अलग से राशि स्वीकृत की जाए । राज्य शासन को भी और केन्द्र शासन को भी । राज्य शासन का तो क्षेत्र के लिए मांग किये हैं और हमेशा से केन्द्र शासन से और राज्य शासन, उसमें 60/40 की राशि दोनों से होने के कारण और मनरेगा के अभिसरण के कारण बनता है तो ज्यादातर ऐसे आंगनबाड़ी भवन हैं, वे अपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। धनेन्द्र साहू जी।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- धन्यवाद।

<u>राजिम एनीकट के ऊपरी हिस्से में जमा सिल्ट के संबंध में</u>

9. (*क्र. 1249) श्री धनेन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि राजिम एनीकट के ऊपरी हिस्से में कुलेश्वर मंदिर तक पैरी नदी एवं महानदी में कुंभ मेला हेतु हर साल अस्थायी सड़क मार्ग मिट्टी, मुरूम से बनाने के कारण काफी बड़े पैमाने पर सिल्ट जमा हो गया है? (ख) यदि हां, तो क्या नदी में जमा हो चुके इस सिल्ट को बाहर निकाल फेंकने के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कार्य कराया जाएगा जिससे लोगों को नदी में निस्तारी करने हेतु पानी की गंदगी से मुक्ति मिल सके? (ग) यदि हां, तो नदी में जमा सिल्ट को निकालने का काम कब किया जावेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राजिम एनीकट के ऊपरी हिस्से में कुलेश्वर मंदिर तक पैरी नदी एवं महानदी में कुंभ मेला हेतु हर साल अस्थायी सड़क मार्ग मिट्टी, मुरूम से बनाने को काफी बड़े पैमाने पर सिल्ट जमा होने का कारण मानना उचित नहीं है. राजिम में महानदी पर एनीकट का निर्माण किया गया है. जिसके जलद्वार मानसून/बाढ़ अवधि में खोलकर रखे जाते हैं जिससे एनीकट के ऊपरी भाग में जमा मुरूम/मलबा आदि बह जाता है. आवश्यकतानुसार बहाव कम होने पर गेट बंद भी किये जाते हैं. फिर भी एनीकट संरचना का निर्माण नदी के बहाव में एक अवरोध है, नदी में बाढ़ के दौरान रेत/सिल्ट/मिट्टी आदि बहकर आती है तथा बहाव में अवरोध आने पर एवं बहाव में कमी होने पर यह रेत/सिल्ट जमा हो जाती है, जो कि एक प्राकृतिक तथा सतत् प्रक्रिया है. (ख) नदी में जमा हो चुकी सिल्ट (रेत) को बाहर निकालने हेतु अनुमति दिया जाना कलेक्टर (खनिज शाखा)/खनिज साधन विभाग के कार्य क्षेत्र अंतर्गत आता है. अतः इस विभाग द्वारा तत्संबंध में जानकारी नहीं दी जा सकती है. गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. (ग) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे इस प्रश्न पर पूर्व में ध्यानाकर्षण में भी काफी चर्चा हो चुकी थी, इसलिए और ज्यादा तो प्रश्न नहीं बनते।

अध्यक्ष महोदय :- एक समापन प्रश्न कर लीजिए।

श्री धनेन्द्र साहू :- लेकिन फिर भी इस प्रश्न में जो उत्तर दिये गये हैं, उसी के आधार पर ही मैं पूछना चाहूंगा कि दरअसल में जितने गेट बने हैं, वे सब मैनुअल ऑपरेशन गेट होते हैं और गेट खुलता नहीं है। बारिश में मुश्किल से लेवल मेंटेन करने के लिए 2-4 गेट खोल देते हैं। मूल कारण यह है कि सिल्ट निकल भी जायेगा तो नये सिल्ट तेजी से होते जाते हैं। यदि जितने मैनुअल गेट हैं, यदि वह मशीन ऑपरेटेड गेट हो जाये तो आसानी हो जाये तो लोग बारिश में उसे खोल सकेंगे। दूसरा, आपने उस समय भी जो जानकारी दी थी कि उसमें रेत को निकालने में एन.जी.टी. की परमीशन की आवश्यकता होगी। तो जितने भी हमारे जल संसाधन विभाग के बांध हैं चाहे बांध हो, बैराज हो, एनीकट हो, उसकी एक निश्चित सीमा होगी जो एन.जी.टी. से फ्री होगा। आपका जितना डुबान क्षेत्र आते हैं, जितना कार्य क्षेत्र, उसमें मैं समझता हूं कि एन.जी.टी. की परमीशन की आवश्यकता नहीं। आप सीधा आदेश दे सकेंगे। मैं ऐसा निवेदन कर रहा था।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पिछली बार आदरणीय धनेन्द्र भैय्या का जो कॉल अटेंशन था, उसमें काफी चर्चा हुई थी। धनेन्द्र भैय्या, मैंने एन.जी.टी. की परमीशन की बात नहीं कही। एन.जी.टी. की गाइडलाइन के आधार पर चूंकि यह रेत निकालने का काम, डीसिल्टिंग करने का आपने जैसा प्रश्न किया

था तो यह जिला कलेक्टर को भी और माइनिंग डिपार्टमेंट को विभाग ने पत्र लिखा है, फिर से हम लोग इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैनुअल आपरेशन गेट का प्रश्न है, यह तो अधिकांश जगहों में जो पुराने सिस्टम लगे हुए हैं, वह तो हैं। किन्तु हम लोग इसमें थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जहां कॉस्ट जो है, ऐसा न हो कि मैनुअल ऑपरेटेड गेट के बजाय मशीन से ऑपरेशन करने वाले अगर गेट लगायेंगे तो जितना एनीकट बनाने का कॉस्ट है, उससे कहीं कोई ज्यादा लग जाये। तो इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका सुझाव उचित है। विभाग इसमें कार्यवाही करेगा।

अध्यक्ष महोदय :- अमितेश शुक्ला जी।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राजिम के एनीकट में कुलेश्वर मंदिर में बहुत ज्यादा सिल्ट जमा है और क्यों हुई? किसकी गलती हुई? उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। सिर्फ मंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि उसमें एक बहुत अत्याधुनिक मशीनरी आ गयी हैं, जिससे बहुत जल्दी और अच्छी तरह से सिल्ट साफ हो सकती है। तो उसके ऊपर अगर विचार करें। मेरा आग्रह है कि उस पर जल्दी-जल्दी कुछ विचार करे और अगर वह मशीन है तो उसे लेकर साफ करवाने का क्या प्रयास होगा क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब राजिम के चित्रोत्पला महानदी के रेत के संदर्भ में आदरणीय अमितेश जी ने प्रश्न किया। श्याम भैय्या के जमाने के उनका जुड़ाव है। मैं आपको इस प्रश्न के लिए बधाई भी देता हूं और जैसा आपने सुझाव दिया हम इसके लिए विभाग को निर्देश करेंगे कि अगर उसका यूज किया जा सके तो बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय :- संतराम नेताम ।

प्रश्न संख्या 10 : XX XX

<u>जिला जांजगीर चाम्पा में डेयरी हेतु किसानों को प्रदत्त अनुदान</u>

11. (*क्र. 900) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में कितने किसानों को वर्ष 2019-20 में डेयरी हेतु अनुदान दिया गया है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) कितने किसानों को अनुदान प्राप्त हो चुका है? विकासखण्डवार बतायें? (ग) कितने किसानों को भुगतान करना शेष है? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला जांजगीर चाम्पा में 52 किसानों को वर्ष 2019-20 में डेयरी इकाई स्थापना हेतु अनुदान दिया गया है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	डेयरी इकाई स्थापना हेतु अनुदान प्रदत्त किसानों की संख्या (3)
1.	बम्हनीडीह	10
2.	बलौदा	8
3.	मालखरौदा	3
4.	पामगढ़	6
5.	सक्ती	4
6.	डभरा	4
7.	जैजैपुर	0
8.	नवागढ़	14
9.	अकलतरा	3
	योग	52

(ख) वर्ष 2016-17 से अद्‌यतन 153 किसानों को अनुदान प्राप्त हो चुका है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	डेयरी इकाई स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त किसानों की संख्या (3)
1.	बम्हनीडीह	19
2.	बलौदा	19
3.	मालखरौदा	9
4.	पामगढ़	16
5.	सक्ती	12
6.	डभरा	13
7.	जैजैपुर	03
8.	नवागढ़	40

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

9.	अकलतरा	22
	योग	153

(ग) अद्यतन 65 किसानों को भुगतान करना शेष है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	अनुदान भुगतान शेष किसानों की संख्या (3)
1.	बम्हनीडीह	7
2.	बलौदा	10
3.	मालखरौदा	7
4.	पामगढ़	8
5.	सक्ती	8
6.	डभरा	7
7.	जैजैपुर	2
8.	नवागढ़	13
9.	अकलतरा	3
	योग	65

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेयरी का अनुदान विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया है या जारी है? दूसरी चीज, आपने बताया है कि 65 किसानों के भुगतान करना शेष है। यह भुगतान कब तक कर देंगे? आपने 65 किसानों की संख्या बतायी है। इनकी राशि कितनी है?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, वैसे तो चार्ट में लगभग किसानों की संख्या स्पष्ट है और दूसरा, आपने योजना के बारे में जो जानकारी चाही है, पहले यह योजना लगभग वर्ष 2016-17 में प्रभावशील डेयरी उद्यमिता की जो योजना थी, उसमें 15 दुधारू पशुओं के साथ पशु आवास, जल व्यवस्था और अधिकतम 12 लाख रूपया तक का यह योजना है, लेकिन इसको चेंज करके आपने पूछा कि क्या यह योजना संचालित है ? बदले हुए स्वरूप में 5 अगस्त, 2019 से राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना में यह अब डेयरी उद्यमिता विकास यथासंशोधित 2019 जिसमें दो पशुओं की ईकाई लागत रूपए जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

टोटल एमाउन्ट 1.40 लाख है, उस पर यह योजना प्रचलित है । इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अलग-अलग अनुदान प्रावधानित है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि जो राशि अनुदान के लिए शेष है, वह राशि कितनी है और कब तक भुगतान कर देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा में 65 हितग्राहियों को 68 लाख, 78 हजार अनुदान प्रदाय किया जाना शेष है । आदरणीय चंद्रा जी, बात यह है कि जो टारगेट था, उससे ज्यादा स्वीकृति कर दी गई थी तो जितना अनुदान था, वह तो दे दिया गया । उसके अतिरिक्त की जो राशि है, वह अभी भी किसानों को देय शेष है । हम लोगों ने इस साल के बजट में इसमें कुछ अधिक राशि का प्रावधान किया है । हम उम्मीद करते हैं कि आपके जिले का जो अनुदान शेष है, इस साल लगभग सभी किसानों को वह अनुदान मिल जाएगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने 2016-17 की योजना बतायी, जिसमें 15 पशु पर 12 लाख रूपए और उसमें 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है । मेरे जिले में बहुत सारे लोगों का प्रकरण लटका हुआ है, उनका अनुदान नहीं मिला हैं । हितग्राहियों ने बैंक से फायनेंस कराकरा डेयरी लगा लिया है। मैं विभाग में व्यक्तिगत रूप से गया था, उनका कहना है कि योजना बंद हो गई इसलिए अनुदान नहीं मिल पा रहा है । माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार से अनुदान मिलेगा, यह सोचकर किसानों ने खर्च कर लिया और उसकी क्षमता से बाहर खर्च किया हैं तो ऐसे प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको अनुदान दिलवाएंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कमिट कर रहा हूं। आपके यहां 65 हितग्राहियों का 68 लाख रूपया शेष है, वह इस वित्तीय वर्ष में सरकार देगी, यह मैं कह रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि लोग डेयरी का उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन आपके विभाग से उनको कोई वित्तीय मदद नहीं मिल पा रही है । कोटा भी नहीं है, उनको फायनेंस की सुविधा या अनुदान की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है । हम लोग परेशान हैं, कई बार हम अधिकारियों से मिलते हैं । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा राशि किसानों को डेयरी खोलने के लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि दुग्ध उद्योग चल सके। आपका ध्यान एक बात की ओर और आकृष्ट करना चाहता हूं कि दूध का दाम भी दो रूपये किलो कम कर दिया गया है । उससे भी किसान परेशान हैं । आप उस पर भी विचार करेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण

12. (*क्र. 19) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 के मध्य कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन निर्मित हो गये हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) जनवरी, 2021 की स्थिति में कितने बच्चे कुपोषित थे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) प्रदेश में जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के मध्य 1169 आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन निर्मित हुए है. विकासखण्डवार जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह जनवरी 2021 के अनुसार 3,26,344 बच्चे कुपोषण की श्रेणी में चिन्हांकित किये गये है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच कुल 1169 आंगनबाड़ी केन्द्रों पूर्ण हुए हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे रायपुर जिले में इस अवधि में एक भी आंगनबाड़ी भवन पूर्ण नहीं हुआ है क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर जिले में संचालित 1866 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1333 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में हैं और 32 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवन में, 71 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवनों में है और 430 आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के भवन में संचालित है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूं ।

शासकीय नर्सरी क्षेत्र गिरोला बकावंड को डी.आर.डी.ओ. को हस्तांतरित करने संबंधी

13. (*क्र. 1575) श्री बघेल लखेश्वर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय नर्सरी क्षेत्र, गिरोला बकावंड के भू-क्षेत्र को कब एवं कौन-कौन सी तय शर्तों के साथ डी.आर.डी.ओ., गिरोला बकावंड को सौंपी गई? (ख) क्या नर्सरी क्षेत्र की भूमि डी.आर.डी.ओ. को सौंपे जाने के बाद अन्य स्थान पर नर्सरी की स्थापना किया जाना था? यदि हां, तो अद्यतन स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) शासकीय नर्सरी क्षेत्र, गिरोला बकावंड के भू-क्षेत्र को मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक 6-5/सात/स-2 बी/92 भोपाल दिनांक 22-04-1993 में तय शर्तों के अनुसार डी.आर.डी.ओ., गिरोला बकावंड को सौंपी गई है. शर्तों का विवरण ††[2] संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर है. (ख) जी हां, नर्सरी क्षेत्र की भूमि डी.आर.डी.ओ. को सौंपे जाने के बाद अन्य स्थान

---
[1] परिशिष्ट "पांच"

[2] परिशिष्ट "छ:"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग्राम-बड़ेउमरगांव (विकासखंड-बकावंड) में नर्सरी की स्थापना हेतु भूमि का सीमांकन किया गया है. भूमि हस्तांतरण कार्य कलेक्टर, जिला बस्तर (जगदलपुर) को स्तर पर प्रक्रियाधीन है.

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 27-28 वर्ष पहले का मामला है और अभी प्रक्रियाधीन है, ऐसा उत्तर मुझे मिला है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह मामला 27-28 वर्षों के बाद प्रक्रियाधीन है । इस जमीन का कब तक हस्तांतरण हो जायेगा और नर्सरी स्थापना करने के लिये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है ना ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इसमें तो विभाग को धन्यवाद देना ही चाहिए। वर्ष 1992 का मसला है और सामान्य उत्तर आ रहा है..।

अध्यक्ष महोदय :- वे बताने में शर्मा गये 27, 28 साल। आप बता दीजिए कि यह मामला कब का है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने बताया ना। यह मामला वर्ष 1992-93 का है। लेकिन माननीय लखेश्वर भैया ने प्रश्न किया है, वह डी.आर.डी.ओ. को जो जमीन दी गयी, उसके बदले में बड़ेउमर गांव में खसरा नंबर 517 रकबा 10.32 हेक्टेयर जमीन का सीमांकन कर लिया गया है। इसके बाद उसमें सबमिशन ऑफ ऑन एग्रो फारेस्ट्री के अंतर्गत फेंसिंग का कार्य हो चुका है। उसके लिये 40 लाख रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। उसमें से 34 लाख रूपया विभाग को दिया जा चुका है जिसमें से 25 लाख रूपया खर्च किया जा चुका है। नर्सरी लगने का काम भी शुरू हो गया है। वहां कर्मचारियों की पदस्थापना भी हो गयी है। नर्सरी का काम तो शुरू हो गया है, लैंड ट्रांसफर का काम कलेक्टर के पास थोड़ा लंबित है और एडवांस पजेशन हो गया है, वह भी हो जायेगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- चलिये धन्यवाद।

<u>मछली चारा यूनिट की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुदान</u>

14. (*क्र. 1181) श्री अनूप नाग : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कोण्डागांव, धमतरी एवं कांकेर अंतर्गत मछली चारा यूनिट (चारा बनाने) की कोई योजना संचालित है? अगर हां, तो कब से? क्या किसी मछुआ समिति या संस्था को यूनिट स्थापना के लिए अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितने यूनिटों को शामिल किया गया? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार शामिल किये गये यूनिटों के नाम, समिति के नाम, अनुदान राशि का ब्यौरा दें? अगर यूनिट बंद है, तो इसके क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश "क" अनुसार मछली चारा यूनिट योजना के संचालन में कोई शिकायत हुई या विभाग के संज्ञान में आयी थी? यदि हां, तो शिकायत में किसे दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला कोण्डागांव :—मछली चारा यूनिट निर्माण के लिए विभाग में नीलक्रांति योजना है. जो 2016-17 से संचालित है. वर्ष 2017-18 से 27-11-2020 तक जिला कोण्डागांव में LWE(SCA) योजनांतर्गत मिनी मत्स्य चारा उत्पादन कार्य हेतु अनुदान दिया गया है. चारा निर्माण हेतु वर्ष 2019-20 में एक मछुआ समूह को शामिल किया गया है. जिला धमतरी :—जिला धमतरी में वर्तमान में मछली चारा यूनिट स्थापित नहीं है. जिला कांकेर :—अंतर्गत मछली चारा यूनिट (चारा बनाने) के लिए विभाग में मत्स्य आहार संयंत्र की स्थापना पर अनुदान की योजना संचालित है. उक्त योजना वर्ष 2016-17 से संचालित है. मछली चारा यूनिट (चारा बनाने) की स्थापना के लिए वर्ष 2017-18 से 27-11-2020 तक परलकोट मछुआ कल्याण समिति, शुभापल्ली पंखाजूर को अनुदान राशि दी गई है. संबंधित मछुआ समिति को वर्ष 2017-18 में एक मछली चारा यूनिट हेतु शामिल किया गया है. (ख) जिला कोण्डागांव :—यूनिट का नाम मिनी मत्स्य फीड मिल समूह का नारा श्री गणेश मत्स्य आहार उत्पादन समूह कोण्डागांव. अनुदान राशि रु. 17.968 लाख. यूनिट स्थापना कार्य प्रगति पर है. जिला धमतरी :—निरंक. जिला कांकेर :—परलकोट मछुआ कल्याण समिति, शुभापल्ली पखांजूर अनुदान राशि रु. 50.00 लाख. यूनिट स्थापना का कार्य प्रगति पर है.(ग) जिला कोण्डागांव :—कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. जिला धमतरी :—कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. जिला कांकेर :— मछली चारा यूनिट योजना संचालन में शिकायत संज्ञान में आई है, शिकायत निराधार है. वर्तमान में नवीन समिति गठन कर निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ किया जा रहा है.

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों का जवाब मंत्री महोदय से प्राप्त हो गया है। मगर आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित चाहूंगा। 50 लाख रूपये मछली पालन के जो बीज यूनिट बनते हैं, उनके लिये वहां की समिति को अनुदान में दिया गया है। मगर मैंने वहां जाकर अवलोकन किया है, पूरी जानकारी ली है, 50 लाख रूपये में सिर्फ शेड का निर्माण किया गया है, वह भी 4 साल के बाद किया है। वर्ष 2016 से चालू है, 4 साल हो गये हैं और एक शेड का निर्माण हुआ है। वहां किसी भी प्रकार का मछली शेड का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

श्री अमितेश शुक्ल :- यह पूर्व शासन था उस समय से चालू हुआ था क्या ?

श्री अनूप नाग :- जी।

श्री अनूप नाग :- मैं चाह रहा हूं कि...।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रश्न थोड़ा समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाह रहे हैं, जांच चाह रहे हैं।

श्री अनूप नाग :- सर, जांच चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे परलकोड क्षेत्र में मछली का धंधा व्यवसाय बहुत जोरों से फर्जीवाड़ा चलती है। इसमें पहले और भी मेरा कल परसों सवाल लगा था जिसमें धरातल में कोई तालाब नहीं है। मछली पालन का व्यवसाय भी नहीं हो रहा है। मगर लाखों-लाख रूपये उसमें सेंशन होकर चला गया। इसी तरीके से यह 50 लाख रूपये सेंशन हुआ है। कहीं ऐसा न हो जाये कि यह भी ..।

अध्यक्ष महोदय :- मछली कहां से आते हैं और जाते कहां हैं ?

श्री अनूप नाग :- सर, जांच बस चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जो मछली बता रहे हो, तालाब ही नहीं है, मगर मछली आती है, मछली जाती है, आपको आने जाने का कुछ रास्ता पता है ? (हंसी) मंत्री जी, चलिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने उसमें दो बातें कही हैं। वहां मछली का धंधा प्रचुर होता है, ऐसा आपने कहा। उसमें आना जाना भी होता है, आपने दूसरे शब्दों में कहा भ्रष्टाचार होता है। वह भी प्रचुर होता है। जहां जितना काम होगा वहां उतना...आप समझ तो रहे हो। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, वर्ष 2017-18 का मामला है। परलकोड की जिस समिति की आपने बात की, निश्चित रूप से उसको कार्य संपादित होने में तीन साल का विलंब हुआ है। लेकिन जो विभाग को उत्तर प्राप्त हुआ है, उसके पूर्व अध्यक्ष सुभाष सिंह की मृत्यु होने के कारण संचालन संबंधित कार्य प्रभावित हो गया। यह केन्द्र सरकार की योजना है, नील क्रांति के तहत दिया जा रहा है। उसका जो डिजाईन होगा, उसका जो इस्टीमेट होगा, उसी के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। उसको एक करोड़ का अनुदान मिलना है। अभी 50 लाख रूपये एडवांश में दिया गया है। अगर आप कहेंगे तो जिस तरीके से उनका काम क्रमश: चलेगा, उसके बाद ही उनको अनुदान मिलना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई शिकायत है तो मैं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि जो प्रापर काम होना है, उसके बाद ही उसमें अनुदान जारी हो, अन्यथा अनुदान को रोक दिया जाये।

श्री अनूप नाग :- जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मिस्टर नाग, आप तो पुलिस अधिकारी थे ना।

श्री अनूप नाग :- जी

अध्यक्ष महोदय :- विधायक बनने से पहले आप पुलिस अधिकारी थे।

श्री अनूप नाग :- जी सर।

अध्यक्ष महोदय :- फिर आपकी नजर से कैसे चूक हो रही है। (हंसी)

<u>**चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित ग्राम पंचायत**</u>

15. (*क्र. 1494) श्री रामकुमार यादव : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चांपा के चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कौन से ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया तथा कौन-कौन से ग्राम पंचायत शेष है? (ख) बचे हुए ग्राम पंचायतों को कब तक जोड़ा जावेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत निर्माणाधीन केलो परियोजना में जिला-जांजगीर-चांपा के चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 04 ग्राम पंचायत क्रमशः बालपुर, कलमा, चंदली तथा पलसदा सम्मिलित है. शेष ग्राम पंचायत केलो परियोजना की परिधि के अंतर्गत नही आती है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री रामकुमार यादव :- मैं माननीय मंत्री जी से पूछे रेहेव कि मोर क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मे कै ठन गांव ला सिंचाई होथे, कै ठन योजना जुड़े हे। माननीय मंत्री जी जवाब दे हे, लेकिन मै आपके माध्यम से मंत्री जी ला कहना चाहथौं कि मोर क्षेत्र हा अंतिम छोर मा हे अंतिम छोर मा हे, आप जानथव। कोरबा से पानी आथे, सक्ती से थोकन नहाकते तहां मोर इहा दुच्छा पड़ जाथे, रायगढ़ ले केलो से पानी आथे अउ मोर क्षेत्र हा सुख्खा हे। तो मैं येही कहना चाहत हव येखर माध्यम से पहली जो योजना निकलिस ओखर मोर इहा लाभ नहीं मिले हे, एखर जांच कराईहा का ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब सक्ती से पानी काब पार नइ होय, एखर उत्तर आप समझ सकत हव।

अध्यक्ष महोदय :- पहले से नहीं होता था।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन आदरणीय रामकुमार यादव जी किसान मन के चिंता करत हे। हसदेव के पानी टेल एरिया तक कैसे जाही, ओमा का अड़चन हे, तै बता देबे, ओमा हमन कार्रवाई करबो, यह एक बात। अब तै हा ये प्रश्न लगाय हस केलो के लास्ट कमाण्ड के जो सिस्टम हे, येमा जो काडा के काम करे जात हे, तेखर सन्दर्भ मा तोर प्रश्न रहिस हे। येमा तै का चीज के जांच चाहत हस ?

श्री रामकुमार यादव :- येमा जो काम होय हे, येमा अउ गांव ला जोड़ना चाहत हव।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी पूरा काम नहीं होय हे। काम प्रक्रियाधीन हे, कहके उत्तर आय हे।

श्री रामकुमार यादव :- हव, प्रक्रियाधीन हे। लेकिन मैं चाहत हव कि 2-4 ठीन गांव अउ जुड़ जाय।

अध्यक्ष महोदय :- मतलब केलो परियोजना की नाली वहां तक जाती है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- इस तरफ नदी के दोनों बैंक है। नदी के उस तरफ केलो से इरीगेशन होगा, उसी के लिए योजना है और उसी के लिए प्रश्न है। आपके राइट बैंक की तरफ इरीगेशन होना है। लेकिन आदरणीय रामकुमार भैय्या ने प्रश्न किया है, वह केलो के लास्ट कमाण्ड एरिया का प्रश्न है। उत्तर में आया है कि वह प्रक्रियाधीन है। अभी उसमें काम प्रारंभ होना है। उसके बावजूद भी आप कहेंगे कोई गांव जोड़ा जा सकता है, अगर कमाण्ड में वह फिजिबल होगा तो। अगर कमाण्ड में आया ही नहीं और सिंचाई नहीं होही तो तै कैसे कर डारबे ? कौन-कौन गांव ला जोड़वाना हे, येमा तै का चाहत हस बता देबे। मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपन विभाग के कोई उच्च अधिकारी ला आपके पास भेज देहूं, ओ मन ला तै निर्देश दे देबे कि ओमा का काम होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, कोन सा काम जड़ सकत हे अउ कहां सिंचाई के विस्तार हो सकथे। तो सुझाव मा काम करे बर शासन सजग हे।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न। चूंकि महानदी हा मोरे क्षेत्र मा आथे, लेकिन महानदी का पानी रायगढ़ के बड़े-बड़े फैक्ट्री मा जाथे और मोरे क्षेत्र ले बुलक के जाथे, तरी मा पानी भागथे और उधर किसान हा मरत रहथे।

अध्यक्ष महोदय :- उड़ीसा तक जाथे।

श्री रामकुमार यादव :- तो मोर ये कहना हे कि महानदी के पानी ला लिफ्ट एरीगेशन योजना बना के मोरे क्षेत्र ला पानी दे देथा। बाड़ मा हमन बूड़थन अउ पानी ला अन्ते बड़े-बड़े फैक्ट्री मन पाथे। तो ओखरे बर एक ठन योजना बना के पानी दे देथा, सबो ले आखिरी हे। केलो के घलो आखिरी हे, कोरबा से घलो आखिरी हे, रायगढ़ ले घलो आखिरी हे। ओखरी निवेदन करत हव। मंत्री जी, तुंहर हाथ जोड़त हव, ऐला कर देवा मालिक।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार के बजट में मेगा लिफ्ट एरीगेशन के लिए बजट का प्रावधान किया है। लेकिन माननीय राम कुमार यादव जी कोन मेर के ला कहत हे। नीचे ले पानी बुलक के उद्योग मन ला चल देथे कहत हस तेला, मैं ओखर उत्तर ला कैसे दव, बता न। पूरा महानदी में जितना एनीकट बने हे, ओखर पानी तो ओखरे मन बर बने हे, विधानसभा में ऐसनहे उत्तर आय रहिस हे कि ओमा किसान ला पानी नहीं मिलय। पर इहां मैं हा राजनीतिक बात नहीं कहने वाला हव। कोन बनाय हे तेला तै हा जानत हस।

श्री रामकुमार यादव :- जानत हव।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन तै जो लिफ्ट एरीगेशन के बात कहत हस, तै सुझाव दे देबे, ओला शामिल कर लेबो।

श्री रामकुमार यादव :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

<u>बिलासपुर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भवन की स्वीकृति</u>

16. (*क्र. 1527) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई? (ख) भवन निर्माण कब पूर्ण हुआ और उसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई? (ग) क्या उस निर्मित भवन में संस्थान संचालित है? यदि नहीं, तो उस भवन में संस्थान स्थानांतरित नहीं करने के लिए दोषी अधिकारी कौन है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क)बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिये प्रशासकीय भवन निर्माण की वर्ष 2005-2006 एवं हॉस्टल एवं कर्मचारी आवास भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2012-2013 में प्रदान की गई. (ख) संस्थान के प्रशासकीय भवन, हॉस्टल एवं कर्मचारी आवास भवन में आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण संचालन की दृष्टिकोण से भवन अपूर्ण है. निर्माण एजेन्सी द्वारा संस्थान के प्रशासकीय भवन निर्माण पर राशि 64.33 लाख रुपये एवं हॉस्टल एवं कमचारी आवास भवन निर्माण पर राशि 111.28 लाख रुपये व्यय होने की जानकारी दी गई है. (ग) जी नहीं. चूंकि भवन निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण हस्तांतरण नहीं हुआ है, अतः क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थानांतरित नहीं होने के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है.

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान निर्माण के बारे में माननीय मंत्री महोदया से जानकारी चाहा था। इसमें मंत्री जी का जवाब आया है कि आवश्यक मूलभूत सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण, इन तीनों के अन्तर्गत कौन-कौन सी व्यवस्था अभी इस भवन में नहीं हो पाया है?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। काफी साल होने के कारण छात्रावास भवन बनने से पहले ही जर्जर की स्थिति में आ गई है। खिड़कियां भी नहीं लगे हैं, दरवाजा भी नहीं लगे हैं। इसलिए यह अभी विभाग को हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अब यह मान लिया जाये कि यह भवन उपयोग के लायक नहीं रह गया है ? क्योंकि यहां काफी वर्षों से काम चल रहा है। शासन अभी जहां पर प्रशिक्षण संस्थान संचालित कर रहा है, उसका लाखों रूपया किराये में जा रहा है। यह संस्थान जो बना है, वह लगभग 2 करोड़ की राशि का बना हुआ है। आप इसमें यह भी बता रही हैं कि इसके लिए कोई दोषी नहीं है। तो कोई न कोई तो दोषी रहा होगा, जिसके कारण इतना देरी हुआ। अब क्या यह मान लिया जाये कि यह भवन उपयोग के लायक नहीं है ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल इसकी दोषी पूर्व सरकार है क्योंकि वर्ष 2005-06 से इस भवन की स्वीकृति हुई है और उस समय से विभाग ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2012-13 में फिर से अनुपूरक बजट के लिए आया उसके बाद ये अमान्य कर दिया गया। उसके बाद अभी वर्ष 2019 में फिर से राशि की मांग आयी है तो हम लोगों ने फिर से वित्त विभाग को आवेदन भेजा है और यह अभी प्रक्रियाधीन है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्री जी बता रही हैं कि पूर्व सरकार दोषी है। अभी इस सरकार को आये ढाई साल हो गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपयोग में लायेंगे, उसके लिए कोई प्रयास है? या इसको अब मान लिया गया है कि इसको अब डिसमेंटल किया जायेगा, उपयोग में नहीं लिया जायेगा। या यदि इसको पूर्ण किया जायेगा और यदि पूर्ण किया जायेगा तो कब तक होगा, कब तक वह भवन स्थानांतरित करेंगे?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ये गृह निर्माण मंडल के माध्यम से बनाया जा रहा है क्योंकि हमारा विभाग एजेंसी नहीं है और नई राशि के लिए हम लोगों ने मांग की है, मांग स्वीकृत हो जाती है तो जरूर इस भवन को पूर्ण करेंगे। पर समय सीमा बताना असंभव है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मसला है। एक संस्थान जिसके लिए 8 साल पहले वर्ष 2012-13 में पैसा मंजूर हुआ और इस दौरान आप 111 लाख रूपये अपना किराया पटाये हैं तो आखिर कौन महापुरूष इसको बना रहा है उसका नाम बता दीजिए कि कौन विभाग के महापुरूष लोग इसको बना रहे हैं? और आप सरकार में दो साल से बैठे हैं, चाहे वह भाजपा की सरकार ने मंजूर की हो या बनवाई हो, आपने अपने दो साल में उस एजेंसी के ऊपर क्या कार्रवाई की? क्यों वहां पर नहीं बन पाया? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये थोड़ी होगा कि 2-2, 3-3 करोड़ रूपये मंजूर होता रहे, ठेकेदार बना दिया, आप यहां जवाब दे दिये कि उपयुक्त नहीं है इसलिए नहीं रहेंगे। सरकार का पैसा चाहे जब भी मंजूर किया हो, कौन एजेंसी है, क्यों बनाया और क्यों नहीं बनाया उसके बारे में आप जरा बताईये?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भैय्या, मुझे आप बोल रहे थे कि क्यों डरा रहे हो, अभी आप भी डरा रहे हो?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डरा नहीं रहा हूं क्योंकि डरना तो अभी तुमको है क्योंकि हाऊसिंग बोर्ड से बन रहा है।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी गृह निर्माण मंडल एजेंसी है और फिर से उनके लिए अभी वर्ष 2019 में हमारे पास लेटर आया है, हम लोग प्रक्रिया में है, यह प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई चल रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आप प्रक्रिया कर रही हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि जनता के पैसे का टेंडर उस वक्त जिसने भी लिया और वह नहीं बनाया तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई की हैं? यदि नहीं की हैं तो क्या कार्रवाई करायेंगी क्या और कौन सी एजेंसी है कम से कम उसका नाम तो बता दीजिए? जनता को मालूम हो, यहां प्रदेश भर के लोग बैठे हैं कि कौन महापुरूष इसको बना रहा है?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका नाम हम आपको उपलब्ध करा देंगे पर ये हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से बन रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब वह डरेंगी कि आप डरोगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से पिछले वाले कार्यकाल का मामला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पिछले अगले से मतलब नहीं है। अभी दो साल से आप हैं, आपको इसमें कार्रवाई करनी थी ना।

श्री कुलदीप जुनेजा :- पहले भी एक सरदार जी थे, अब भी एक सरदार जी हैं, जैसा भी रहेगा दोनों आपस में बात करके करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सरकार 111 लाख रूपये किराया पटा रही है और किराये के बावजूद उसको ढ़ाई साल में पूरा नहीं कर रही है। यह सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है, मंत्री जी कहें कि हाऊसिंग बोर्ड निर्माण कर रहा है इसलिए हम नहीं बता सकते तो मंत्री जी कितने दिनों में इसे बना देंगे इसकी आप जरा जानकारी दे दें?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने साल से ये निर्माणाधीन था, इसी चिंता को आप लोगों ने पहले कर लिया होता तो अभी तक ये भवन बनकर तैयार हो जाता। (मेजों की थपथपाहट) आज हमारे संज्ञान में आया है तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई नहीं हुई है आप बचा रही हैं। जो भी घटना किया है उसको आपलोग 15 साल-15 साल बोलकर बचाने का काम मत करिये। ये रिकार्ड बहुत पुराना हो गया है, घिस गया है, सुई उसी में अटक गया है। थोड़ा आगे बढ़िये। पहले तो उसके उपर कार्रवाई कीजिए और उस संस्थान को बनाने के लिए आप सदन को आश्वस्त कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितने दिनों में बनायेंगे, इनकी सरकार को 2.5 साल हो गये। उसके बाद भी जो मंत्री जी जानकारी दे रही हैं बहुत ही अक्षम सरकार है।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- कार्यवाही के लिए अभी वर्ष 2019 में हमारे पास आया है, उसके बाद हम लोग करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितने दिनों में बनायेंगे, इनकी जानकारी दे दें? आप लोग बहुत सक्षम हैं। पिछले 10 साल में नहीं बना, 2.5 साल से नहीं बन रहा है, इसके लिए पैसा एलाट नहीं हुआ, आपने पैसे की मांग की है तो इसको कितने दिनों में बना देंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जहां पर जो भी काम चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। मनमर्जी ठेकेदार लेता है, जब चाहता है बनाता है, नहीं बनाता है, पूरा होता है, नहीं होता है और आप उसको डिफेंड करते हैं, यह गलत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में यही हाल है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि इसके लिए पूर्व सरकार दोषी है। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पूर्व और वर्तमान की बात क्या हो गई ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननी बृजमोहन जी के दोस्त पूर्व का मतलब राजेश मूणत।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ आप मुझे तो बोलने दीजिए। जो दोषी है। सरकार, सरकार होती है उसमें वर्तमान और पूर्व नहीं होता। सरकार की जवाबदारी होती है जो दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही पर कार्यवाही करना। अब तक ये सवा दो साल मंत्री के रूप में कार्यवाही नहीं कर सकी।इसका कारण बतायेंगी कि आपने अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने नहीं कर पाये पर अभी हमारे संज्ञान में आया है जरूर हम इनके बारे में विभाग को ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सवा दो साल हो गया। यह अभी संज्ञान में आ रहा है।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 सालों में आप लोग नहीं कर पायें तो आप सवा दो सालों की क्या बात करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद पूर्व सरकार को दोषी मानेगी। आप लोग कुछ कर नहीं पायें और दोषी दूसरे को बनाते हो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोराना संकट से जूझ रहे थे।

<u>रायगढ़ जिला में उद्योगों से जलकर राशि की वसूली</u>

17. (*क्र. 578) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में किन-किन उद्योगों पर कितनी-कितनी जलकर राशि वसूली लंबित है? (ख) भुगतान न करने वाले उद्योगों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नही हुई तो क्यों ? (ग) जलकर राशि जमा नहीं करने वाले किन-किन उद्योगों को एग्रीमेंट के आधार पर जलपूर्ति बंद कब तक कर दिया जावेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) उद्योगवार विवरण [3]† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) बकाया राशि जमा करने हेतु संभागीय एवं उप संभागीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है साथ ही कुछ प्रकरणों में जिला प्रशासन से अनुरोध कर आर.आर.सी. भी जारी

[3] परिशिष्ट "सात"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कराया गया है. (ग) विभाग द्वारा अनुबंध की कंडिका अनुसार जलकर देयक जारी करने के दिनांक से 03 माह के भीतर उद्योगों द्वारा जलकर जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित उद्योग को दण्ड अधिरोपित कर देयक जारी किया जाता है तथा 06 माह तक जलकर जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबंध भंग माने जाने का प्रावधान है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि रायगढ़ जिले में कितने उद्योगों पर कितने जलकर की राशि अभी तक बाकी है या लंबित है। इसमें जवाब आ गया है और जवाब में बड़ा लम्बा फिगर आया है। लगभग 2 हजार करोड़ के आसपास रायगढ़ जिले में जल कर की राशि लंबित है। अगर रायगढ़ जिले में, एक जिले में 2 हजार करोड़ के आसपास जलकर की राशि लंबित है चाहे वह किसी भी कारण से हो, चाहे न्यायालय में प्रकरण लंबित हो, चाहे वह विभाग में लंबित हो, लेकिन एक बड़ी राशि होती है जिसका लाभ सरकार को मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहूंगा कि लंबित राशि, चाहे न्यायालय में लंबित रहे, चाहे और कहीं लंबित हो, उसको कब तक हम लोग अपनी सरकार के खाते में जमा कर लेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो उत्तर में बता दिया गया है कि कौन उद्योगों की कितनी राशि लंबित है न्यायालय में कौन-कौन सी कार्यवाही, प्रकरण चल रहा है। किस-किस उद्योगों को नोटिस दी गई है। एकाध के खिलाफ अंजनी स्टील के खिलाफ एफ.आई.आर. के लिए भी निर्देश दिये गये हैं। 193 करोड़ रूपये से ज्यादा वहां इन उद्योगों पर लंबित है, यह जानकारी दी गई है। पहली बात और दूसरी बात शासन के खाते में कब तक आ जाएगा तो मैं कैसे अलग- अलग उद्योगों की तारीख बता पाऊंगा। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कोरोना के संक्रमण में सरकार की रेवेन्यू ऐसे ही कम प्राप्त हुआ है तो धीरे-धीरे पैसा आ जाये, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे खाते में पैसा आना चाहिए और विभाग लगातार नोटिस दे रहा है जो कार्यवाही करना है, कर रहा है। माननीय प्रकाश जी कुछ स्पेसिफिक कहना चाहेंगे तो कोई उद्योग ज्यादा पानी ले रहा है उसका असिसमेंट गलत हो रहा है या उसको नोटिस नहीं दी गई है या कार्यवाही किस तरीके से और होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से कुछ बात हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक उत्तर दूं, लेकिन विस्तृत इतना वेग प्रश्न किया है कि सारे उद्योगों की वसूली कब तक कर ली जायेगी ? तो यह तिथि बताना तो संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपके कक्ष में आएंगे, आप उनको बता दीजिएगा। हो गया।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने यह कहा कि यह एक रायगढ़ जिले का फिगर है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से थोड़ा निर्देश जाना चाहिए कि चाहे प्रक्रिया न्यायालय में लंबित हो या कहीं लंबित हो, उसमें तेजी लाएं ताकि शासन के खाते में पैसा आए।

अध्यक्ष महोदय :- बस उतना ही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा भी है और हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि शासन के खाते में जल्दी पैसा आ जाए।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी के बिजली बिल ला जाकर, ओला मोटर में बइठ कर जेल भेज देथे। कोई किसान पम्प लगाए हे, ओकर ऊपर कार्यवाही हो जथे, अउ बड़े आदमी हे तो कोर्ट हा घलो ओकरे हे, अउ सबो ओकर रही तो हम आदमी मन मर गेन। गरीब आदमी के बात ला, का हे पहली के बिजली बिल, पानी के बिल ला मय जानथव, ओखरे खातिर एमे निवेदन हे कि एमें बढ़िया से कार्यवाही करें हमर प्रदेश के जतका गरीब आदमी हे कतका खुश हो ही, अमीर के पइसा ला जल्दी लाने जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रामकुमार भाई पूछिस कि गरीब आदमी के बिजली के बिल के कारण ओला जेल भेज दिये जाथे। ए पानी के बिल के चर्चा चलत हे, बिजली के बिल के चर्चा नइ चलत हे, यह पहली बात हे। दूसरा बात रामकुमार भईया, छत्तीसगढ़ में किसान मन के ऊपर पानी के जो बकाया टैक्स रिहिसे 207 करोड़ रूपया, ये सरकार ओला माफ कर दे हे, कोनो ला नोटिस तक नइ दे हे। वसूली तो बहुत दूरिहा के बात हे। लेकिन ते जो बिजली के बारे में प्रश्न करेस ओकर उत्तर तो एखर से संभव नइ हे। पानी के जहां तक टैक्स हे, हमन नया जल नीति अउ बनाथन ओमा अण्डग्राउण्ड वॉटर के कतका कोन उपयोग करथे तेखर बारे में हमन कइसे शुल्क लगा सकत हन, जो सर्फेस वॉटर हे तेकर बारे में कइसे शुल्क लगा सकथन, वसूली के अउ सहज प्रक्रिया का हो सकथे। एकर बर सरकार हा अलग से नीति बनाकर विचार करत हे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराज ए पहली वाला के हे। तेखर बर कहात हो। ओमन के पहली के आए हे, तेला ओमन वसूल नइ हे।

<u>जांजगीर चांपा में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगो हेतु सामग्री क्रय</u>

18. (*क्र. 95) श्री सौरभ सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले में वर्ष 2019, 2020 तथा वर्ष 2021 में दिनांक 26-01-2021 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा किस-किस मद से दिव्यांगो को क्या सामग्री और उपकरण का वितरण कब-कब किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी बताएं? (ख) उपरोक्त सामग्री और उपकरण को किस-किस दर से किस-किस एजेंसी से खरीदा गया था?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क)जानकारी ††[4] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले के दिव्यांगों के क्रमिक अंग खरीदी में 16 प्रकार के अंगों की खरीदी की गई है और सिर्फ दो कंपनियों से खरीदी की गई है, 7 अंग एक कंपनी से और 9 अंग एक कंपनी से खरीदी की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए निविदा बुलाई गई थी और अगर निविदा नहीं बुलाई गई थी तो किस प्रक्रिया से खरीदी की गई है ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिला स्तर पर खरीदी होती है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इसकी टीम गठित की जाती है। वह पूरा नियम, प्रक्रिया का पालन करते हुए सत्यापन करके ही निविदा बुलाई जाती है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि डी.एम.एफ फंड से मोटराईज्ड ट्रायसायकल खरीदी गई, साढ़े तीन, चार करोड़ की मोटराईज्ड ट्रायसायकल खरीदी गई है। मैं आपसे सीधा यह निवेदन कर रहा हूं वह मोटराईज्ड ट्रायसायकल में हम लोगों को बता दें, हम 5 विधायक बैठे हैं, आप बैठे हैं, यह बता दें कि किस प्रकिया से खरीदी की गई है ? आप बोली हैं कि जिला समिति की अध्यक्षता में खरीदी की गई है, इसका साफ मतलब है कि टेन्डर नहीं हुआ है। टेन्डर नहीं हुआ तो क्या कलेक्टर के पास पावर था कि कुछ भी रेट में अनुमोदन करके देंगे, इस प्रक्रिया को कृपापूर्वक हमको समझा दीजिए ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निविदा आमंत्रित की गई है और निविदा आमंत्रित नियम, प्रकिया के अंतर्गत ही हुई है और यह जिला की समिति के माध्यम से ही होता है।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी, दो महत्वपूर्ण प्रश्न शिवरतन शर्मा जी और धरमलाल कौशिक जी के हैं। आप संतुष्ट हो जाईये। श्री शिवरतन जी शर्मा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि निविदा कब आमंत्रित की है ?

अध्यक्ष महोदय :- वह संतुष्ट हो गये। चलिये, वह मान गये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, पर ठीक है अध्यक्ष जी का आदेश है।

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष जी का आदेश बैठने के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

---

[4] परिशिष्ट- आठ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नही हूं। पर अध्यक्ष जी का आदेश है, अध्यक्ष जी का आदेश सर्वोपरि हैं, मैं बैठ गया।

अध्यक्ष महोदय :- मैं जांच करने का आदेश देता हूं कि यह पता किया जाये कि किस तरह से उसकी खरीदी हुई, किसने खरीदी की, मैं उससे संतुष्ट नही हूं। इसलिए जांच की जाय। यदि आप पूछेंगे तो मैं आपकी तरफ से बोल दूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था से संतुष्ट हूं। आपने कहा कि बैठ जायें तो मैं गया। आप आगे पूछने के लिए बोलते तो मैं पूछता।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष जी ने जांच के लिए कहा है, ठीक है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, जांच का आदेश दे रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जांच के लिए आदेश दिया है, ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी से जांच के लिए आदेश हो गया, इतने में साल्व हो गया।

<u>गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं भुगतान</u>

19. (*क्र. 1586) श्री शिवरतन शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किस-किस जिले में कितना गोबर खरीदा गया तथा किस-किस मद से कितना-कितना भुगतान किया गया? (ख) प्रदेश में खरीदे गये गोबर से किस-किस जिले में कितना-कितना वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ तथा वर्मी कम्पोस्ट कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन संस्थाओं को बेचा गया? कितनी-कितनी कीमत का? (ग) इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् किस-किस जिले में कितना-कितना गोबर वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु अनुपयुक्त हो गया है उसका क्या उपयोग किया जावेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) गोधन न्याय योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से दिनांक 15-02-2021 तक समस्त 28 जिलों में कुल 40.359 लाख क्विं. गोबर क्रय किया गया तथा गोधन न्याय योजनांतर्गत कुल राशि रु. 7752.13 लाख का भुगतान किया गया है. जिलावार जानकारी † संलग्न[5] प्रपत्र "अ" पर है. (ख) प्रदेश मे ंखरीदे गये गोबर से समस्त 28 जिलों में कुल 70044.18 क्विं. वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ तथा कुल 40643.41 क्विं. वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय विभिन्न संस्थाओं को किया गया, जिसकी राशि रु. 397.61 लाख है. जिलावार संस्थावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु अनुपयुक्त हो गये गोबर की मात्रा निरंक है.

[5] परिशिष्ट "नौ"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किस-किस जिले में कितना गोबर खरीदा गया तथा किस-किस मद से कितना भुगतान किया गया। माननीय मंत्री जी ने कितना गोबर खरीदा गया, कितना भुगतान किया, यह तो बता दिया। पर यह भुगतान किस-किस मद की राशि से किया गया, यह आपने उत्तर में नहीं दिया। आप यह बता दें कि किस-किस मद से इसका भुगतान किया गया ? इसी में एक प्रश्न दूसरा यह है कि यह गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदने का कार्य कौन सी संस्था या व्यक्ति कर रहे हैं, इनकी नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा लगा कि इसमें आपकी रूचि जागृत हो रही है। अन्यथा गोधन न्याय योजना के खिलाफ, गोबर खरीदी के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते थे। आपने दो प्रश्न किया है, एक तो गोबर खरीदी का कार्य करने वाली एजेंसी और उसकी नियुक्ति के बारे में पूछा है और दूसरे आपने कहा किस मद से खरीदी किया है। दो दिन पहले ही विधानसभा में किसी माध्यम से चर्चा हुई थी, उस मद के बारे में काफी चर्चा हो गई थी, कहां से वसूली हुई, किस मद से आता है। उसके बावजूद भी आप कहेंगे तो जिलेवार आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। नंबर दो कितनी मात्रा में गोबर खरीदी की गई यह आपके परिशिष्ट में है। किस जिले में कितना पेमेन्ट किया गया है, वह भी आपके परिशिष्ट में है। तीसरा आपका जो प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के तहत गौठान ग्राम पंचायतों की प्रापर्टी है। एस पर एक्ट जो गोठान समिति है वह पंचायतों के द्वारा गठित हुई गौठान समितियां हैं और उन्हीं समितियों के माध्यम से गोबर क्रय किया गय।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि गोबर खरीदी का पेमेंट किस-किस मद से किया गया ? आप यह मद को स्पष्ट कीजिए कि किस-किस से पेमेंट किया गया। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा मैंने एजेंन्सी की बात की है, आपने नियुक्ति का आधार ग्राम पंचायत बता दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि गौठान समितियों के गठन के लिये ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव मंगवाया गया था और ग्राम सभा ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें यह तय था कि वे ग्राम सभा से 50 लोगों का नाम भेजेंगे और 50 में से 10 या 11 लोगों की कमेटी प्रभारी मंत्री जी बनायेंगे । 90 परसेंट गौठान समितियां ग्रामसभा के प्रस्ताव के विपरीत जाकर बनी हैं और दूसरा आप मद को क्लियर कीजिये उसके बाद में दूसरा प्रश्न करूंगा । चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने दो ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर आ जाये तो फिर मैं दूसरे प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर था । आपने कह दिया कि ग्राम सभा से नाम मंगवाया गया है तो प्राईमरी रूप से आपने प्रश्न किया कि कहां से नाम आया तो वह तो आपने ही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उत्तर दे दिया । दूसरा मद के बारे में जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने आबकारी का जो शुल्क लगाया हुआ है, जिसका 3-4 दिन पहले उल्लेख किया गया था उसका मद तो वही है, अगर आप माध्यम पूछेंगे तो फरवरी के पहले तक यह ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पेमेंट हुआ था उसके बाद यह पेमेंट हमारे विभाग के माध्यम से किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी दो दिन पूर्व की चर्चा का हवाला दे रहे हैं । दो दिन पूर्व की चर्चा में 355 लाख रूपये का पेमेंट करना इन्होंने स्वीकार किया था और आज ये लगभग 77 सौ 52 लाख के पेमेंट की बात स्वीकार कर रहे हैं । मैंने मद की बात की है, माननीय मंत्री जी इसको घुमा रहे हैं और मद को क्लियर नहीं कर रहे हैं । पंचायतों को 14वें और 15वें वित्त की राशि से पेमेंट करने के लिये दबाव बनाया जा रहा है । 14वें, 15वें वित्त की राशि पंचायतों के मूलभूत कार्यों के संचालन के लिये आती है, आप 14वें और 15वें वित्त की राशि से पंचायतों से दबावपूर्वक पेमेंट करा रहे हैं, पंचायतों के अधिकार का हनन कर रहे हैं । पहला विषय तो यह है और दूसरा विषय यह है कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न का ही उत्तर देते हुए एक बात कही थी कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि गोबर 2 महीने अगर उपयोग न किया जाये तो वह वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लायक नहीं रहता । आज मंत्री जी ने जो वर्मीकम्पोस्ट की जानकारी दी है उसमें 40,643 क्विंटल वर्मीकम्पोस्ट विक्रय किया गया है इसकी जानकारी दी है और लगभग 40 लाख मीट्रिक टन गोबर खरीदा गया है । इतनी बड़ी संख्या में आपका गोबर पड़ा हुआ है, दो महीने में अगर गोबर वर्मीकम्पोस्ट के लायक नहीं रहेगा तो इस गोबर का उपयोग आप कैसे करेंगे और आपके पास इसके मूल्यांकन का क्या आधार है कि गोबर सुरक्षित है कि नहीं है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- शर्मा जी, क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, मद वाला पहले क्लियर कर दीजिये उसके बाद दूसरे विषय का बताईयेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने आपको बताया न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मद कहां क्लियर किया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने आपको बताया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह तो मैंने आपको बताया, आपने मद नहीं बताया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा आपने ही बताया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मद क्लियर कीजिये न कि गोबर का पेमेंट किस-किस मद से किया गया ? आप मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विद्वान हैं । वे प्रश्न भी करते हैं और उत्तर भी स्वयं दे लेते हैं ।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी हर चीज का गुड़-गोबर कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा आपसे निवेदन है कि आप मद क्लियर कर दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अगर आपको केवल मद का नाम ही जानना है तो गौधन न्याय योजना के मद से पेमेंट किया गया । आपने केवल मद भर थोड़ी पूछा था, आपने तो बहुत लंबा-चौड़ा कि इतनी गोबर खरीदी हुई तो अनुपयोगी गोबर का क्या उपयोग किया जाता है, यह भी आपने प्रश्न किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कौन-कौन से मद को पूछा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने आपको कहा न कि मद तो केवल यही है । उसको आप फिर पूछेंगे कि वसूली कहां से होती है, टैक्स कहां से आता है ? इस मद में पैसा कहां से आया, किस माध्यम से दिया गया उसका तो अलग उत्तर होगा लेकिन मद तो यही है । गौधन न्याय योजना का हमने सेस जो लगाया है वह गौधन न्याय योजना का मद है, आप यह पूछेंगे कि किस माध्यम से पेमेंट हुआ तो मैं बता दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप पूरे सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं । गौधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी के लिये पंचायतों में दबाव डाला जा रहा है कि 14वें और 15वें वित्त की राशि से पेमेंट करें, यह मजबूरी में बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन सारे लोग इस बात को जानते हैं और आप इस बात को जानते हुए भी घुमाने का प्रयास कर रहे हैं । आप स्पष्ट बता दीजिये कि 14वें और 15वें वित्त की राशि का कितना भुगतान कराया गया है ? आप यह भी बता दीजिये कि यह गाईडलाईन में है कि नहीं है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- किस गाइड लाईन का । गोधन न्याय योजना के जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें इस शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया है । अब आपके पुराने प्रश्न का उत्तर दूं या आगे बढ़ूं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले मद का बता दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा ना गोधन न्याय योजना के मद का ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मुझे यह बता दीजिए कि पंचायतों से 14 वें व 15 वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान कराया गया है या नहीं, हां या ना में बता दीजिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- गोधन न्याय योजना की जो नीति बनी है, उसमें इस शब्द का कोई उपयोग ही नहीं किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं । माननीय मंत्री जी असत्य जानकारी दे रहे हैं, मैं उसकी प्रकिया में आगे बढ़ूंगा । मैंने जो दूसरा प्रश्न

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया कि आप 40 लाख क्विंटल गोबर खरीद चुके हैं । ये गोबर के मूल्यांकन का आधार बचा हुआ कितना है, उसका क्या उपयोग होगा, यह बता दो ?

श्री रविन्द्र चौबे :- पहली बात तो यह है कि जो वर्मी कम्पोस्ट विक्रय किया गया है, उसके आधार पर आप प्रश्न कर रहे हैं । आप यह पूछ लेते कि पूरे गौठान कितने निर्मित हो रहे हैं, वहां वर्मी टांके कितने हैं और यह जो 40 लाख टन की बात कर रहे हैं वर्मी टांकों में कितना है । अध्यक्ष महोदय, हमने लगभग 11 से अधिक पंचायतों में गोठान बनाने का निर्णय लिया है । 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने का कार्य जारी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं उत्तर दे रहा हूं ना । 6200 गौठान निर्मित हो गए हैं। लगभग प्रति गौठान के हिसाब से 61 हजार वर्मी टांके हमारे तैयार हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह मुख्यमंत्री जी के भाषण में आ गया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कब आया ?

श्री शिवरतन शर्मा :- बजट भाषण में आ गया है । आप लोगों को याद नहीं होगा, हम लोग आप लोगों का भाषण बहुत गंभीरता से सुनते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सुनना भी चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनते हैं, इसीलिए तो प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, 61 हजार वर्मी टाकों में जो गोबर खरीदी...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रश्न का जवाब दीजिए ना, आप इधर-उधर घुमा क्यों रहे हो ?

श्री रविन्द्र चौबे :- कहां घुमा रहा हूं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब तो आप दे ही नहीं रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं उसी में आ रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX][6]

श्री रविन्द्र चौबे :- लो, फिर [XX] में । [XX] ।

श्री अमितेश शुक्ल :- [XX] पर हमला, यह तो बड़ा खतरनाक चीज है भई ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इसे विलोपित कर दिया जाए । जिस तरह से बृजमोहन जी बात कर रहे हैं, [XX] पर आक्षेप लगा रहे हैं । यह शर्मनाक है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- यह डायरेक्ट आक्षेप लगा रहे हैं, यह गंभीर मामला है। इसको तत्काल विलोपित करा जाए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसको विलोपित किया जाए ।

---

6 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह तो मैं विलोपित कर दूंगा । मगर इसके जैसे वरिष्ठ सदस्य ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैं यह देख रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह घड़ी देख देखकर बोल रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपको देखकर बोल रहा हूं, उधर जो घड़ी लगी है वह तो अध्यक्ष जी ने लगवाई है ना ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सौरभ जी को यह बोल रहा था कि दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो आपके दल से ही संबंधित हैं, एक शर्मा जी और दूसरे कौशिक जी । इन दोनों के प्रश्न को आने दीजिए । देख लीजिए, 3 मिनट बचे हैं, अगर कौशिक जी प्रश्न कर लें तो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी समय को ज़ाया न करें । जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- ये सारे सदस्य लोग चाहते ही नहीं कि नेता जी का प्रश्न आए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे आपके उत्तर से, स्टाइल से संतुष्ट हैं । आपने लगभग 77 करोड़ का गोबर खरीदा है । मद आपका है, गोधन न्याय योजना । गोधन न्याय योजना मद में 2019-20, 2020-21 के बजट में कितना पैसा है । दूसरा, आपने भुगतान बताया लगभग 333 लाख का, जो सेस से किया । बजट में कितना पैसा है और पिछले वर्ष इसमें कितना पैसा था, इस वर्ष कितना पैसा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह जो 3 लाख की बात कह रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गोधन न्याय योजना मद में कितना बजट था, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए ना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने उसी को जोड़कर प्रश्न किया कि 3 लाख ही आपने गोधन न्याय योजना के तहत पेमेंट किया । मैंने उस दिन भी कहा कि फरवरी माह के पहले तक ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गोधन न्याय योजना में मेरा पहला प्रश्न यह था कि 2019-20 और 2020-21 में कितना बजट था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने इसीलिए उसमें सेस लगाया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सेस में तो आपने सिर्फ 333 लाख खर्च किया है, बाकी पेमेंट कहां से हुआ ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कह रहा हूं ना आपसे । आप उत्तर ही नहीं सुनना चाहेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उत्तर देना ही नहीं चाहते । बजट में कितना पैसा है यह बता दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी का उचित जवाब नहीं आ रहा है । माननीय मंत्री जी समय को बर्बाद कर रहे हैं । यह उचित नहीं है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं और इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं । माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

समय :

11:59 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री कुलदीप जुनेजा :- इनकी दिली इच्छा थी कि नेता जी का प्रश्न न आए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्नकाल समाप्त हो गया उसके बाद बहिर्गमन कर रहे हो ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, आज बहुत शांति से 19 प्रश्न हुए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई ।

अध्यक्ष महोदय :- बीसवां भी आने वाला था ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- वास्तव में वे चाहते ही नहीं थे कि नेताजी का प्रश्न आए।

समय :
12.00 बजे **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन सभापति तालिका के लिए श्री लखेश्वर बघेल तथा धर्मजीत सिंह के नाम को निर्दिष्ट करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- पटल पर रख जायें। फिर करेंगे।

समय :
12.00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखती हूं।

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में भ्रष्टाचार इस गति तक बढ़ गया है कि गुलाबी गांधी जी के फेर में ये मंत्रालय में गांधी जी की जो मूर्ति लगाते हैं, वह मूर्ति नहीं होकर पुरानी मूर्ति लगायी जाती है। (शेम-शेम की आवाज) और वह पुरानी मूर्ति का भी पेमेंट वहां के अधिकारी द्वारा भंडार क्रय नियम का विरोध कर उसका अनुपालन न कर उसे लगाया जाता है और उसमें से पैसा निकाल लिया जाता है। अगर गांधी जी की मूर्ति लगाने में ये भ्रष्टाचार करेगी नियमों का पालन नहीं करेगी। वहां पर विभाग के द्वारा जे.आर. भगत को और श्रीमती तनुजा बघेल को नोटिस दी गई है और यह हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि गांधी जी की मूर्ति, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी की उपस्थिति में करवाया जाता है। मंत्रालय में करवाया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाता है कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए गांधी जी की भावना को साकार करने के लिए, गांधी जी के उद्देश्यों को साकार करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिले और उस मूर्ति की स्थापना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है।

समय :
12.02 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

पुरानी मूर्ति लगायी जाती है। नयी मूर्ति वहां पर नहीं लगायी गई और इस प्रकार का घोर भ्रष्टाचार किया गया है। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। हम चाहते हैं कि इस स्थगन प्रस्ताव के ऊपर में चर्चा करवायी जानी चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय सभापति जी, यह बहुत गंभीर मामला है कि गांधी जी मूर्ति हिन्दुस्तान में आपकी कुर्सी के पीछे भी, आपकी कुर्सी के पीछे भी गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। अरे भैय्या, ये गुलाबी गांधी जी के चक्कर में पूरी सरकार पड़ गई है। अभी आपने सिंचाई विभाग में कहा कि जब काम ज्यादा होता है तो क्या होता है ? यह हम सब जानते हैं। आप लोग जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वह गुलाबी गांधी जी के चक्कर में खर्च कर रहे हैं। देश के बापू, देश के महात्मा जिनको पूरा देश आदर की दृष्टि से देखता है, उनके नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और इस बात की नोटिस विभाग को जारी की गई है।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय सभापति जी, गुलाबी गांधी क्या होता है ?

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- वह तो इन्होंने पहले ही अंडर ग्राउण्ड कर दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कि कार्यशाला में पुरानी मूर्ति पड़ी हुई थी और कार्यशाला के नाम पर पेमेंट कर दिया गया। कार्यशाला हुई ही नहीं और उस पुरानी मूर्ति को रंग पेंट कर मंत्रालय में लगा दिया गया। मुख्यमंत्री जी से उसका अनावरण करवा लिया गया और सभापति महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप इसके ऊपर में चर्चा करवाएं। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह गंभीर मामला है। पूरा देश जिस गांधी जी को मानता है, उस गांधी जी की मूर्ति के आड़ में भी भ्रष्टाचार किया गया है।

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- माननीय सभापति जी, ये गुलाबी गांधी जी बोल रहे हैं। यह बहुत ऑब्जेक्शन है। ये गुलाबी गांधी जी बोल रहे हैं। गुलाबी गांधी जी शब्द वापस लो। गांधी जी को गुलाबी गांधी ये कैसे बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जो भी आपत्तिजनक बात होगी, वह निकाल दिये जायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना करने में भ्रष्टाचार और दुर्भाग्य से पुरानी मूर्ति स्थापित की गई। अनावरण मुख्यमंत्री जी के नाम से करा दिया गया और जो मूर्ति का बिल भी प्रस्तुत हुआ, वह मूर्ति के निर्माण करने वाले या कलाकार के नाम पर बिल प्रस्तुत नहीं हुआ। संस्कृति विभाग के कर्मचारी को ही पेमेंट की अनुशंसा हो गई। माने गुलाबी नोट का इतना प्रेम। गुलाबी गांधी जी की फोटो का इतना प्रेम कि महात्मा गांधी जी के मूर्ति की स्थापना में भी भ्रष्टाचार करने में ये सरकार नहीं चूक रही है। इसमें हमारा स्थगन है। आप ग्राह्य करके चर्चा करायें। आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष विधान सभा का विशेष सत्र हुआ था । उसमें महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर इतना लंबा-लंबा भाषण दिया था । उनकी 150 वर्ष की जयंती में इन्होंने कहा था कि हम साल भर कार्यक्रम करेंगे, पर साल भर कहीं भी एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन आप पूरे 28 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश को मिला लेंगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत सरकार, तीन चौथाई की सरकार, गांधी को मानने वाली सरकार और उस पर वोट पाने वाली सरकार छत्तीसगढ़ में है । जब गांधी शताब्दी वर्ष का समापन हुआ तो साल भर कार्यक्रम करने की बजाय एक कार्यक्रम किया, मंत्रालय में मूर्ति स्थापित की । माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार ढंग से उसका अनावरण किया । उसमें बड़े-बड़े मंत्री उपस्थित थे, देश भर में फोटो खिंचवाया गया, देश भर में विज्ञापन दिया गया । बाद में पता चला कि वह मूर्ति नकली है, पहले से उपयोग की हुई है । अब पता चल गया कि वह मूर्ति नकली है तो जिस कलाकार ने उसे बनाया है, उसका भी भुगतान नहीं हुआ । अब छोटे-छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है । यह बताईए कि यह गिनीज बुक ऑफ वल्ड रिकार्ड, ये लहर गिनकर पैसा कमाने वाले लोग हैं, यह शासन लहर गिनकर पैसा कमा रही है । यदि महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो यह मान लें कि शासन की संवेदनशीलता मर चुकी है, ये लोग कहीं भी पैसा खा सकते हैं और इस मामले में हमने स्थगन दिया है । सब काम छोड़कर तत्काल चर्चा कराई जाये ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, यह देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की अनोखी घटना है । मंत्रालय, जो हमारे शासन का केन्द्र बिन्दु है, जहां पर पूरे प्रदेश के नागरिक बड़ी आशा से जाते हैं और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दर्शन करते हैं । वहां पर पुरानी मूर्ति को रंग-रोगन करके लगाया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका अनावरण कराया जाता है और उसके नाम से फर्जी बिलिंग की जाती है । यह देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की अनोखी घटना है और अनोखे तरीके से भ्रष्ट्राचार करने का नया तरीका है । हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण संवेदनशील घटना पर स्थगन प्रस्ताव दिया है । सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय, नया रायपुर में गांधी जी की मूर्ति लगायी जाती है । मूर्ति लग जाती है, उसकी स्थापना हो जाती है, उद्घाटन हो जाता है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, ये रोज स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, उनको बोलने दीजिए । स्थगन तो उन्होंने पेश किया है न ।

श्री सौरभ सिंह :- लेकिन आजतक उस मूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है । जब मूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है तो पता किया जाता है कि मूर्ति कहां से आई । मूर्तिकार कौन है तो पता नहीं कौन मूर्तिकार है, मूर्ति कहां से आई । विभाग के अधिकारी एक कागज निकालते हैं Paid By Me. Paid By Me का भुगतान । Paid By Me के भुगतान के तहत भुगतान कर दिया जाए, फिर जब भनक लग जाती है, जब मामला बाहर आ जाता है, तब तरह-तरह के कागज निकाले जाते हैं कि भंडार क्रय के नियम का पालन नहीं किया गया । अगर भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है, Paid By Me है, मूर्तिकार कौन हैं, यह बहुत सारी चर्चाएं है, इसके लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है । कृपापूर्वक ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा भारतवर्ष जहां पर बच्चा-बच्चा यह कहते नहीं थकते कि दे दे हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल । एक कमाल तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया और दूसरा कमाल छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार कर रही है, जो गांधी जी के आदर्शों पर चल रही है । मंत्रालय जैसे पवित्र संस्थान पर खंडित और कबाड़ में पड़ी हुई मूर्ति को लाकर लगा देना और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका अनावरण कराना । मुख्यमंत्री जी और सरकार की नाक के नीचे यह भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार इसकी अनदेखी कर रही है । यह बहुत गंभीर विषय है । हमने इसमें स्थगन दिया है, कृपया स्वीकार करिए ।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, जब से यह सरकार आई है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार करके पैसे की कमाई कर रहे हैं । जैसे यहां से कानून बनता है और वह मंत्रालय में जाता है और ऐसी जगह में महात्मा गांधी जी की पुरानी मूर्ति रखकर सरकार भ्रष्टाचार कर रही है । यह सरकार की नीति है । इस संबंध में हमने स्थगन प्रस्ताव लाया है । आप ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराएं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, परम पूज्य महात्मा गांधी जिनके आदर्शों पर कांग्रेस चलती है और उसकी कथनी करनी दिख गयी। उनके प्रति कितने कथन कहते हैं और उसकी करनी क्या है, यह दोनों दिख रहा है ? कितने निर्भिक होकर बेपरवाह हो गये हैं कि हम जिनको आदर्श मानते हैं, उनके तार-तार करने पर लगे हुए हैं। जो भ्रष्टाचार का है, लेकिन उनकी भावनाएं इतनी कलूशित और दूषित हो गयी हैं कि उसके आड़ में बेपरवाह होकर कुछ भी करने का एक उदाहरण है। इसलिए उस पर कथन किया जाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, परम पूज्य महात्मा गांधी जी की पुरानी मूर्ति को नयी मूर्ति बनाकर मंत्रालय में लगा देना बड़ा आश्चर्य की बात है और बिल की मांग करना, दो विभाग बिल की मांग कर रहा है। पुरानी मूर्ति को किसने बनाया, उसका भी पता नहीं है और पेमेंट किनको लेना है, उसका भी पता नहीं है। ऐसा है गवर्नमेंट और किसको करेगा पेमेंट। यह भी आवश्यक है।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं और वे हमारे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रेरणा के स्त्रोत हैं। उनकी मूर्तियां हमको जगह-जगह ताकत देती है, यह बताती है कि उन्होंने कैसे हमारे देश को आजादी दिलाई। ऐसे महापुरूष की मूर्ति के लिये जो मंत्रालय में लगा है, ऐसी मूर्ति को वहां लगाया जाता है, जो पूर्व से खंडित था, उसको रंगरोगन किया गया और फर्जी बिल बनाने का प्रयास किया गया। यह बहुत गंभीर विषय है। इसलिए स्थगन को स्वीकार कर इस पर चर्चा कराई जाये।

सभापति महोदय :- श्री केशव चंद्रा जी, आप इसी स्थगन में बोलना चाहेंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मेरी शून्यकाल की सूचना है।

सभापति महोदय :- एक मिनट, मैं उसमें समय दे रहा हूं। पहले यह मामला खत्म हो जाये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस सरकार के दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। गांधी जी का केवल फोटो लगाने से गांधी जी के आदर्शों का पालन करने वाली सरकार नहीं है। बाकी चीज में भ्रष्टाचार हो जाये, बाकी कुछ हो जाये, वह बात तो रोज आ रही है। लेकिन जिनके आदर्शों पर चलने की बात हो रही है, यदि गांधी जी की मूर्ति के ऊपर ही भ्रष्टाचार हो, यह तो भ्रष्टाचार का परम पराकाष्ठा हो गया। कहीं उपयोग किये गये मूर्ति को ले करके आना, उसको लगाना, मुख्यमंत्री जी से उनका अनावरण कराना और देयक भुगतान के बारे में जिनकी मूर्ति है, उनको नहीं बल्कि वहीं के अधिकारियों कर्मचारियों को बिल का पेमेंट किया जाये। उसके बाद जो भंडार क्रय नियम है, उन सारी नियमों की अवहेलना की जाये, यह घोर भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि नियम विरूद्ध और संविधान के विरूद्ध कार्य है। इस सरकार के द्वारा किया गया है और कहां पर बैठकर कर रहे हैं ? आस्था के मंत्रालय में बैठकर कर रहे हैं जहां सारे प्रदेश के विकास की नीति और नियम की बात की जाती है। यदि वहां इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है तो आप समझिये कि नीचे स्तर पर जहां पर लोग बैठे हुए हैं, वहां क्या कर रहे होंगे ? इसलिए हम लोग इस पर स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, आप उसको स्वीकार करें, सारी कार्रवाई को रोक करके चर्चा करायेंगे, हम तथ्यों के साथ उस पर बातचीत करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति जी, यह मामला ऐसा मामला है कि छत्तीसगढ़ की पूरे प्रदेश में बदनामी हो रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- स्वतंत्रता के बाद आज तक नहीं हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गांधी जी की मूर्ति के नाम पर, मैं भी संस्कृति मंत्री रहा हूं। किसी भी मूर्ति के निर्माण के लिये 100 प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। फार्मेल्टी पूरी करनी होती है कि मूर्ति का डिजाईन क्या होगा, मूर्ति किसने बनाई है, कितनी लागत की होगी, मूर्ति का शेप क्या होगा, मूर्ति का चेहरा कैसा होगा, उसको एप्रूव किया जाता है ? उसके बाद भी, इतने नियमों के बाद भी उस मूर्ति के मामले में भ्रष्टाचार करना, पुरानी मूर्ति को लगा देना, कबाड़ की मूर्ति को लगा देना और छोटे-छोटे अधिकारियों को नोटिस दे दी गयी, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि यह ऐसा मामला है कि इस मामले में गलती स्वीकार कर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतना गंभीर मामला है। ऐसे गंभीर मामले पर हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया है कि गांधी जी की मूर्ति लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार हो और उसमें सरकार उसको स्वीकार कर उस पर चर्चा न करवाये। हम चाहते हैं कि इसको स्वीकार कर कर आपको अपने अधिकार का उपयोग कर इस पर चर्चा करानी चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर है। (व्यवधान) मूर्ति में भ्रष्टाचार कर सकती है, वह कहां तक जा सकती है।

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मेरी बात सुनिये ना। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, गांधी जी की मूर्ति के नाम पर भ्रष्टाचार करे, इससे बड़ा गंभीर विषय और कोई नहीं हो सकता है। मूर्ति पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ऐसी कोई जगह नहीं बची। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न। आपकी बात सुन लिये। अब एक और माननीय सदस्य को सुन लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ शर्मिंदा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पूरी दुनिया में यह अपनी तरह का यह पहला मामला है।

सभापति महोदय :- आप मेरी बात सुनेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- दो मिनट मेरी बात तो सुन लीजिये। हमारे विपक्ष के जितने सम्माननीय साथियों ने स्थगन दिया है, हमने यहां पर सभी को बोलने का अवसर दिया है। सरकार के लोगों ने सुन लिया है। मैं आसंदी से इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जिस मामले को लेकर पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ शर्मिंदा हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार किया गया है।

सभापति महोदय :- आप लोग तो बैठिये न। आप क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं न। आप सभी ने अपनी बात कह दी, सरकार ने सुन लिया। मैं इसको आसंदी से आग्रह करता हूं। आपका स्थगन अग्राह्य किया जाता है। (व्यवधान) मंत्री जी, आप तो बैठिये। मैं बात कर रहा हूं। ऐसे हल्ला-गुल्ला से बात नहीं होगी। उनको अपनी बात कहने दीजिये न। नेता जी बोलिये।

नेता पतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, बाकी भ्रष्टाचार तो सरकार रोज कर रही है। ये गांधी जी की मूर्ति के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ शर्मशार है। गांधी जी के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। आज पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया गया है वह भी गांधी जी की मूर्ति के ऊपर भ्रष्टाचार करके किया गया है।

सभापति महोदय :- मैंने आपके स्थगन को अग्राह्य कर दिया है। कृपा करके आसंदी को सहयोग करिये। मंत्री जी, आप तो बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- गांधी जी की मूर्ति नहीं लगती तो क्या गोड़से का लगता ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिये। मैंने आपका स्थगन अग्राह्य कर दिया है।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, सदन की कमेटी से जांच करवाया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यह सदन छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है। अगर इस सदन में कोई ऐसी चर्चा आये, जिससे छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में शर्मिन्दा हो रहा हो, यहां विदेशी प्रतिनिधि, विदेशी राष्ट्रपति , विदेशी प्राधनमंत्री आते हैं तो गांधी जी के दर्शन करने जाते हैं। ऐसी गांधी जी की मूर्ति में भ्रष्टाचार हो, गांधी जी की ऐसी पुरानी मूर्ति कबाड़ से उठाकर लगा दी जाये और ऐसे मुद्दे पर सरकार का जवाब नहीं आये, कोई चर्चा न हो, हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आपको सदन की समिति बनाकर जांच का आदेश करना चाहिए और सर्वसम्मति से होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरी दुनिया में यह अपनी तरह का पहला भ्रष्टाचार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जिनको पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है, ऐसे महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जिसको सब आदर्श मानते है, हमारे देश के बच्चों को, हमारे विश्व के बच्चों को क्या आदर्श मिलेगा ?

सभापति महोदय :- मैं फिर आप सभी से से आग्रह कर रहा हूं कि मैंने इसे आसंदी से इस स्थगन को अस्वीकार कर दिया है। अब आप थोड़ा सहयोग करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है। गांधी जी को दुनिया मान रही है, गांधी जी को हम लोग मानते हैं, गांधी जी को सब मानते हैं। इस विधानसभा में विशेषकर गांधी जी के नाम पर चर्चा कराई जाती है, शताब्दी समारोह में साल भर कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की जाती है। उनके मूर्ति के नाम पर भ्रष्टाचार हो..(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोगों से कौन पूछ रहा है, आप लोग तो बैठो।

धरमलाल कौशिक :- हम इसको पूरे तथ्यों के साथ रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12:20 से 12:26 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:26 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, 01 तारीख से जिला जांजगीर-चांपा के जितने भी खरीदी केंद्र के प्रभारी थे जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रहे थे, वह आंदोलन पर बैठे हैं और आंदोलन इस बात का है कि धान का उठाव नहीं हो रहा है। 50 से ज्यादा ऐसे केंद्र हैं जहां 10 हजार क्विंटल से ज्यादा धान है। माननीय सभापति महोदय, खरीदी के 4 दिन पहले सभी केंद्र के प्रभारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटर का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, अब उस जगह में उनको व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो रही है। सूखत अलग हो रहा है। बेमौसम बरसात पानी गिर रहा है। उसके बावजूद चूहा और तमाम चीजों के कारण धान में कमी आ रही है। बार-बार निवेदन करने के बाद एक बार आंदोलन करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिये लेकिन उठाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। एक तरफ उठाव नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ जो पूरे जिले जांजगीर-चांपा में हमाली किए हैं उनकी हमाली के भुगतान के लिए भी राशि जारी नहीं की जा रही है कि आपका धान उठा जायेगा, हम मिलान कर लेंगे तब हम आपको राशि देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 72 घंटे का आपका एग्रीमेंट है और 1 दिसंबर से आपने धान खरीदना शुरू किया, 72 दिन से ज्यादा हो गया, आप उठाव नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे मजदूर जो सुबह काम करते हैं और शाम को खाना खाते हैं उन हमाल लोगों को आप भुगतान नहीं दे रहे हैं। तो हमाल लोगों को भुगतान दिलवायें।

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:28 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) उप संचालक कार्यालय कृषि, बलौदाबाजार में शासन की विभिन्न योजना में अनियमितता की जाना.

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) (श्री रजनीश कुमार सिंह, श्री नारायण चंदेल):- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- उप संचालक कार्यालय बलौदाबाजार में शासन के विभिन्न योजनाएं जो कृषकों के हित में बनाई जाती हैं, उसमें लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के किसान, जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों को कर रहे हैं, किंतु शासन ऐसे अधिकारी पर कार्यवाही करने के बजाय उसे संरक्षण प्रदान कर रहा है। जिले में सूरजमुखी का हाईब्रिड बीज नेशनल स्वीप कार्पोरेशन के माध्यम से प्रभारी उप संचालक द्वारा खरीदा गया। उक्त बीज हाईब्रिड है ही नहीं। जब बीज को जांच हेतु भेजन की अन्य अधिकारियों द्वारा बात कही गई तो ऐसे अधिकारी को ही पद से हटा दिया गया। कहीं किसी प्रकार के बीज की जांच नहीं कराई गई। जिले में लगभग 100 टन चूना खरीदना बताया जा रहा है, किन्तु वास्तव में आया केवल 20 से 25 टन है तथा विकासखंड स्तर के अधिकारियों से दबावपूर्वक पूरी की पावती ली जा रही है। जिले में कृषकों को वितरण हेतु जो आदान सामग्री क्रय की जाती है, उसका सैंपल टेस्ट रिपोर्ट आये बिना ही कृषकों को वितरित कर दिया जाता है तथा भुगतान भी कर दिया गया है। सिमगा विकासखंड में 20 जनवरी, 2021, बिल क्रमांक 447, 453 के सत्यापन हेतु दबाव बनाया गया। जबकि उक्त पेस्टीसाईड का सिमगा में भंडारण ही नहीं हुआ था। बिल क्रमांक 671, 666 दिनांक 2 फरवरी, 2021 धान में राईजोबियम के उपयोग का बिल प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्त दवाई के उपयोग हेतु कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा नहीं है। फेरोमोनों का बिल क्रमांक 225, दिनांक 25.11.2021 को सत्यापित कराने के पश्चात् पुन: सत्यापन हेतु इनवाईस क्र. 625 , दिनांक 25.11.2021 को कहा गया एक ही बिल का दो बार सत्यापन करने हेतु दबाव डाला गया। इसी प्रकार किटनाशक इम्डाफ्लोरिड भंडारण ही नहीं हुआ था और सत्यापन हेतु दबाव डाला गया। सत्यापन से इनकार करने पर तथा शिकायत की बात कहने पर भंडारण कराया गया, बोगस बिलों को सत्यापित ना करने पर प्रभारी उप संचालक द्वारा जिला स्तरीय बैठक में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जाती है।

पूरे जिले में प्रभारी उप संचालक के नेतृत्व में शासन की कृषि व कृषकों के हित में बनायी गयी योजनाओं में व्यापक रूप से अनियमितता हो रही है। लगातार शिकायत करने के पश्चात् कार्यवाही नहीं होने से जिले के किसानों में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही नहीं है कि उप संचालक कृषि बलौदाबाजार के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के किसान द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं उच्चाधिकारियों को कर रहे हैं और शासन से ऐसे अधिकारी को कार्यवाही करने के बजाए संरक्षण दे रहे हैं। सही यह है कि जिले द्वारा टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजनान्तर्गत नेशनल सीड कार्पोरेशन (एन.एस.सी) से हाईब्रिड सूरजमुखी बीज आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(चावल एवं दलहन) अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण हेतु 819 टन चूना छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दिये गये प्रदाय आदेश के विरूद्ध 500 टन चूना का भंडारण विभिन्न विकासखंडों में किया गया है। प्रदर्शन हेतु उपलब्ध कराये गये आदान सामग्रियों का निर्धारित समयावधि में उपयोग किया जाना होता है इसलिए कृषकों को परिणाम आने के पूर्व ही आदान सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। प्रदर्शन हेतु वितरित सामग्री के संबंध में कृषकों/जनप्रतिनिधियों से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। योजनांतर्गत प्रदाय सामग्रियों में कीटनाशन औषधि की राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. को इस शर्त पर की गई है कि प्रयोगशाला से नमूना परीक्षण परिणाम प्राप्त होने तथा संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रदायक संस्था को भुगतान किया जावे।

यह सही है कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा सिमगा विकासखंड में 20 जनवरी 2021 को आपूर्ति की गई पेस्टीसाईड (कीटनाशक) के देयक क्रमांक 447, 453 सत्यापन हेतु भेजी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत मेड़ों पर लगाये जाने वाले अरहर बीज उपचार हेतु वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित राईजोबियम कल्चर के प्रदाय आदेश दिये गये थे किन्तु उल्लेखित देयक क्रमांक 671 एवं 666 दिनांक 02 फरवरी 2021 उप संचालक कृषि को अप्राप्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत ही चना फसल के कीट नियंत्रण के लिए फेरोमेन ट्रेप की आपूर्ति की गई है। सिमगा विकासखंड को छोड़कर शेष विकासखंडों से सत्यापित देयक जिला कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं।

यह सही नहीं है कि बिलों को सत्यापन हेतु किसी प्रकार का दबाव एवं जिला स्तरीय बैठकों में किसी को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।

जिला में योजना के क्रियान्वयन हेतु आदान सामग्री की आपूर्ति छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड एवं राष्ट्रीय बीज निगम से क्रय किये जाने संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया है, इस प्रकार जिला स्तर पर की गई कार्यवाही से कृषकों में शासन के प्रति किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो अपना ध्यानाकर्षण लगाया है उसमें एक विषय मैंने लिखा है कि जिले में सूरजमुखी का हाईब्रिड बीज नेशनल स्वीप कार्पोरेशन के माध्यम से प्रभारी उप संचालक द्वारा खरीदा गया। उक्त बीज हाईब्रिड है ही नहीं, जब बीज को जांच हेतु भेजने की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अन्य अधिकारियों द्वारा बात कही गयी तो ऐसे अधिकारी को ही पद से हटा दिया गया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जिले द्वारा टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजनान्तर्गत नेशनल सीड कार्पोरेशन (एन.एस.सी) से हाईब्रिड सूरजमुखी बीज आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया। अब ये आदेशित किया गया तो यह बीज आया या नहीं आया तो इसकी जांच कराई गई या नहीं, आप एक उत्तर तो यह दे दीजिए। दूसरा जब जांच कराते हैं तो प्रदायकर्ता को इसकी सूचना दी जाती है तो इसकी सूचना कब दी गई और प्रदायकर्ता भी जांच कराने का भुगतान करता है तो प्रदायकर्ता ने भुगतान कब किया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, सूरजमुखी का बीज केवल 5 क्विंटल 28200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रदाय आदेश क्रमांक 3692 दिनांक 19-11-2020 एन.एस.सी. रायपुर के द्वारा किसानों में वितरण कर दिया गया है। यह टोटल राशि 1.41 लाख होती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी राशि का महत्व नहीं है। मेरे जिले में बहुत से प्रकरण ऐसे आये हैं, जिसमें किसानों ने हाईब्रिड बीज खरीदा, सर्टीफाई बीज खरीदा और कहीं अंकुरण नहीं हुआ। कहीं धान में अंकुरण हुआ, आपके जिले के कांग्रेस के महासचिव शैली भाटिया जी हैं, उनके खेत में सरना का बीज खरीदा गया, आधे में बाली आ रही थी तो आधा पककर तैयार हो गया था और आपके विभाग ने रिपोर्ट दी कि बीज गलत था, उसके चलते ये स्थिति निर्मित हुई है। मात्रा भले छोटी हो सकती है, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि मात्रा छोटी है। पर मैंने जो प्रश्न किया है कि किसान को बांटने के पहले जब अधिकारी आपत्ति कर रहे हैं कि हाईब्रिड नहीं है तो इसको जांच के लिए नहीं भेजा गया, उसके पीछे क्या कारण है ? क्या उस पर आप कार्यवाही करेंगे ? मेरा आपसे दूसरा प्रश्न यह है कि आपने स्वयं ने उत्तर में स्वीकार किया है लगभग 80 लाख रुपये का 500 टन चूना खरीदा गया, मैंने अपने ध्यानाकर्षण में 100 टन ही लिखा था, आप आप 500 टन स्वीकार कर रहे हैं। यह जो 500 टन चूना खरीदा गया है, वास्तव में चूना आया ही नहीं है, खाली बिलिंग हुई है, इसका भौतिक सत्यापन तत्काल करवाकर कार्यवाई कर सकते हैं ?

सभापति महोदय :- आपका दो प्रश्न एक साथ आ गया। माननीय मंत्री जी जी जवाब देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप चूना के बारे में क्या बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया।

सभापति महोदय :- वह बोल रहे हैं कि क्या भौतिक सत्यापन करायेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने दो प्रश्न किया है। माननीय मंत्री जी मैं फिर से आपको बता देता हूं। आपने 5 क्विंटल सूरजमूखी के बीज की बात की है, ठीक है मात्रा कम है, राशि कम है। पर जिले में लगातार शिकायत आ रही है कि हाईब्रिड के बीज के नाम पर किसानों को बीज दिया जा रहा है, कहीं बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, कहीं बीज अंकुरित हो रहा है तो उसकी बाली आने के समय में इतना अंतर है कि एक में बाली आकर पकने की तैयारी में हो गया और एक में बाली आने की शुरूआत हुई। आपके विभाग के अधिकारी भी रिपोर्ट में स्वीकार करते हैं कि बीज गलत आया है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी चूना के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने दोनों प्रश्न किया है।

सभापति महोदय :- वह तो समझ गये हैं, चूना के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने चूना के बारे में कहा कि 500 टन चूना 80 लाख रुपये का खरीदा गया। चूना पहुंचा ही नहीं और बिल बन गया। क्या इसका भौतिक सत्यापन करायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, ध्यानाकर्षण के मूल आधार में तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं गड़बडी हुई है। प्राइमाफेसी राशि कितनी है, किस तरीके से खरीदी हुई है, योजनाओं का कितना अमल किया जा रहा है, कितना नहीं किया जा रहा है, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इसकी जांच करा लूंगा। आपने वहां भौतिक सत्यापन के लिए कहा है, अगर आप चाहेंगे तो उस तरीके से करा लिया जायेगा और अगर कहेंगे तो पूरे मामले की जांच करा दूंगा।

सभापति महोदय :- रजनीश कुमार सिंह को प्रश्न पूछने दीजिए न। आखिरी प्रश्न कर लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप भौतिक सत्यापन के लिए समय दे देंगे न तो 500 टन चूना एक दिन में पहुंच जायेगा। पहुंचने में समय कितना लगता है। आज आदेश होगा, शाम तक गाड़ियां लोड होकर वहां पहुंच जायेंगी। मैंने अपने ध्यानाकर्षण में फोकस बिलिंग की भी शिकायत की है। मैंने कुछ बिल क्रमांक भी डाले हैं। मैंने यहां तक लिखा है कि एक समान तो ऐसा मंगाया गया कि जिसमें दो बार बिलिंग करके उसका बिल निकालने का प्रयास किया गया। इसके लिए जिस अधिकारी ने मना किया, उस अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया। क्या ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करेंगे जो लगातार शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहा है, किसानों को लाभ से वंचित कर रहा है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- शिवरतन भैया, मैंने तो सदन में कहा कि मैं उसकी जांच कराऊंगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। जिस स्तर के अधिकारी से जांच कराने के लिए कहेंगे। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं कि प्राइमाफेसी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है लेकिन एक बार जांच का अवसर देंगे न।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, उनको भी पूछने दीजिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको स्वयं को लग रहा है कि प्रथम दृष्टि में गड़बड़ी लग रही है तो आप प्रथम दृष्टि में सदन में कार्यवाही की घोषणा कर दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा न, मैं अपने कमिश्नर को, आप कहेंगे तो एडिशनल सेक्रेटरी को भेजकर, एक-बार जांच होने दीजिए न । सब पर कार्यवाही होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या प्रभारी उपसंचालक को निलंबित करके जांच करायेंगे? क्योंकि वह वहां रहेगा तो गड़बड़ करेगा । मेरा आपसे यह अंतिम प्रश्न है कि क्या इसको निलंबित करके जांच करायेंगे ?

सभापति महोदय :- श्री रजनीश कुमार सिंह ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाये। मेरा अंतिम प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- आपने इसमें 5-6 प्रश्न कर लिये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या इस प्रभारी उपसंचालक को निलंबित करके जांच करायेंगे ?

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जांच कर दीजिये, इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कह रहा हूं कि जांच कराउंगा ।

श्री सौरभ सिंह :- निलंबन कर दीजिए, यहीं से निलंबन कर दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- निलंबन करके जांच कराईये जिससे जांच प्रभावित न हो। निलंबन करके जांच कराईये ।

श्री सौरभ सिंह :- जांच प्रभावित न हो, आप निलंबन करा दीजिये । सदन की गरिमा बढ़ेगी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- श्री रजनीश जी का प्रश्न सुन लूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनका भी प्रश्न यही है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- यदि निलंबन की घोषणा करते हैं तो मेरा भी प्रश्न यही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सबका प्रश्न वही है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, लगातार विधानसभा में बिलो स्टेण्डर्ड बी. इस प्रकार प्रदाय की जाने वाली सामग्री और हर प्रकार की शिकायत होती है । सदन में, विधानसभा में अगर माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया तो मैंने निश्चित रूप से यह कहा था कि मैं जांच कराउंगा करके, प्रभारी उपसंचालक को मैं निलंबित करता हूं और मैं कमिश्नर के माध्यम से इसकी जांच कराउंगा और आवश्यक हुआ तो उसके बाद की भी कार्यवाही की जायेगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- अब यह ध्यानाकर्षण समाप्त हो गया ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और भविष्य में किसी जिले में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये ध्यान रखने की आवश्यकता है और शासन को ऐसी कोई ठोस नीति बनानी चाहिए ।

सभापति महोदय :- अब हो तो गया । मंत्री जी ने आपकी सारी बातों का जवाब दे दिया, आपकी पूरी मांगों को पूरा कर दिया ।

श्री नारायण चंदेल :- धन्यवाद ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बीएसयूपी आवासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- मेरे विधान सभा क्षेत्र के सड्डू, कचना, अमलीडीह, सोनडोंगरी एवं देवपुरी में बीएसयूपी आवास बने हुए हैं । बीएसयूपी आवास की परिकल्पना एवं योजना मुख्य रूप से गरीब, आवासहीन परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु लायी गयी है, किंतु उन आवासों पर गुंडे, बदमाश और दबंग किस्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर आवास को लाखों रूपये में लेकर बेचने का धंधा चला रहे हैं । गुंडे बदमाश लोगों का आश्रय होने के कारण यहां निवासरत गरीब परिवारों में काफी डर का माहौल है और परिवार की महिला सदस्यों की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित हैं । कानून व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है । दूसरा इन बीएसयूपी आवासों में जो वास्तविक जरूरतमंद गरीब निवास कर रहे हैं उन्हें सहूलियत कम और कठिनाई भरपूर है । इन आवासों में पानी, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की गंभीर समस्या है । आवासगृह आम सड़क मार्ग से दूर एवं शहरी संपर्क से दूर बनाए गये हैं । जहां आवागमन के लिए बस की सुविधा नहीं है । वहां निवास करने वाले गरीब परिवार के लोगों के पास आने-जाने का अन्य साधन न होने से काफी कठिनाई हो रही है । इन आवागृह के पास काफी गंदगी फैली हुई है और साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है । गंदगी के कारण प्रदूषण की समस्या के साथ ही स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है । गंदगी के कारण लोगों का आवासगृह में रहना कठिन हो गया है । इन आवासगृहों की घटिया निर्माण भी एक बड़ी समस्या है । इसके कारण सीपेज की गंभीर समस्या है । बरसात में छत से पानी टपकना आम बात है । दरवाजे, खिड़की, रंग रोगन की कोई व्यवस्था नहीं है । नालियों की सफाई की व्यवस्था नहीं है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं बची है जो एक झुग्गी झोपड़ी एवं स्लम क्षेत्र में होती है । जनप्रतिनिधि होने के नाते इन आवासगृहों में जब भी भ्रमण के लिये जाना होता है तो लोग समस्याओं का अंबार लेकर खड़े होते हैं । शासन से समस्याओं के निराकरण की शीघ्र अपेक्षा है ताकि यहां के निवासियों का जीवन चिंतामुक्त और सरल हो सके। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण वहां निवासरत लोगों में शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन अंतर्गत बीएसयूपी (बेसिक सर्विसेस फॉर अरबन पुअर) योजना अंतर्गत रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र-48 के अंतर्गत सड्डू, कचना, अमलीडीह एवं सोनडोंगरी में कुल 5616 आवासों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का निर्माण किया गया है । यह कथन सत्य नहीं है कि इन आवासों में गुंडे, बदमाश एवं दबंद किस्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है । दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर आवास को लाखों रूपये लेकर बेचने का धंधा चला रहे हैं । गुंडे, बदमाश लोगों का आश्रय होने के कारण यहां निवासरत् गरीब परिवारों में डर का माहौल है ओर परिवार की महिला सदस्यों की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित हैं । कानून व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है । अपितु वस्तुस्थिति यह है कि नगर पालिक निगम द्वारा स्लम में रहने वाले हितग्राहियों को नियमानुसार तथा पात्रतानुसार आवास आबंटन किया गया है । पुलिस प्रशासन द्वारा भी समय-समय पर इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। यह भी सही नहीं है कि इन बीएसयूपी आवासों में जो वास्तविक जरूरतमंद गरीब निवास कर रहे हैं, उन्हें सहूलियत कम और कठिनाई भरपूर है । इन आवासों में पानी, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की गंभीर समस्या है । आवासगृह आम सड़क मार्ग से दूर एवं शहरी सम्पर्क से दूर बनाये गये हैं, जहां आवागमन के लिए बस की सुविधा नहीं है । वहां निवास करने वाले गरीब परिवार के लोगों के पास आने जाने का अन्य साधन न होने के कारण काफी कठिनाई हो रही है । इन आवासगृहों के पास काफी गंदगी फैली हुई है और साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है । इसके कारण प्रदूषण की समस्या के साथ ही स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है । गंदगी के कारण लोगों का आवासगृह में रहना कठिन हो गया है । अपितु, वस्तुस्थिति यह है कि इस योजना के तहत प्रत्येक स्थानों पर पक्की सड़क, नाली, बिजली एवं पानी की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक योजना में सम्पवेल, बोरवेल एवं अमृत मिशन की जल प्रदाय योजना के तहत सम्पवेल तक पाईप लाईन बिछायी जाकर पेयजल वाहिनी से जोड़ा गया है, जिससे कि हितग्राहियों का नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । परिसर में विद्युतीकरण अंतर्गत स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की गई है । बीएसयूपी परिसरों हेतु निगम द्वारा पृथक से सफाई गैंग की व्यवस्था कर नियमित रूप से साफ सफाई कराई जा रही है । बीएसयूपी योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का पहुंच मार्ग मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है तथापि निगम द्वारा लोगों के आवागमन हेतु कचना एवं सड्डू में सिटी बस की व्यवस्था की गई है । मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत एमएमयू के द्वारा भी इन बीएसयूपी परिसरों में निवासरत लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा कराया जा रहा है ।

बीएसयूपी योजना हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26.11.2010 के अनुसार आवासीय परिसरों के हितग्राहियों को रहवासी संघ का गठन कर आवासीय परिसर का रखरखाव सामूहिक तौर पर भागीदारी के माध्यम से किया जाना है । उन्हें सदैव आवासीय परिसर में स्वच्छता बनाये रखते हुए बिजली एवं जल के उपभोक्ता शुल्क का भुगतान स्वयं किया जाना है ।

यह कथन भी सही नहीं है कि इन आवासगृहों का घटिया निर्माण भी एक बड़ी समस्या है । इसके कारण सीपेज की गंभीर समस्या है । बरसात में छत से पानी टपकना आम बात है । दरवाजे,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खिड़की, रंग-रोगन की कोई व्यवस्था नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि बीएसयूपी आवास का निर्माण वर्ष 2012 में पूर्ण किया गया है। संधारण कार्य हितग्राहियों को ही रहवासी संघ के माध्यम से कराया जाना था, किंतु इसके नहीं होने से मरम्मत एवं रंग-रोगन नहीं हो पा रहे थे । माननीय विधायक महोदय की मांग पर ही छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रमांक 6833, दिनांक 02.08.2017 द्वारा राशि रूपए 2.00 करोड़ सड्डू में निर्मित आवासों के संधारण हेतु एवं आदेश क्रमांक 2115 दिनांक 19.03.2018 के माध्यम से बीएसयूपी आवासों के संधारण कार्य हेतु राशि रूपए 8.227 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति नगर पालिक निगम रायपुर को प्रदान की गई है । उक्त राशि से निगम द्वारा बीएसयूपी आवासों का संधारण कार्य किया गया है । निगम द्वारा सड्डू, कचना, अमलीडीह, सोनडोंगरी में सामुदायिक भवन की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालि निगम द्वारा बीएसयूपी के निर्मित आवास के निवासियों हेतु उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करने से शासन के प्रति कोई आक्रोश, असंतोष नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सभापति महोदय, एक बार लोक लेखा समिति देखने गई, एक बार नगरीय निकाय पंचायत समिति भी देखने गई । उन समिति के सदस्यों से पूछा जा सकता है, प्रमुख सचिव महोदय खुद थे । शौचालय का पानी किचन में टपकता है, ऐसी कैसे क्वालिटी है, इसको जरूर दिखवा लें । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं क्या सम्पूर्ण स्थिति को साफ करने के लिए, क्या मेरे साथ बीएसयूपी में चलकर आप खुद देख लें कि क्या स्थिति है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, निश्चित रूप से हमारे माननीय सत्तू भैय्या सबसे सीनियर नेता हैं और वे हमें ले जाना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर जाकर देख लेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैंने कुछ यह भी जिक्र किया कि कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं। विधान सभा थाने में कितनी बार रिपोर्ट हुई है, मंत्री जी आप दिखवा लें। कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग घूस गये हैं, जो अपात्र हैं। इसका कभी भौतिक सत्यापन हुआ नहीं। वेरीफिकेशन हुआ नहीं कि कौन या किसे अलॉटमेंट है, किसे नहीं है। लोग घूसे हुए हैं। आप कृपया करके उसके आबंटन का भी सत्यापन करवा लें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। क्या आप उसका सत्यापन करवायेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, 1516 जो निर्मित आवास हैं, उसमें 5403 जो आवास हैं, आबंटित कर दिये गये हैं और 213 मकान जो रिक्त हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ लोग होंगे। तो जो रिक्त मकान हैं, उसमें अगर कुछ लोग गये हैं या घूस गये हैं, ऐसा हमारे आदरणीय विधायक जी बता रहे हैं तो हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- माइक चला लीजिए न सर।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बटन दबा लीजिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- 8.287 करोड़ में किस-किस बी.एस.यू.पी. में कितना- कितना खर्चा किया गया ? यह भी जानकारी दे दीजिएगा। अभी नहीं है तो बाद में दे दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह तो स्वीकृत आप ही करवाये थे। नियम में प्रावधान नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ये 8.287 करोड़ की यह जो खर्च हुआ है, उसके व्यय का विवरण आप अलग-अलग बाद में दे दीजिए। अगर अभी नहीं हो तो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, ठीक है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। अब मैं नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा।

समय :
12.51 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

(माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हुईं)

समय :
12.52 बजे

वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	**28**	**राज्य विधान मण्डल**
मांग संख्या	**13**	**कृषि**
मांग संख्या	**14**	**पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**16**	**मछली पालन**
मांग संख्या	**54**	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**23**	**जल संसाधन विभाग**
मांग संख्या	**45**	**लघु सिंचाई निर्माण कार्य**
मांग संख्या	**75**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**
मांग संख्या	**57**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या	-	28	राज्य विधान मण्डल के लिये- सत्तर करोड़, उनचास लाख, तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	13	कृषि के लिये- चार हजार छः सौ चार करोड़ तिरपन लाख, अट्ठानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ तिहत्तर करोड़, बयासी लाख, उनतालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	16	मछली पालन के लिये - बयासी करोड़, अड़तीस लाख, चालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- दो सौ पचपन करोड़ रूपये,
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग के लिये- एक हजार एक सौ उनतालीस करोड़, सैंतालीस लाख, अट्ठावन हजार रूपये,
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- चार सौ तिरपन करोड़, अट्ठानबे लाख, छत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये- छः सौ निन्यानबे करोड़, छः लाख रूपये तथा
मांग संख्या	-	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये- सात करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

<u>मांग संख्या-28</u>

<u>राज्य विधान मण्डल के लिये</u>

निरंक

<u>मांग संख्या- 13</u>

<u>कृषि</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निरंक

मांग संख्या-14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 1

मांग संख्या-16

मछली पालन

निरंक

मांग संख्या-54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या-23

जल संसाधन विभाग

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 2

मांग संख्या-45

लघु सिंचाई निर्माण कार्य

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 2

मांग संख्या-75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

निरंक

मांग संख्या-57

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

निरंक

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताप प्रस्तुत हुए । अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-28, 13, 14, 16, 54, 23, 45, 75 और 57 इन सभी मांगों का समर्थन करता हूं और इसके समर्थन में बोलने लिए खड़ा हुआ हूं । इधर इनमें बीते 15 सालों के शासनकाल की कुव्यवस्था को सुनने का साहस नहीं है और पूरे का पूरा विपक्ष गायब हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास का केन्द्र कृषि है । जब कृषि का क्षेत्र विकसित होगा, जब हमारी कृषि समृद्ध होगी तो हमारे किसान भी समृद्ध होंगे । इस प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था खेती किसानी और किसानों से जुड़ा हुआ है । दुर्भाग्य है कि जिन्होंने 15 साल शासन किया, उन्होंने इस बात को नहीं समझा, उन्होंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम सबसे सामने में है, जो इस प्रदेश की जनता को, किसानों को, गरीब को, मजदूरों को सभी को बड़े पैमाने में भुगतान पड़ा है । हम लोगों ने देखा है कि इनके 15 सालों के कुशासन में खेती लाभ की बजाय पूरी तरह से घाटे का काम हो चुका था । लोग खेती से विमुख होने लगे थे । पुराने 15 सालों के आंकड़े बताते हैं कि हमारी खेती का लाखों एकड़ रकबा लोगों ने बेचा, अन्य प्रयोजनों हेतु बेचा, कहीं उद्योग के लिए बेचा, कहीं अन्य कारणों के लिए बेचा, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारी कृषि का लाखों एकड़ रकबा बिका । लाखों किसान, जो कल तक किसान कहलाते थे, वे खेतिहर मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए । यह आंकड़े अपने आप में इस प्रदेश में 15 सालों से किसानों को बरबाद करने का जो दुष्चक्र चला है और आत्महत्या, आत्महत्या तो सरकारी आंकड़े हैं, वह बहुत कम दिखाये जाते हैं क्योंकि सरकार उनको किसान ही नहीं मानती, जिनके नाम पर खेती-किसानी नहीं है । मान लो मेरे पूर्वजों के नाम पर खेती है, मेरे बाप-दादाओं के नाम पर खेती है, मेरे बाप-दादाओं के नाम पर खेती है और मैं खेती कर रहा हूं। मैं खेती कर रहा हूं, मेरे नाम पर जमीन नहीं आई है तो मैं किसान नहीं हूं। छत्तीसगढ़ में लगभग 50 प्रतिशत खेती रेगहा, अधिया से होता है। ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर जमीन नहीं है लेकिन खेती ही उनका मूल पेशा, कार्य है। वह आत्महत्या करता है तो सरकार की डिस्नरी में किसान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है और यही हुआ है। वह जो आंकड़े बताये हैं, अभी भी जो सरकार रिकार्ड में है जो थाने में दर्ज है। आज अवश्य ही बहुत दुर्भाग्यजनक है, वर्ष 2015 में 854 किसानों ने आत्महत्या की, वर्ष 2016 में 585, वर्ष 2017 में 285, वर्ष 2018 में 182, वर्ष 2019 में 233, वर्ष 2020 में 200 लोगों ने आत्महत्या की है लेकिन जो इस दौरान कुल आत्महत्या हुई है वह काफी बड़ी संख्या है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2015 में आत्हत्या के कुल 7118 प्रकरण हुए, वर्ष 2016 में 6007 लोगों ने आत्महत्या की, वर्ष 2017 में 6312 लोगों ने आत्हत्या की, वर्ष 2018-19 में 7629 लोगों ने आत्महत्या की। इसमें अधिकांश लोग किसान हैं। ये उसी तरह के किसान हैं जो इनकी किसान की परिभाषा में नहीं हैं। क्या बड़े उद्योगपति ने आत्महत्या की है, क्या किसी बड़े अधिकारियों ने आत्महत्या की है ? ये वही साधारण तपके के हैं, जब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हम लोग यह कहते हैं कि गांव में हमारे 80 प्रतिशत लोग रहते हैं, खेती किसानी पर 80 प्रतिशत लोगों की जीवन आधारित है तो ये आंकड़े कहां के हैं ? ठीक है, आप उसको किसान के रूप में चिन्हित नहीं कर रहे हैं लेकिन वे कहीं न कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। आज लगातार आत्महत्या, खेती, किसानी से जुड़ा हुआ विषय है। चाहे वह खेती का काम हो, सिंचाई हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, विद्युत हो, ये सारी चीजें हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। आज हमारी वर्तमान सरकार बनने के बाद जो प्राथमिकताएं तय की गयी है, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में भी जिन चीजों को उल्लेखित किया गया था कि हमारे प्रदेश में किसानों में तरक्की खुशहाली आयेगी। पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। उन प्रमुख बिन्दुओं को, जो प्रमुख हिस्से थे, यह सरकार खाली घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में ही सीमित थी। हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करते ही तत्काल उसी दिन जो बड़े फैसले लिये कि इस प्रदेश के किसानों का लगभग 9 हजार करोड़ से अधिक किसानों का पूरा कर्ज माफ किया। जो वादा था कि हम 2500 रूपये क्विंटल में धान की खरीदी करेंगे, सिंचाई कर का बकाया राशि माफ करेंगे, सरकार बनते ही सिंचाई कर को भी पूरी तरह से माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसी तरह से किसानों ने सोचा भी नहीं था कि जो धान बिक गये थे, उसको भी हमको भुगतान 2500 रूपये क्विंटल में होगा। यह किसानों की सरकार है। इन लोग अपने आपको नकली किसानों की सरकार कहते रहे। यह वास्तविक सरकार है। मैं समझता हूं इतना बड़ा कर्ज इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। किसी प्रदेश में नहीं किया। सारे के सारे किसानों के कर्ज माफ हो। यहीं आज संभव हुआ है। सिंचाईयों के 15 साल के कर बकाये थे, उसको माफ किया गया और आज धान की कीमत ऐतिहासिक है। 2500 रूपये क्विंटल धान कोई सपने में भी नहीं देख सकता, पूरे हिन्दुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ प्रांत है जहां कि सरकार ने आज एक साल नहीं, दो साल नहीं, आज यह तीसरा वर्ष है। लोग बोलते थे कि शायद एकात साल देकर भूल जायेंगे, घोषणा पत्र को भूल जायेंगे, वादे को भूल जायेंगे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने हमारी सरकार ने लगातर इस बात को दोहराया कि कोई किसान चिंता न करें, जब तक हमारी पांच साल की सरकार है, पूरा पांच साल तक किसानों को उनकी उपज का 2500 रूपया क्विंटल दाम मिलेगा। लेकिन इनको अब यह भी बर्दाश्त नहीं है। इनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उनको बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कानून बना दिया कि अगर कोई भी राज्य समर्थन मूल्य से अधिक दाम में धान की खरीदी करता है तो हम उनका चावल नहीं खरीदेंगे। यह कहां का कानून है ? आप नहीं दे पा रहे हो तो ठीक है, आप बोनस नहीं दे सकते तो ठीक है। आपके मन में किसानों के प्रति कोई दर्द नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो सरकार दे रही है, आप उसे क्यों रोक रहे हो। हमारी सरकार की सक्षमता है कि वह किसानों को 2500 रूपया देना चाहती है तो आप उस पर रोक लगा रहे हो। पिछले साल भी सख्त आदेश हुआ था। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अंतर की राशि को देने के लिए एक नया कानून, नया नियम "राजीव गांधी किसान न्याय योजना" बनाकर अपने वादों को पूरा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया और किसानों को न्याय और उनका हक दिलाया। आज उनको 10 हजार रूपया प्रति एकड़ की राशि दी गई है। उनके फसल के समर्थन मूल्य और 2500 रूपये में जो अंतर था, वह राशि दी गई। जो बकाया राशि है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मार्च तक सारी राशि उनके खाते में चली जायेगी। लगभग 5,700 करोड़ रूपये की राशि अगले साल के लिए इस बजट में रखा है। यह हमारी सरकार की स्पष्ट नीयत है कि अगले साल भी उस राशि को देने के लिए बजट में प्रावधान किया है। यह होता है किसानों के पति समर्पण और आज यह संभव है। इधर सारे के सारे किसान लोग बैठे हैं। उधर कौन लोग थे, यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आज इधर किसान लोग बैठे हैं, तब आज यह संभव हो रहा है। आज कांग्रेस की सरकार में किसान प्राथमिकता में है, खेती-किसानी प्राथमिकता में है, तब आज यह हो रहा है। पूरे 15 साल सिंचाई के क्षेत्र में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया है। एनीकट बनाये गये। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने 500 एनीकट की घोषणा की थी, लेकिन डेढ़ हजार से ज्यादा एनीकट का निर्माण हो गया है। क्यों ? क्योंकि एनीकट एक भ्रष्टाचार, आमदनी का जरिया बन गया था। कुछ 2-4 चहेते ठेकेदार थे, जिन्होंने कभी नीचे तक फाउण्डेशन नहीं बैठाया। कहीं किसी एनीकट में पानी नहीं रूक रहा है। जब हमें सिंचाई की आवश्यकता है, तो उन एनीकटों में आज एक बूंद पानी नहीं है। जब बाढ़ आता है तब उसके गेट आपरेट नहीं होते, गेट नहीं खुलते हैं। जब बारिश में गेट खोलना है, तो गेट नहीं खुलता है। बारिश के बाद जब गेट बंद करना हो तो गेट बंद नहीं होता है। मेरा अनुमान है कि लगभग 15-20 हजार करोड़ रूपये, उससे भी अधिक राशि का भ्रष्टाचार किया गया है। यह पूरा जनता का पैसा है, जनता का राजकोष है, इन्होंने इस पर खुले आम डकैती डाली है। मैं हमारे जल संसाधन मंत्री जी से कहूंगा कि सारी एनीकटों की जांच कराई जाय, 10 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली सभी एनीकटों के फाउण्डेशनों और गेट की जांच होनी चाहिए, उससे इनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जायेगा। इन लोगों ने जिस तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, वह जनता के सामने, किसानों के सामने अपने आप आ जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यही हाल कृषि के क्षेत्र में था। हम लोग किसान हैं। हम लोग देखते थे कि छत्तीसगढ़ नकली खाद, नकली कीटनाशक दवाईयों का सबसे बड़ा बाजार बन गया था। हम लोग बहुत शिकायत करते थे। हमने अखबारों में कभी नहीं पढ़ा कि किसी नकली खाद, नकली दवाई बनाने वाले के ऊपर कोई छापा पड़ा हो, किसी का लायसेंस रद्द किया गया हो, कोई कार्रवाई की गई हो। इन के ऊपर 15 साल तक कही कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आज हमारी सरकार आई है। हम लोगों ने देखा कि लगातार कार्रवाईयां हो रही हैं। आज नकली खाद-बीज बनाने वाले और बिक्री करने वाले लोग हैं, वहां लगातार छापे मारे गये हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार इस दिशा में बहुत सार्थक पहले की। लगातार छापे पड़े, उन्होंने लगातार कार्रवाई की ताकि किसानों को आज प्रदेश में नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक का शिकार होना नहीं पड़ रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में भी यह फर्जी आंकड़े

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देते थे कि इतना रकबा हो गया है। आज हमारी सरकार ने जो प्राथमिकता तय की है, और जिस तरह से सिंचाई के वास्तविक रकबे बढ़े हैं, मैं उसे संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। वर्ष 2017 में जब इनकी सरकार थी तो 9 लाख 68 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी और वर्ष 2018 में मात्र 11.16 लाख हेक्टेयर में, वर्ष 2019 में हमारी सरकार आने के बाद संसाधनों का बेहतर व्यवस्थापन हुआ तो लगभग 13 लाख हेक्टेयर तक हमारी वास्तविक सिंचाई पहुंची है। इसी तरह से अभी इस वर्ष 12.63 लाख हेक्टेयर में खरीफ की सिंचाई की गई है। इस तरह से आज वास्तविक सिंचाई के रकबे में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। बोधघाट सिंचाई परियोजना जो कि हमारे बस्तर की जीवनदायिनी परियोजना है, आज उसे हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ स्वीकृत किया है और इस दिशा में आगे काम बढ़ा है। हमारी सरकार की जो प्राथमिकता थी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी इसमें भी काफी काम हुआ है।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, जी। अब आपका आदेश है, कहना तो अभी मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि में बहुत कुछ था लेकिन समय की कमी के कारण, मैं कुल मिलाकर यही कहूंगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता से इन सभी क्षेत्रों में काफी अधिक विकास हुआ है और कुल मिलाकर नतीजा यह है कि आज किसान इस सरकार से संतुष्ट है, किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है और इसलिए आज हमारी सरकार को हम सब लोग धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने राजकोष के एक-एक पैसे का सदुपयोग करके किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम किया है। माननीय सभपति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

समय :
1.12 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

<u>सदन को सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

उपाध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया) की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय कृषि मंत्री जी के मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल पहले हमारी सरकार बनी है और पिछले 15 साल के इनके कार्यकाल जो कि यहां आज उपस्थित नहीं हैं उनका कार्यकाल भी जनता ने देखा है। पिछले 15 साल में हर क्षेत्र में जनता के हित की अनदेखी हुई है। चूंकि आज मैं कृषि विभाग के अनुदान मांगों पर अपनी बात रख रहा हूं इसलिए किसानों की बात ही रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है तब से किसान खुश हैं, उससे पहले तो किसान त्राहि-त्राहि कर रहे थे। इनके कार्यकाल के 15 साल में लगभग 14 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। आखिर ऐसी परिस्थिति बनी क्यों? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और यहां के लगभग सभी किसान धान की खेती करते हैं। उन किसानों को अपने उत्पाद धान का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था जिसके कारण किसान परेशान थे, उनकी लागत बढ़ गई थी और इस स्थिति में किसान लगातार आत्महत्या भी किए। इन लोगों ने 15 साल कई मुद्दों में राजनीति की। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ में पहली बार इनकी सरकार बनी, तो इनहोंने लघु एवं सीमांत किसान की कर्जा माफी की बात कही थी, उसके बाद इन्होंने जो किसान का बिजली बिल होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच हार्सपॉवर में उन्होंने नि:शुल्क बिजली की बात कही थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने उसको 6 हजार यूनिट में सीमित कर दिया।
इन्होंने वर्ष 2013 जब इनकी आखिरी बार सरकार बनी तो 200, 300 रूपये बोनस और 2100 कीमत की बात कही। यह 5 साल सरकार में रहे और केन्द्र में इनकी सरकार रही। लेकिन यह लोग न 300 रूपये बोनस दिये और न ही 2100 रूपये कीमत दिये। इन्होंने आखिरी वर्ष में बोनस की राशि जरूर दी। लेकिन जनता जान गई थी और किसान पहचान गये थे कि इनकी नियत कैसी है? और उन्होंने सीधा उनको अर्श से उठाकर सीधा फर्श में बैठा दिया। यह लोग 14 की संख्या में सीमित हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने अपने वायदे के अनुसार कर्ज माफ किया। हमारी सरकार बनी तो उन्होंने धान की कीमत 2500 रूपये दिया। तब किसानों में बहुत हर्ष था। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने पैसा दिया, 2500 रूपये कीमत दिया और उनका कर्ज माफ किया। तो विधान सभा में एक परसदा करके गांव है। वहां मैं कार्यकर्त्ता की शादी में निमंत्रण में गया था जब मैं वहां पहुंचा तो अगल बगल में शादी हो रही थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हां, इनके यहां भी शादी हो रही है। मैं दोनों के यहां गया। उन्होंने बताया कि भईया, आप तो यहां तीन घर में शादी में पहुंच गये और हमारे गांव में उसी लगन में 27 शादी हो रही है। मैंने उनसे पूछा कि कैसे? तो उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में

किसान, मजदूर, परेशान थे और धन के अभाव में शादी नहीं कर पाये। इसलिए जो शादी रूक गई थी, वह भी हो रही है और जो इस साल होनी थी, वह भी हो रही है और जो अगले साल होनी थी जब किसान को पर्याप्त पैसा मिला तो एक छोटे से गांव में एक साथ 27 शादियां हुईं। मैं इस का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि किसान, ग्रामीणों में कितना हर्ष था। उनकी आर्थिक समृद्धि कितनी बढ़ी। इसलिए मैंने इस बात का उल्लेख किया।

मानानीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने हमें बहुत बड़ा बहुमत दिया है। हम आज दो तिहाई से अधिक की संख्या में यहां बैठे हैं। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमने हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी ने जो कहा उन वायदों को निभाया भी है। हमने किसान 2500 रूपये कीमती भी दी और जब इस साल 2500 रूपये कीमत दी है तो हमारा धान खरीदी निरूद्ध हो गया। अगले साल इन्होंने, इनकी केन्द्र सरकार ने हमें धान खरीदी से रोकने का प्रयास किया। उन्होंने हमारी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने को कहा और हमने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की, लेकिन हमने वायदा किया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने किसानों को लगातार पैसा दिया। हमने कोराना काल में भी हमने 3 किश्त दी है और अगली किश्त भी दे देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस का उल्लेख किया है। जब इन लोगों की सरकार थी तो इन्होंने कुल 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की थी। हम लोगों ने यहां लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। आज यह लोग नहीं है यह लोग बार-बार कहते थे कि हमने जो वन अधिकार पट्टा दिया है उन कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ? हमारी सरकार ने, हमारे जो वन अधिकार पट्टाधारी हैं जो कृषक हैं उनके 32 हजार 23 कृषकों का 10 लाख 70 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की है

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसानों के पम्प पर हम नि:शुल्क बिजली दे रहे हैं इसका भी हमने बजट में प्रावधान किया है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारे नदी नाले हैं और नदी नाले के किनारे बिजली नहीं होने के कारण लोग डीजल से सिंचाई करते थे। हालांकि ऊर्जा विभाग का है लेकिन सिंचाई से मामला जुड़ा है इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि इस दिशा में हमारी सरकार ने ध्यान दिया है और नदी, नाले के किनारे बिजली लाईन का विस्तार भी हमारी सरकार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,   हमने जल संसाधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया है। हमारे जो डेम हैं, हमारे जो सिंचाई के साधन हैं, उसमें हम कैसे सिंचाई की क्षमता बढ़ायें। इस पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। इसके लिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत नदी, नाले हैं। नदी, नाले के किनारे मछुआरे भी रहते हैं, उनके लिए भी बजट में 171 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए भी मैं हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन के लिए हमारे प्रदेश में अनुकूल माहौल है। कुक्कुट पालन, बकरी पालन, सुअर पालन में ग्रामीण जन खासकर गरीब वर्ग की बहुत रूचि रहती है। इसमें भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उसमें भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारे रायगढ़ जिले में कड़कनाथ की विशेष प्रजाति का उत्पादन ग्रामीण लोग बहुत कर रहे हैं। ग्रामीण जनों को बहुत लाभ मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं उस प्रजाति के चूजे किसानों को उलपब्ध करायेंगे तो गरीब किसान आगे बढ़ेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी के क्षेत्र में भी हम लोगों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मुझे यह कहने में झिझक नहीं है कि हम लोगों ने डेयरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल की है। हमारे प्रदेश में किसान पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नायक जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट आपका संरक्षण चाहूंगा। आप तो बड़े भाई हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि जो सुराजी ग्राम योजना, नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना है, यह एक बडी योजना है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारे नदी, नाले हैं। अगर हम नरवा योजना में इनमें चेकडेम, बोरी बंधान बनाकर इनका संरक्षण करते हैं तो हमारा भूजल बढ़ेगा और हमारे किसानों को लाभ पहुंचेगा। जो हमारी गरवा योजना है, उसमें Day care centre के रूप में विकसित किया जा रहा है। घुरूवा में वेस्ट कंपोजर का उपयोग करके जैविक खाद का निर्माण कर रहे है। मैं कहना चाहूंगा कि नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी में बाड़ी का बहुत बड़ा स्थान है। हमारी सरकार सामुदायिक बाड़ी महिला समूह को दे रही है और हमारी महिलायें उससे समृद्ध हो रही हैं। राम तिल प्रोत्साहन योजना में किसानो को नि:शुल्क बीज दे रहे हैं। यह एक बड़ी चीज है। शाकम्भरी योजना, हमारी सरकार ने सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए जो प्राकृतिक जल स्त्रोत हैं, उनका समुचित उपयोग करके किसानों के लिए जो जल उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके लिए बजट में 1300 लाख का प्रावधान रखा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सौर सुजला योजना, आने वाले समय में सौर ऊर्जा का बहुत महत्व रहेगा और सौर सुजला योजना से जब हम सिंचाई करेंगे, हमारी जमीन के अंदर का कोयला ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। सौर सुजला योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, यह बड़ा उल्लेखनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै उद्यानिकी विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। ग्रामीण जनों में और खासकर जो छोटे-छोट किसान हैं उद्यानिकी विभाग का उनके जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। नदी के तट होते हैं, कछार होते हैं, वहां पर हमारी लघु और सीमान्त किसानों को कृषि करने के लिए बढ़ावा दे रही है। वहां पर हमारे छोटे-छोटे किसान जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। ऐसे प्रोत्साहन से हमारे प्रदेश के छोटे किसान समृद्ध होंगे। मैं उद्यानिकी में बोल रहा हूं, हमारे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने फल क्षेत्र में विस्तार किया है। यह भी एक बड़ा काम है। हमारे किसान जो आज धान की फसल लेते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें एक साल में एक-बार पैसा मिलता है । फल के क्षेत्र में जो विस्तार कर रहे हैं इससे हमारे किसानों को नगद राशि मिलेगी । मैंने सब्जी के क्षेत्र में बताया कि आज हमारे जो किसान हैं, आज ग्रामीण क्षेत्र में उनको मशरूम के रोजगार का एक बड़ा अवसर दिखायी दे रहा है । आज गांव-गांव में किसान अपने-अपने घरों में, बाड़ियों में मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे इनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पुष्प के क्षेत्र में विस्तार किया है । हमारे प्रदेश में अधिकांश फूल बाहर से आते थे लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग फूल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं इसके लिये मैं हमारे माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ मांग रखना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक सोढ़ेकेला बांध है, वह बांध पिछली बरसात में अतिवृष्टि के कारण टूट गया, उसका शीघ्र निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है । मेरे क्षेत्र में एक पुसौर जलाशय है उसका जीर्णोद्धार कराया जाना जरूरी है, मेरे क्षेत्र में बरमकेला विकासखंड में वर्ष 2003 का बना हुआ एक झोरा जलाशय है । उसका गेट खराब है और उसका नहर पिछले 15 सालों में रखरखाव के कारण टूट गया है उसकी लाईनिंग और मरम्मत बहुत आवश्यक है ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके । मैं समझता हूं कि मेरी इन मांगों को हमारे माननीय मंत्री जी ध्यान से सुनेंगे।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- इसमें मैं भी समर्थन देती हूं ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक मांग करना चाहूंगा कि मेरे बरमकेला विकासखंड में बहुत सारे छोटे-छोटे डेम हैं और अगर बरसात में उन डेमों तक लिफ्ट में पानी उठाकर वहां डाल दें तो एक बड़ा लगभग-लगभग 7 से 8 हजार हेक्टेयर के रकबे में सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, यह एक बड़ी मेरी मांग है । ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का जो पानी है । जहां हमारा राज्य नदी और नालों के मामले में इतना समृद्ध है तो वहां का पानी अगर हम लिफ्ट करके डेम में डालेंगे तो एक बड़ा क्षेत्र सिंचित होगा और निश्चित रूप से जब एक बड़ा रकबा सिंचित होगा तो हमारे प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी और जब एक योजना सफल होती है तो हम हमारे प्रदेश में ऐसी कई योजनाओं को लागू करने के बारे में सोच सकते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे विकासखंड से थोड़ा सा नीचे जायेंगे उड़ीसा लगता है तो वहां पर उड़ीसा में ऐसी कई योजनाएं सफल हैं वहां पर महानदी से पानी को लिफ्ट करके खेतों तक भेजते हैं, वहां पर बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, कभी मौका मिला तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस विषय में भी कभी जानकारी ले लेंगे या

कभी भ्रमण कर लेंगे तो एक बड़ा विषय होगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विभागों की मांग संख्या- 28, 13, 14, 16, 54, 23, 45, 75, 57 के समर्थन में आज बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आपको याद होगा जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना । उस छत्तीसगढ़ राज्य की जो मांग हमारे छत्तीसगढ़ के उस वक्त पौने दो करोड़-दो करोड़ जो हमारी जनता थी । उस जनता ने जो छत्तीसगढ़ की मांग रखी उस मांग के आधार पर मुझे वह दिन याद है जब आप दिल्ली में हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिये, प्रदेश के गठन के लिए, प्रदेश के जन्म के लिए आप दिल्ली में लोकसभा में 31 अगस्त 2000 को आप लड़ाई लड़ रहे थे ।

समय :
1:30 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, तब आपने दिल्ली में क्या कहा था कि हम छत्तीसगढ़ राज्य को किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाना चाहते, हम छत्तीसगढ़ राज्य को किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बनाना चाहते, हम छत्तीसगढ़ राज्य को किसी राजनीति के लिए नहीं बनाना चाहते, हम छत्तीसगढ़ राज्य को किसी धर्म के लिए नहीं बनाना चाहते । हम छत्तीसगढ़ राज्य को उस व्यक्ति के लिए बनाना चाहते हैं जो किसान खेत में हल जोतता है, हम छत्तीसगढ़ राज्य को इसलिए बनाना चाहते हैं कि वह किसान हमारे प्रदेश में अनाज बोता है, हम छत्तीसगढ़ राज्य को इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वह फसल उगाता है और हम राज्य इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वह फसल काटता है और उसके बाद भी वह अपने परिवार का पालन नहीं कर पाता है । किसान इतना गरीब होता है । आपने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए दिल्ली में आवाज उठाई थी और किसानों के लिए ही आपने इस राज्य के गठन की बात की थी । लोक सभा में आपका यह वक्तव्य था, यह 20 साल पुरानी बात है । आज आपने भगवान भोलेनाथ का नाम आपने लिया था । उन्हीं भोलेनाथ ने छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च सदन में बिठाया है जिससे कि आप छत्तीसगढ़ राज्य की और कामना कर सकें, उसके विकास के लिए और पौने तीन करोड़ जनता की आवाज सुन सकें । आज मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 80 प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं । अध्यक्ष महोदय, यह हमारा कर्तव्य है कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें मौका दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास किया है । हम क्यों न इसको कृषि प्रधान प्रदेश बनाए, हम क्यों न इसको बहुत विकसित बनाएं, यहां लहलहाते हुए खेत बनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2013-14 में बजट पेश करते हुए माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने एक कविता पढ़ी थी, जो उनके दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट था । उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त की एक कविता पढ़ी थी, उसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उन्होंने किसानों के लिए दर्द दिखाया था । वह दर्द क्या था - बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है । है चल रहा है सन-सन पवन, तन से पसीना ढल रहा है । पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जिक्र कर रहा हूं । उन्होंने किसानों की चिंता की थी लेकिन किसानों के प्रति उन्होंने उस जिम्मेदारी से काम नहीं किया । माननीय धर्मजीत भइया ने कल मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं उनकी बातों का पूरा-पूरा ध्यान रखूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है जिसका 137.90 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें कि 44 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है । हमारे प्रदेश में बोया हुआ जमीन 48.00 लाख हेक्टेयर है, यानी कि बहुत ज्यादा है। यह आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश से किस प्रकार से खेती की जाती है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जल संसाधन विभाग में बोलना चाहता हूं । आज हमारा जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ की किस प्रकार से सेवा कर रहा है, मैं इस पर विशेष रूप से अपनी बात रखूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कुल 37 लाख किसान हैं जिसमें 80 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत है, 32 प्रतिशत किसान अनुसूचित जनजाति के और 12 प्रतिशत किसान अनुसूचित जाति के हैं । दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश नदियों से, तालाबों से भरा हुआ है । समस्त दिशाओं में नदियां और तालाब हैं। इसमें सबसे 4 महत्वपूर्ण बात है कि महानदी कछार का सबसे बड़ा एरिया 56 प्रतिशत है, गोदावरी कछार का 28 प्रतिशत और गंगा कछार का 13 प्रतिशत, ब्राम्हणी और नर्मदा का 1 और 0.5 प्रतिशत है । यानी कि 56 और 28 प्रतिशत वाले महानदी गोदावरी कछार में हमें सबसे ज्यादा योजनाएं बनाना है क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा सिंचाई हो सकेगी । यह हमारे प्रदेश के कछारों की स्थिति है । दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जो हमारा सतही जल है वह 28256 एमसीएम है । इतना सतही जल नदियों और तालाबों में है । माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात बताना चाहता हूं, जिसमें हम 41720 एम.सी.एम. यूज कर सकते हैं। तीसरी, महत्वपूर्ण बात जो हमारे यहां भू-गर्भीय जल है। जो भारत सरकार का सेन्ट्रल वाटर बोर्ड है, सी.डब्ल्यू.सी. उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे प्रदेश में नीचे यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे नीचे धरती में केवल 11630 एम.सी.एम. पानी है । इससे ज्यादा नहीं है और इसमें हम कितना यूज कर सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बात से जोड़ते हुए आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हम जो आज खेती कर रहे हैं, हम जो आज सिंचाई कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी वह सिंचाई हम पूरे प्रदेश में 11 हजार एम.सी.एम. पानी से कर रहे हैं। इतना पानी और इतना ही पानी हमारी जमीन के नीचे है। ये वैज्ञानिकों के आंकड़े, विभाग की जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम छत्तीसगढ़वासी 3 करोड़ लोग 44 प्रतिशत भू-गर्भीय जल का उपयोग कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 2 साल बाद बहुत भयानक स्थिति आ सकती है। यह आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का अगर देखते हैं तो टोटल ग्रॉस जो हमारे यहां..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास बहुत अच्छे आंकड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे अलग से नोट करके माननीय मंत्री जी से चर्चा कर लें। आपके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। आप अच्छा भाषण दे रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप बैठ भी जायें।

श्री शैलेश पाण्डे :- जी सर। बैठ जाउं ?

अध्यक्ष महोदय :- एक-दो मिनट में समाप्त करें। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मेरा बोलने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप बैठ ही जाओ। यह तो आप पहले करते थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 122 ब्लॉक विकासखंड है, जो भूजल से सुरक्षित हैं। हमारे पास 22 ब्लॉक ऐसे हैं जो थोड़े आंशिक सुरक्षित हैं और जो दो ब्लॉक हैं, वे बहुत संकट में हैं। हमारी सरकार जब आयी, उस सरकार ने सबसे पहले टार्गेट बनाया और टार्गेट बनाकर आगामी 10 वर्षों की योजनाएं बनाईं, उसमें 32 लाख हेक्टेयर के लिए हमने टार्गेट किया कि हम 32 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा कर पायेंगे। आज हमारे पास छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक सर्वाधिक 22 लाख हेक्टेयर में हमारा विभाग, हमारी सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सिंचाई करते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, आप सुनिए, वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक हमारे पास जो निर्मित क्षमता थी, वह 13.28 और आखिर में 14.53 लाख हेक्टेयर तक की क्षमता थी। ये निर्मित क्षमता हमारी सरकार की थी। जब इनकी सरकार आयी तो 15 वर्ष इन्होंने अंतिम 20.99 लाख हेक्टेयर तक का निर्मित क्षमता का इन्होंने केवल बनाया। मगर 15 साल में आपने केवल 5 प्रतिशत आगे बढ़ाया। इतना ही निर्माण किया। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। केपिटल एक्सपेंडीचर की बात करते हैं। आप पूंजीगत व्यय की बातें करते हैं, लेकिन आपने 15 साल में केवल 5 प्रतिशत ही आगे बढ़े। यह किसानों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है ? ये बड़ी-बड़ी बातें मंच में कहना, सदन में कहना, लेकिन आपने 15 सालों में तो करके नहीं दिखाया। जबकि आप जानते थे कि छत्तीसगढ़ जो है वह कृषि प्रधान है। आज किसानों को कहां से पानी देंगे। यह सरकार का दायित्व है। यह हमारा दायित्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। मेरे पास आंकड़े बहुत हैं, लेकिन मैं मुख्य परियोजनाएं बताना चाहता हूं । आप मुझे 5 मिनट और दीजिए। 5 मिनट में मैं अपनी पूरी बात रख दूंगा। पैरी जलाशय, कोडार जलाशय, तांदुला जलाशय, जोक डायवर्सन, खारंग जलाशय, मनियारी जलाशय, महानदी जलाशय, मिनी माता बांगो जलाशय, ये सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहां है। ये सारे बड़ी वृहद परियोजनाएं हैं। इनसे छत्तीसगढ़ में हम साढ़े 9 लाख हेक्टेयर सिंचाई करते हैं। जो दूसरी योजनाएं हैं, उन दूसरी योजनाओं में छोटो योजनाएं जिन्हें कहते

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं, उन छोटी योजनाओं में लगभग-लगभग लघु योजनाएं हैं, उनसे लगभग 10 लाख हेक्टेयर हम सिंचाई करते हैं और तीसरे हमारे लगभग 738 स्टॉपडेम, एनीकट हैं, इनके माध्यम से हम 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई करते हैं। आने वाले समय में हमारे राज्य में जो भैंसाझार परियोजना है, केलो परियोजना है, सोंढूर परियोजना है, ये वृहद परियोजनाएं हैं। भाटापारा शाखानहर डायवर्सन परियोजना हैं, ये सारे मिलकर हम करते हैं तो तो 1 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई रकबा बढ़ेगा। यह बहुत जल्दी होने वाला है । हमारी सरकार सारी चीजों को लेकर बहुत गंभीर है । मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की जिलेवार स्थिति है, वह जिलेवार स्थिति में जहां सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, वह बालोद एरिया है । दूसरा एरिया जांजगीर चांपा है, यानि कि आपका जिला, जहां पर हम 90 प्रतिशत सिंचाई करते हैं । हम बालोद में 98 प्रतिशत सिंचाई करते हैं और तीसरी सबसे महत्वूपर्ण सिंचाई रायपुर में होती है, जहां तक 73 प्रतिशत सिंचाई कर पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बालोद जिले की सिंचाई कितने प्रतिशत बतायी?

श्री शैलेश पांडे :- 98.5 प्रतिशत ।

अध्यक्ष महोदय :- और जांजगीर का कितना बताया ?

श्री शैलेश पांडे :- जांजगीर में 89.50 प्रतिशत सिंचाई रकबा है ।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया है, अब आप समाप्त करें ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी जानना जरूरी है कि जो बस्तर का ईलाका है, जहां पर .39 प्रतिशत, सुकमा में 1.10 प्रतिशत, नारायणपुर में 1.28 प्रतिशत, दंतेवाड़ा और बीजापुर में 1.98 परसेंट सिंचाई होती है । हम केवल इतनी की सिंचाई करते हैं । मैं सदन का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि आज माननीय मंत्री जी भी सुन रहे हैं, इस बात को हमारे सम्माननीय अधिकारीगण भी सुन रहे हैं । हमको ऐसी योजनाएं बनानी है, जो योजनाएं पूरे बस्तर को, सरगुजा क्षेत्र, जहां मध्यम सिंचाई हो रही है, उन क्षेत्रों में हमको जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं । हमारे राजस्व का जो बजट है, वह 678 करोड़ रूपए दिया गया है । जो बात विपक्ष कहता है, मैं उस बात को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने पूंजीगत में 2163 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान है । हमारी सरकार निर्माण पर ध्यान दे रही है, पूंजीगत व्यय पर ध्यान दे रही है, सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए ध्यान दे रही है, हमारी सरकार वास्तव में किसानों की रक्षा करती है इसलिए ध्यान दे रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो छोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बिलासपुर में अरपा नदी में दो बैराजों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने 100 करोड़ रूपए सेंशन किये, उसके लिए मैं बिलासपुर की जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं । दूसरा, मंत्री जी ने छपरा-टोला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परियोजना को सेंशन करके दिल्ली भेजा, जो कि लगभग 950 करोड़ की है और खारंग-अहिरन लिंक को भी अनुमोदित करके दिल्ली भेजा, जो 750 करोड़ की है । आने वाले समय में यह बहुत अच्छा हो जाएगा । हमारी सरकार का जो टारगेट है, जो जल संसाधन विकास नीति बनाई गई है, इसमें भू-जल के दोहन और जल प्रबंधन के लिए जो नीतियां हैं, इस नीति के अनुसार निपटा जाएगा । हमारी सरकार एक बुद्धिमत्ता का काम कर रही है। हमारी सरकार किसानों की हितैषी है और आने वाले 2028 तक मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम किसानों को 60 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं माननीय मंत्री जी के विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन के सबसे ज्यादा वरिष्ठतम सदस्य मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पुराने अनुभवी नेता, किसानों के दर्द को भी पहचानते हैं, आज ऐसे व्यक्ति कृषि एवं जल संसाधन मंत्री के रूप में यहां पर विराजमान हैं, लेकिन मैं कुछ प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा । पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की । आत्महत्या के जो प्रारंभिक निष्कर्ष सामने आये, उसमें यहां कुछ ऐसे लोग हैं, जो किसानों को सबसे बड़ा कमाई का जरिया मानते थे, उन लोगों ने किसानों को अमानक बीज, अमानक खाद, घटिया और नकली दवाइयों का वितरण किया, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी और इस बात को मंत्री जी ने भी स्वीकार किया । मंत्री जी अपने जवाब में यह जरूर बताएंगे कि इस प्रकार के कामों को रोकने के लिए आगामी वर्षों की अव्यवस्था न फैले, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी विधानसभा के अंदर आ रहा था तो किसी ने एक कागज दिया। फर्नीचर वाले को ऑयल एक्सपेलर मशीन सप्लाई का ठेका राजनांदगांव में दे दिये। अब यह कहां तक सहीं है गलत है, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। जो लोग होटल का व्यवसाय करते हैं वे लोग बीज निगम में सप्लाई करते हैं जो और कोई धंधा करता है वह बीज निगम में सप्लाई करता है। जो अच्छी फर्म जो, खेती किसानी से संबंधित हो, आप उन्हीं से लें, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि जो भी किसान है वह आपके ऊपर भरोसा करता है। सरकार जब भेज रही है तो वह उसके पास अमानक नहीं बल्कि मानक स्तर का पहुंचेगा।

माननीय मंत्री जी, बोधगाट परियोजना के बारे में क्या प्रगति हुई है, कितने रूपये का प्रावधान हुआ, उसमें कहां तक मामला गया है, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वहां के लोगों का विरोध है या नहीं है ? इस विषय में भी सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को जरूर अवगत करायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, महानदी जल विवाद के बारे में आज आप कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं ? महानदी से हमारा जल विवाद उड़ीसा से निपटेगा, नहीं निपटेगा, इस विवाद के नहीं निपटने से हमारे जो छोटे-छोटे नदी नाले हैं, उसमें भी बांध बनाने में बहुती सी अड़चने इस वाटर कमीशन या ट्रिब्यूनल के कारण हमारे बीच पैदा हो रही है जिसके कारण हमारी सिंचाई परियोजनाएं अधूरी है।

अध्यक्ष महोदय, पोलावरम बांध के बारे में भी जरूर बताईयेगा। पिछले सत्र में आपने डॉ. रेणु जोगी जी के ध्यानाकर्षण या प्रश्न में आपने कहा था कि वहां हमको देखना पड़ेगा। पोलावरम बांध नेशनल प्रोजेक्ट हो गया है। उस नेशनल प्रोजेक्ट को माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने भी बनाया है और श्रीमती सोनिया गांधी ने भी लिखित में उसका समर्थन किया है। लेकिन उस पोलावरम बांध के बनने के कारण हमारे सुकमा जिले में बहुत से लोग डूब रहे हैं। हमारा जंगल डूब रहा है, हमारी पिछड़ी जनजाति के आदिवासियों का बसेरा डूबने वाला है। उसके विषय में आप कहां हैं, क्या करेंगे और उनको कैसे बचायेंगे, रोकेंगे नहीं रोकेंगे, बांध कितना बन गया, नहीं बना? आप इन सारी बातों से जनता को जरूर अवगत कराईयेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि बिलासपुर में जो जल मिशन, अमृत जल मिशन है, उसमें पानी के लिये खूंटाघाट से पानी लाने का प्रावधान किया गया है। खूंटाघाट में इतना जल नहीं है जिससे वहां से पानी बिलासपुर की जनता को मिल सके। वहां पर एक अहिरल नदी है। अहिरल से वहां पानी कब आयेगा ? आयेगा नहीं आयेगा, हम उसमें किस स्टेज में हैं, हमारा क्लियरेंश हुआ है नहीं हुआ है, कितना साल लगेगा ? ताकि जनता को सब चीज अच्छी तरह से मालूम हो। अगर वह नहीं है तो पाईप लाईन के लिये हमें दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। आखिरी में पानी आजू, बाजू वहां से नहीं आयेगा तो भैंसाझार से लायेंगे। खूंटाघाट से और भैंसाझार से मिलाकर लायेंगे। क्योंकि उसमें फारेस्ट क्लियरेंश का कोई मामला नहीं बनता है। इसको आपको बताने से जनता में आपके लिये विश्वास की भावना पैदा होगी। मैं तो माननीय मंत्री जी का प्रशंसक हूं, मैंने उनकी गैरहाजिरी में, उनकी उपस्थिति में, अभी भी और पहले भी कहा है, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वे हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत वर्षों पहले अंग्रेजों ने आगर हाफ परियोजना नाम की एक परियोजना का सर्वे किया था। बोधघाट परियोजना तो बाद में आई और महत्वपूर्ण योजना है, मैं उसके बारे में कोई टिका-टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आगर हाफ परियोजना से न केवल पंडरिया का बल्कि कवर्धा जिले के बहुत से गांवों का, बेमेतरा और हो सकता है आपके साजा के बहुत से अंचल तक वहां पानी पहुंच सकता है लेकिन यह योजना बहुत बड़ी है। मैं यह नहीं बोलता कि आप कल के बजट में रख दीजिए और परसों काम शुरू हो जाये, यह संभव भी नहीं है। लेकिन आपसे यह जरूर आशा कर सकते हैं कि आप आगर हाफ परियोजना के सर्वे के लिये सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देकर अगले बजट के पहले तक क्या परिस्थिति है, अगर आप उसकी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जानकारी मंगाने की कृपा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और किसानों के हित में यह बहुत अच्छा कदम होगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद और बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट सर।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ-कुछ गरीबों की मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सिंचाई मंत्री जी, कल मैं बोला, लेकिन आप नहीं थे। जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो आप मंत्री थे। हमने पाण्डातराई में एक घोघरा डायवर्सन का निर्माण कराया था। वह डायवर्सन लबालब जल से भरा हुआ है। उसमें जितना पानी छोड़ दो, उतना जंगल का पानी आता है, जिससे सैकड़ों और हजारों एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती है। लेकिन अभी उसमें नहर का अभाव है। मैं अभी पलानसरी गांव गया था, वहां एक-दो किलोमीटर खुदाई का काम हुआ है। उनको तीन साल से मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा कलेक्ट्रेट में पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप न केवल इसका संज्ञान लेकर आज की तारीख में मुआवजा भुगतान करवाईये, वहां पर नहर का निर्माण कराईये, बल्कि वह नहर वहां से 15 किलोमीटर दूर तक किसानों को मुआवजा देकर और गड्ढा खोदकर नहर बनवा देंगे, तो हजारो एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा होगी। आपको उसके लिए न तो एनीकट बनवाना है, न कोई नया बांध बनवाना है। तो आप इसको जरूर अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र करियेगा, किसानों के मुआवजा के बारे में बात करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी, खुड़िया पुराना डेम है। उसमें एक समय बहुत ज्यादा बारिश से सही मायने में खतरा पैदा हो गया था। तब राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी, आपके साथ जब मध्यप्रदेश में मंत्री थे, तो उन्होंने एक भाग को मरम्मत करवाया था। मैंने भी जब विधानसभा में बोला तो आपने कृपापूर्वक सिंचाई विभाग के हाईपावर कमेटी को भेजा, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर हो सके तो खुड़िया डेम के संधारण एवं मरम्मत का काम करवा दें। वह पुराना बांध है। बहुत अच्छा बांध है। आप शायद नहीं देखे हैं, स्पीकर साहब, शायद आप भी नहीं देखे हैं। मैं चाहूंगा कि एक दिन आप दोनों चलकर खुड़िया बांध को देखेंगे और देखते ही हमारे लिए बहुत सी सौगातें अपने आप ही मिल जायेंगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। लोरमी में एक लोटन नाला है, वह बहुत दिन से फूटा पड़ा है। मैंने इसके लिए कई बार चिट्ठी लिखी है, मांग किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में प्रावधान हो या न हो, राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी के जमाने का बहुत थोड़े से आदिवासियों का बहुत पुराने समय का नाला है, वह बना नहीं है। आप उसको बनवा देंगे। लोरमी में पेयजल योजना के लिए एक 13 करोड़ रूपये की योजना मंजूर है। परन्तु आप जब तक उसमें एन.ओ.सी. नहीं देंगे, तब तक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह योजना शुरू नहीं हो सकती है। लोरमी के पास ही दो एनीकट बना हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ है। उसमें पानी की कमी नहीं है। आज की तारीख में बोल रहा हूं तो वहां खुड़िया डेम में 70 फीट पानी भरा हुआ है। इसका आशय यह है कि वहां पानी की कमी नहीं होगी। आप एन.ओ.सी. देंगे तो 13 करोड़ रूपये की स्कीम शुरू हो जायेगी। वहां निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अगले साल कार्य प्रारंभ हो जायेगा।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मैंने आपसे निवेदन किया था बेड़ागढ़ गांव में मेरा मित्र बड्डू बैगा रहता है। उसने मुझे एक कागज दिया था। मैंने उस पर आपसे आग्रह किया था। पुराने जमाने में एग्रीकल्चर विभाग के लोग छोटा-मोटा टारबंध सरीखे बनाते थे, उसमें बहुत सिंचाई होती थी। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों से फूट गया है। अगर उसमें 10, 20, 50 लाख रूपया लगायेंगे तो कम से कम 500 एकड़ में सिंचाई हो जायेगी। मैंने आपसे आग्रह किया था। आपने कलेक्टर को फोन भी किया था। आपके एक फोन से काम भी हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि उन गरीबों को एक गोडाउन चाहिए, आपने कवर्धा के माननीय कलेक्टर को फोन किया। उन्होंने बहुत रूचि ली। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उसके लिए न केवल पैसा मंजूर हुआ, बल्कि उसका निर्माण भी शुरू हो रहा है।

मैं आपसे एक मांग करता हूं। लोरमी के लोगों के लोरमी के पास एक एनीकट स्वीकृति की मांग की है। आप उसे जरूर कर देंगे। उससे न केवल पानी रूकेगा, बल्कि लोरमी दो पार्ट में बसा हुआ है। उनके आने-जाने की सुविधा भी मिल जायेगी। गोड़खामी और खुड़िया में निरीक्षण गृह है। यह अंग्रेजों के जमाने का है। मैं चाहता हूं कि कुछ पैसा खर्च करके उसको सुरक्षित, व्यवस्थित और आकर्षक बनवाने की कृपा करें। लोरमी में पहले एस.डी.ओ. (कृषि) का कार्यालय था। वह कार्यालय इनके शासनकाल से बंद है। मैं चाहता हूं कि वहां एस.डी.ओ. (कृषि) का कार्यालय स्थापित किया जाये। क्योंकि मुंगेली जिले में यदि सबसे बड़ी तहसील कोई है या विधानसभा क्षेत्र है तो वह लोरमी है। लोरमी के सारधा की नर्सरी भी बहुत पुरानी है। कुछ काम के लिए वह लोग बोले थे, मैं उस नर्सरी के लिए अभी अपने विधायक निधि से 5-7 लाख रूपये उसकी सुरक्षा और गेट आदि के लिए दिया हूं, लेकिन वह 2, 4, 5 लाख रूपये में होगा नही। वह बहुत ही सुंदर नर्सरी है। वहां अच्छे-अच्छे पेंड़-पौधे हैं। मैं चाहता हूं कि यदि उसे थोड़ा आर्थिक सहयोग या अपनी योजना से कुछ फंड उपलब्ध करायेंगे तो वह ज्यादा संपन्न और आकर्षक नर्सरी बन सकती है। आपने बड़ी कृपा पूर्वक पिछले बजट में कृषि कालेज की स्थापना की न केवल घोषणा की बल्कि अभी कुछ दिनों पहले आपने जुलाई-अगस्त में उसक वर्चुअल उद्घाटन भी किया, जिसमें मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस कालेज को लेकर कई लोग बहुत सी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। कुछ आपकी पार्टी के नेता हैं वह घूम-घूमकर बोलते हैं कि हम यहां खोलवा देंगे, हम वहां खोलवा देंगे। कभी मांग करना नहीं, किसी चीज के लिए प्रयास करना नहीं, कुछ खुल गया तो मेड इन भाटापारा टाईप सील लगाने के लिए घूमने लगते हैं। ये बहुत गलत परंपरा है। अध्यक्ष जी, यहां पर मुझे उस कालेज को खुलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी के समक्ष हाथ जोड़कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आग्रह करना पड़ा। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों ने उसे स्वीकार किया। अब जब स्वीकार हो गया है तो जहां पर डेढ़ सौ एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है वहां खुलेगा। यहां 600 एकड़ का बताते हैं कि यहां 600 एकड़-700 एकड़ जमीन है। सब बड़े-बड़े दाऊ लोगों का कब्जा है उसको कौन छुड़वाने जायेगा? रविन्द्र चौबे जी जायेंगे क्या? आप 600 एकड़ जमीन खोजवाने जायेंगे? तो ये सब गलत है। कभी भी विकास में अवरोध नहीं बनना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, हमें अपने क्षेत्र की जनता को कोई विकास की सौगात देना है, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। अभी हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। मैंने बोला कि इसमें जोगी कांग्रेस के लोगों को भी बुलाओ, कांग्रेस के लोगों को भी बुलाओ, महापौर को भी बुलाओ, वहां के नेताओं को भी बुलाओ, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लोगों को बुलवाओ, भाजपा को बुलवाओ। क्रिकेट में क्या राजनीति? राजनीति होगी तो मंच तैयार कीजिए। आप बोलिए और हम बोलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। इतनी अक्षमता भी नहीं है कि नहीं बोल पायेंगे। लेकिन हर जगह राजनीति के तंग चश्मे से नहीं देखना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- धर्मजीत भैय्या, इसमें कहां राजनीति हो गई? आपने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने उदारता से खोला। अब खुल गया तो काहे को किसी की चिंता करते हो?

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं जीवनभर आभारी हूं और मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही बोला था कि आपने इस क्षेत्र में इतनी बड़ी कृपा की है,। वर्ष 1980 में श्री अर्जुन सिंह जी ने लोरमी में कालेज खोला, लोग आज भी याद करते हैं कि उस कालेज को श्री अर्जुन सिंह जी ने खोला। तो आपका नाम तो लोग जिंदगीभर लेंगे कि आपने इस एग्रीकल्चर कालेज को खोला, आपने कृषि मंत्री के रूप में उसकी स्वीकृति दी और राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने लालपुर में तहसील खोला। ये तो सब स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। लेकिन ये जो चिल्हर हैं। मुख्यमंत्री जी, सवाल यह है कि भैंस से कभी कोई खतरा नहीं रहता। भैंस को आप देखेंगे कभी कोई खतरा नहीं करती, सीधे रास्ते चलती है लेकिन पूंछ ज्यादा ऐंठने लगती है। ये पूंछों के ऐंठने से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए पूंछों के ऐंठने पर थोड़ा कंट्रोल जरूर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस साल तो कोरोना काल है आपसे मेरा हक भी बनता है, अगले साल हमारे राम्हेपुर में क्योंकि ठाकुर रामसिंह जी ने आज से 50 साल पहले एग्रीकल्चर हाईस्कूल की स्थापना की थी। उस स्कूल में उन्होंने दान दिया था। उस स्कूल में आज भी 80 एकड़ जमीन है। मैं चाहता हूं कि वहां पर एक हार्टीकल्चर महाविद्यालय जरूर खोलें क्योंकि आजकल हार्टीकल्चर हमारे लोगों के उद्योग धंधे का बहुत बड़ा माध्यम है। फूल बेचेंगे, फल बेचेंगे, नये-नये मसालों का उत्पादन होगा तो ऐसे ही कालेज खोलने की मैं मांग कर रहा हूं। आप अगर हो सकेगा तो अगली बार विचार कर लीजिएगा। खुड़िया में बहुत बड़ा डेम है, वहां फिशरीज कालेज भी खुल सकता है। पर मैं वहां सभी कालेज खोलवा लूंगा तो फिर आपके बाकी लोग क्या करेंगे। गांव में पशु औषधालयों को समृद्ध करने की कोशिश कीजिए। दुग्ध डेयरी को बढ़ावा दीजिए। हमसे दुग्ध डेयरी की भी मांग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करने वाले आते हैं। पर जब हम जाते हैं तो शायद कोई योजना पहले चलती थी, उसमें या तो लिमिट कम है या उसमें कम पैसा है। उसे आप बढ़वा दीजिए ताकि वहां पर बेचारे हमारे लोग जो रोजी रोटी दूध का व्यवसाय करते हैं, वह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको रास्ता मिल सके और दूध को 2 रूपये कम कर दिये हैं।

समय :
2:00 बजे

मैं अभी विधान सभा आ रहा था तो दूध की कीमत 2 रूपये कम कर दिये हैं उसको भी बढ़वा दीजिए और हमारे मछुआरों को आर्थिक सहयोग करने के लिए, उनको कुछ कीट्स वगैरह या कुछ उनके लिए जाल या फ्रिजर वगैरह देने के काम को करेंगे। आपसे बहुत उम्मीद है इसलिए मैं इतनी बात किया हूँ। मुझे आशा है कि आप किसानों के दर्द को समझत हैं। किसान परिवार से हैं। इसलिए आप सही विभाग में बैठकर, सही दिशा निर्देश करेंगे और हमारे भावनाओं को भी सुनेंगे। हम सब मिलकर, छत्तीसगढ़ के किसानों की सेवा कर सकेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती ममता चन्द्राकर(पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 कृषि विभाग के सबो अनुदान मांग के समर्थन करत हों।

समय :
2:01 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य हे अउ हमन तो सब किसान हन। किसान कृषि पर ही आधारित रहिथे। छत्ततीसगढ़ के पूरा अर्थव्यवस्था जेकर मुख्यत: आधार कृषि ही हे। छत्तीसगढ़ के लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर हे। कृषि के साथ, कृषि से संबंधित जेन भी उद्योग हे, ओकर से निर्भर हावय। राज्य के भौगोलिक स्थिति भी 137.90 लाख हेक्टेयर में लगभग 35 प्रतिशत कृषि अउ 45 प्रतिशत वन भूमि हे। जेन हमर किसान मन के मुख्य आय अउ आधार हे। कृषि समग्र विकास अउ किसान मन के पूरा आर्थिक स्थिति के सुधार मा राज्य के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन बर हमर सरकार, हमर मुख्यमंत्री जी हा हमेशा मुख्य लक्ष्य बनाए हवए। अउ किसान के नाते मय बस यही कहिहौं कि हर आंकड़ा ला तो हमर विद्वान साथी मन बताथे। मय केवल एक छत्तीसगढ़िया किसान के बारे में कहिहौ, हमार माननीय मुख्यमंत्री जी के आज किसान बर जेन मुख्य प्रोजेक्ट रिहिसे नरवा, गरूवा, घुरवा बाड़ी अउ जेन हा किसान मन बर पूरा हावय। एमा सब आगे हे। नरवा मा पानी, गरूवा में गउ माता मन अउ घुरूआ में पूरा किसान, जैविक खेती से लेकर गोठान। बाड़ी में भी किसान मन मेहनत करके साग-भाजी उगाथे तो ये चारों सूत्रधार हे। जो छत्तीसगढ़ के चार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चिन्हारी हे, एमा पूरा छत्तीसगढ़ बसे हावए। अउ मुख्यत: मय यही कहीहौं कि ए चारों में घुरूवा, घुरूवा शब्द जेन आज गोठान में सबसे ज्यादा जरूरी हो गे हे। घुरूआ में ए होए हे, गोठान निर्माण होय हे, हमर क्षेत्र के सब किसान मन गोधन न्याय योजना मा गोबर बेचत हे, अउ ओ गोबर ला हमर सरकार खरीदकर वर्मी कम्पोस्ट बनाथे अउ वर्मी कम्पोस्ट ला वापस किसान मन खरीदकर अपन खेती करत हे, जैविक खेती करत हे। तो यह किसान मन के मुख्य आधार हे। आज हमन अपन क्षेत्र मन मा प्रतिनिधि बनकर जाथन । हमर मुख्यमंत्री जी हा प्रतिनिधि बने के अवसर दे हे। हमन क्षेत्र मन में जब जाथन तो ये गोठान निर्माण से जेन घुरूवा के नाम से गोधन न्याय योजना से जेन महिला मन ला रोजगार मिले हे, अउ महिला मन के ही मेहनत से आज वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण होथे तो हमर क्षेत्र के सब महिला मन अतेक खुश दिखथे ओकर रोजगार के साथ-साथ समय व्यतीत होथे। अपन घर गृहस्थी के जीवन ले निकलकर गोबर में वर्मी बनाथे। हमन एकर से ओ मन ला अतका संतुष्टि देखथन तो हमला अइसे लगथे कि हमर सरकार के जेन उद्देश्य हे, जेन प्रोजेक्ट हे, ओ ह साकार होगे। ए किसान ला रोजी भी देथे, महिला ला रोजगार देथे अउ किसान ला जैविक खेती करे बर बढ़ावा भी देवत हवय। तो हमर कृषि के मुख्य यही आधार जेन हमर मुख्यमंत्री जी ला, हमर कृषि मंत्री जी ला मय बहुत-बहुत धन्यवाद् दूं हूं। साथ-साथ मछली पालन के भी एक विशेष बात हावय। छत्तीसगढ़ राज्य मा मछली पालन विभाग जेन हो, ओ हा प्रगति पर हावय। राज्य के लगभग उपलब्ध जल संसाधन जेतका हावय। ओ म हमन पर्याप्त रूप से मछली के पालन कर सकत हन। मछली पालन अधिक आय, कम लागत अउ एकदम सहायक उद्योग के काम करत हे। एखर से पूरा क्षेत्र के किसान, हमर छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति मन ला रोजगार स्वरूप मछली पालन में लाभ होथे। ए ला हमर सरकार हा कृषि के दर्जा भी दे देहे। तो ए बहुत ही अच्छा उद्योग भी हो जही। आने वाले समय में साथ-साथ मछली से संबंधित हमर मुख्यमंत्री जी हा सुपोषण ला भी बढ़ावा देबर सोच हे, हमन ला छत्तीसगढ़ ला सुपोषित करना हे तो ए मछली के जेन उपयोग से पोष्टिकता के साथ हमर क्षेत्र हा सुपोषित हो ही। मय सब्बो मांग के समर्थन में यही बोल हूं कि एक साथ-साथ मय कृषि मंत्री जी ला अपन क्षेत्र के बारे में एक बात अवगत कराहूं । हमर बजट में तो क्रांति जलाशय, अमतला जलाशय के पुनर्उद्धार के स्वीकृति हे, बजट में शामिल हे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करत हौं कि एकर प्रशासकीय स्वीकृति जल्दी हौवे। ताकि मई-जून में होही तो हमर क्षेत्र मा कार्य शुरू होही। ओकर साथ-साथ रेंगाबोर व्यपवर्तन, कोयलारी व्यपवर्तन, कूबा, जलधा नाला जलाशय ये तीनों पिछले साल प्रशासकीय स्वीकृति में मिल रहिस हे। लेकिन कुछ कारणवश ये कार्य नई होईस, मैं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की मांग करत हवं ताकि ये काम होकर हमर क्षेत्र मा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होवै। हमर छत्तीसगढ़िया में कहथे कि सियान रहथे तो चिंता नई रहय। हमर मुख्यमंत्री जी, हमर मंत्री जी मन तो हमर सियान हे। लेकिन हमर आदरणीय धर्मजीत सिंह जी हा अभी बहुत अच्छा बात करिस हे। आधा हमर पंडरिया गृह ग्राम के साथी हे। वह हमर आधा चिंता ला सियान के नाते पूरा

पंडरिया विधानसभा के समस्या ला सदन में रख देथे। एखर से भी समस्या दूर होथे। अभी हमर माननीय धर्मजीत सिंह जी हा घोघरा व्यपवर्तन की बात बताईस। पंडरिया ब्लाक में निर्माणधीन घोघरा व्यपवर्तन, जेकर नहर विस्तारीकरण निर्माण कार्य, पलासरी, उतकीकला, अंधियारखोर, परसपारा ये चार गांव हा ओमे सिंचित होना हे। सदन के माध्यम से मैं माननीय धर्मजीत सिंह जी ला बताहूं कि लगभग 78 किसान के भू-अर्जन मुआवजा संबंधित 2018 से प्रकरण हा लंबित रहिस हे। आज की स्थिति में 25-2-2021 में पलासरी गांव बर भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर महोदय हा 2 करोड़ 74 लाख 29 हजार 17 रुपये ला एवार्ड पारित कर चुके हे। बाकी जिन 3 गांव हे, ओकर प्रक्रियाधीन हे, वह प्रक्रियाधीन भी जल्दी कंपलीट होवै, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री ली अनुरोध करत हौं और आप ला मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देत हौं। हमारे कृषि विभाग के साथ, हमर मुख्यमंत्री ला भी जेन छत्तीसगढ़ के विकास करत हे, छत्तीसगढ़ के किसान, महिला, बच्चे सब ला विकास और सुपोषित करै की योजना में जेन हमर पूरा सरकार मिल के करत हे। निश्चित ही परिश्रम लगथे, कोई भी कार्य ला मूर्त रूप देय में समय लगथे। अभी हमर क्षेत्र मा कठिनाई जरूर आते हे, लेकिन एक दिन सफल होबो, ये जब मूर्त रूप लेही, ते दिन सबला समझ आही कि हमर मुख्यमंत्री जी की छत्तीसगढ़ ला लेकर का मंशा हे। आप बोले के अवसर देव, ओखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कृषि मंत्री जी के अनुदान मांग के समर्थन में खड़े हौं। आज जिस प्रकार से विपक्ष मन बोलथे, ओमन तो नई हे, नई तो आज बात ला सुनथिन। लेकिन ओमन सुनही, ओमन देखही, ओमन बाद मा समझही। हमर सरकार हा छत्तीसगढ़ के जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हे, हमरे कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी हां इहां के बागडोर संभाले हे, तब ले छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के लगभग पौने तीन करोड़ जनसंख्या के चिंता करत हे। एक कहावत है, यह सच्ची बात हे, जे देश मा, प्रदेश मा किसान और जवान के सम्मान हो जाये वह देश और प्रदेश ला आगे बढ़य के दुनिया के कोई ताकत रोक नई सकय। ओकरे खारित हमर महापुरूष मन कहे हे, जय जवान और जय किसान। मैं आज माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी धन्यवाद देहौं कि जब ले हमन सरकार में बैठे हन तब ले किसान की आपासी के लिए पानी की व्यवस्था, किसान के बीज, खाद के लिए व्यवस्था बनात हे। भारतीय जनता पार्टी वाला मन 15 साल राज करिन। एमन जे मन के आशीर्वाद से सत्ता में गये रहिन हे, ओला भुला गये रहित हवै। मैं आज कृषि मंत्री जी ला धन्यवाद देहौं, जैसे ही हमर सत्ता में आईन, कांग्रेस की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार बनिस किसान के चिंता करते हुए किसान के पानी के जो कर्ज रहित हे, ओला माफ करै के काम करिस। लेकिन ये मन कौन ला करत रहिस हे। बडे-बड़े उद्योगपति, इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस वहां के फैक्टरी वाला मन आये रहिस हे, ओमन के कर्जा ला माफ करै के काम करत रहिस। आज तुलना हो जाये। आज नदी के किनारे-किनारे मोरो महानदी के क्षेत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हे, ओ नदी के किनारे-किनारे में मछुआरा मन रहिथे। ओ मछुआरा के सम्मान के खातिर, बार मछुआरा मन नदी के किनारे बसथे कि नदी हर ओमन के बहरा खेत हे । जइसे ओमन के उही हा वहां से आवक हे, ओमन उही ला अपन बड़का बहरा खेत मानथे । आज ओमन के खातिर कृषि मंत्री जी हर मछली बोर के ओमन ला एक अवसर प्राप्त करे हे । अऊ मैं आज आप के माध्यम से कह देना चाहत हंओं चूंकि मैं गरीब घर के हंओं, मैं ए बात ला महसूस करथओं, आज मैं विधायक बन गे हंओं तभो ले मैं हा गरीब मन करा उठथओं-बईठथओं ता महसूस करथओं । जइसे बड़े आदमी मन लोन में मर्सिडीज कार लेथें या मर्सिडीज कार ला बिसा के अपन घर में नानथे ता ओ घर के, ओकर परिवार के मन खुश होथे उसी प्रकार के हमर कृषि मंत्री जी हा अभी हमर गरीब आदमी मन ला छेरी, भेड़ी, कुकरी-कुकरा, मच्छी, जाली देत हे तो जइसे मर्सिडीज कार मा बड़े घर के मन खुश होथे ओइसने हमर गरीब घर के आदमी मन आज छेरी-भेड़ी के लोन ला पाके खुश होवत हें । अगर गरीब आदमी के भावना के कदर करत हें, ओकरे खातिर कहे गे हे आम आदमी के सरकार, खास आदमी के सरकार, पूरा सब लेके चलइया अगर कोई सरकार हे ता माननीय भूपेश बघेल जी अऊ माननीय रविन्द्र चौबे जी हमर छत्तीसगढ़ के सरकार हर हे ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मैं बात ला कहना चाहत हंओं कि नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी । हमन छोटे-छोटे रहे हन ता पहली जमाना में हांका परए, जइसे बरसात हा छोड़तिस ता हमर गांव में कोटवार हांका पारए, फलाना नरवा ला माईपिला जाके बांधना हे हो, तो कोनो झउंहा ला, रांपा ला, गैंती ला धरके जावन अऊ नरवा ला फ्री में बांधन । नरवा बनतिस ता सब कोनो मुरई जगाय हे, कोनो भाजी जगाय हे, कोनो लाल भाजी जगाय हे, कनिहा भर-भर के । आज 15 साल में एमन जम्मो ला जरो के खपोत रहिस हे । एमन बांध बनइन ता काकर लिये बनइस तो बड़े-बड़े फैक्ट्री वाला हवईजहाज में आवत हे, दिल्ली में उतर के उंहां दस्तखत करके चल देथे ओमन के लिये एमन बांध बनइस । आज मैं हा छत्तीसगढ़ के सरकार ला धन्यवाद देहां कि जिंहा गरीब आदमी ला सोचथें, हम तो ओ घर के हन, हमू मन नान-नान रहन ता ढेला ला धरकर मूड़ में जाकर के फेंकन अऊ जब बंधय ता पूरा पानी लब-लबावत रहय । आज ओ नरवा बंधही, पहली जमाना में कोनो ला शुगर हो जावय ता हमन ओला का कहन, शुगर होतिस ता ओला शुगर नइ कहन । ऐला शक्कर के बीमारी हे कहन ता हमन लइका-लइका रहन ता ओमन के मुंह-मुंह ला देखन अऊ पूछन कि ए शक्कर के बीमारी का हे ता ए बड़का-बड़का आदमी ला होथे, बड़का-बड़का ला कहय । ता हमन गुनन कि ऐ हा कइसे बीमारी हे लेकिन आज वोई खातु ला जम्मो यूरिया, खातु, डी.ए.पी. खातु जम्मो ला छिछवा-छिछवा के एमन 15 साल में अइसनहा करदिस कि आज सौ आदमी ला जाकर पूछिहा ता ओमा के 95 आदमी ला शुगर हे । ए सब हा खातु के कारण हे लेकिन मैं हा मोर सरकार ला धन्यवाद दिहां, जेकर मैं आज सदस्य हंओं । अइसे गरीब आदमी मन के लिये आज काम करत हे ताकि नरवा बंधाही ता हमू मन गोबर-खत्ता के लाली भाजी, मुरई ला खाबो, ता

जाकर के हिष्ट-पुष्ट होकर के स्वस्थ शरीर हा मोला मिलही । मैं हा श्री चंद्राकर जी ला देखत रहेओं अतका ओ हा हमन के ऐहे करथे घुरवा-घुरवा, आज घुरवा हा कईसनहा हे ? ओकरे खातिर सियनहा मन कहे हे बाबू घुरवा के घलो एक दिन आही कथे । आज घुरवा से हमन ला ए खातु मिलही, बाड़ी । बाड़ी के बारे में आप ला बता देंओं नरवा बंधही ता आज जो हे पानी के समस्या, मैं जेन क्षेत्र में रहिथओं, आज उंहां बोरिंग में पानी नइ मिलय, दस घा टेंकिहा ता लटपट में पानी सर्र ले आथे । आज इस प्रकार से आज नरवा बंधाही ता जाके जल सत्रोत हा बढ़ही ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ए सरकार के जतको कन गुणणान करओं। आज दिन भर, पांच दिन ले कर दिहां सरकार के आज गुणगान नइ हो पावय, ओतके कन एमन आज जो हे छत्तीसगढ़ के सरकार हा करे हे । आज मैं इस अवसर पर कहना चाहत हंओं अपासी के किसान ला क्या चाहिए ? किसान ला सही समय मा बीज चाहिए, ओकर धान ला पलोए के लिये पानी चाहिए अर्थात् ओला अपासी के सुविधा चाहिए । आज जइसे ही हमर सरकार बनिस ता सबले पहिली किसान के चिंता करते हुए नहर के व्यवस्था बनाय के काम ला करत हे । मैं जेन क्षेत्र में रहिथओं चंद्रपुर विधानसभा में, मैं अभी माननीय मंत्री जी ला बोलत भी रहेंओं कि ओहा अंतिम छोर हे । उंहां पानी के अपासी नइ रहिस हे लेकिन मैं मोर सरकार ला, मुख्यमंत्री जी ला अऊ श्री रविन्द्र चौबे जी ला धन्यवाद दिहां जेन अभी के बजट में चार ठा नहर बनाकर के मोर क्षेत्र ला आज दे दे हे ता ऐ होथे गरीब, किसान छत्तीसगढ़ के सरकार । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हा ज्यादा समय नइ लेवओं चूंकि हमर महोदय जी मन अऊ बहुत सारा बोलइया हे । आज जिस प्रकार के डेयरी, गरवा, बछरू, भैंसी, गाय मन के महत्व बढे हे । मैं गरवा चराए हौं । हमन ला कहे गे हे, दूध अउ दही । कृष्ण भगवान लीला करे हे, दूध दही खाके बताए हे मानव समाज ए दूध दही ला खावव, अउ हिष्ट पुष्ट हो करके सही चीज के संघर्ष करो । ये हमन ला श्री कृष्ण भगवान बता के गे हे। जइसे ही सरकार में हमर कृषि मंत्री जी बैठिन ये क्षेत्र मा अइसन बढ़ावा देत हे, जेखर से आज किसान बहुत खुश हे । अंत मा बोलिहौं, मछली पालन। जो किसान मन ला स्वयं के जमीन मा तालाब खोदा के वो मन ला अनुदान दिये जात हे । ये बहुत बड़े बात हे, एखर खातिर के वो किसान आदमी जम्मू कश्मीर में जाकर बंधुवा मजदूर बन जाए । वो मन अपन छोटे से जमीन मा तालाब बनाकर, बोर करके वो मन मच्छी भी खात हे अउ बेचत घलो हे । इस प्रकार से जो योजना चलावत हे, वो काबिले तारीफ है । मैं अंत मा अपन क्षेत्र के एक-दू ठी मांग हे ओला करके समाप्त करिहौं । माननीय मंत्री जी तो मोला सब कुछ देतेच हे । चूंकि जानते हे ए गरीब विधायक बनके आए हे, एखर क्षेत्र के बहुत उम्मीद हे करके मोर बहुत चिंता करथे। अभी बतावत रिहिस हे कि छत्तीसगढ़ मा दूसरा सबसे आपासी जिला जांजगीर हावय। मोर विधान सभा ला छोड दिहा ता जांजगीर जिला, लेकिन उहां पर अभी तक एग्रीकल्चर कॉलेज नइ हे । डभरा ब्लॉक, मालखरौदा ब्लॉक, जैजैपुर ब्लॉक, सक्ती ब्लॉक के बीच में मोर क्षेत्र पड़थे । मैं मांग करत हौं कि कृषि बर अउ अच्छा हो जातिस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक ठो एग्रीकल्चर कॉलेज मोर क्षेत्र मा खोल देते । काबर कि 2-3 सौ एकड़ जमीन ओखर बर पर्याप्त हे । सुखदा मा एक ठन बहुत पहिली के डेम बने हे ओखर विस्तार करके बढ़िया से व्यवस्था बना दिये जाए । आप मोला बोले के मौका दिव तेखर बर धन्यवाद् । मैं पुन: ए सरकार ला, ए सरकार गरीब मन बर जुग जुग काम करत राहय । चंदा सुरूज तक एखर नाम रहि । इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं ओखर समर्थन करत हौं अउ अपन बात रखत हौं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करत हौं कि सारंगढ़ भड़िसार जलाशय में मांगों पर प्रस्ताव मेरे द्वारा जमा किया गया था और जब माननीय मुख्यंत्री महोदय सारंगढ़ आए थे तो मांग पत्रों पर घोषणा भी की गई थी लेकिन बजट में शामिल नहीं हो पाया है । किसानों को सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है । मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करत हौं अउ मांग करत हौं भड़िसार जलाशय और मकड़ी जलाशय की मांग करत हौं, धन्यवाद् ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की हमारी लोकप्रिय सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार ग्रामीणों और कृषकों के उत्थान के लिए जिस तरह से पिछले विगत वर्ष में काम किया है उसी काम को आगे बढ़ाते हुए बजट में किसानों और ग्रामीण अंचल के उत्थान के लिए बजट में प्रावधान किया है । उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सिंचाई के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है, यह सत्य बात है । उसके साथ-साथ कोविड-19 संक्रमण के कारण आर्थिक संकट के कारण जो आपदा आई उससे कृषकों को अछूता रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में नवीन मद में प्रदेश में सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाए हैं । इस बजट में मुख्य रूपसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए नवीन मद में प्रावधान किया है। सिंचाई की 4 चार वृहद परियोजनाएं, अरपा भैंसाझार, केलो, राजीव समोदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर हेतु 203 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वर्ष 1977-78 से प्रारंभ हुई भाटापारा नहर में रूके हुए कामों को जोकि पूर्ण नहीं हुए थे, इन लोगों ने जो पूर्ण नहीं किये थे, उस काम को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास हेतु एवं सुधार कार्य के लिए 70 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल पदार्थ के लिए बेंद्रीनारा से पीने के पानी की व्यवस्था के लिए और खारून नदी के सुदृढ़ीकरण के कार्य के प्रावधान किया है, जिससे गर्मी के दिनों में लोगों को राहत मिलेगी और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। विशेषकर बीरगांव में पीने के पानी की समस्या रहती है। जल स्रोत सूख जाते हैं और लोग पानी के लिए काफी परेशान रहते हैं। माननीय मंत्री जी ने बेंद्रीनारा में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बजट का प्रावधान करके और गर्मी की समस्या में और पेयजल के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई में माननीय मंत्री जी ने जो प्रावधान किये हैं, उससे सिंचाई योजनाओं को गतिशीलता मिलेगी और जल संरक्षण बढ़ने से भू-जल के स्तर में वृद्धि होगी। इसके साथ ही मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया गया है, यह बहुत ही अद्वितीय कार्य हुआ है। यह मत्स्य कृषकों के लिए बहुत ही अच्छी शुरूआत माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना का होना हम सबके लिए हर्ष की बात है। जो बातें हमारे साथियों ने कही हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। नदियों के किनारे खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए विद्युत का विस्तार किया है, यह भी एक अनूठी पहल है। इससे भी किसानों को काफी लाभ मिलेगा और मंडी बोर्ड में माननीय कृषि मंत्री मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में छोटी-छोटी सड़कें हैं। हमारे हाट बाजार हैं। इनके लिए आपने बजट में तो प्रावधान किया है, लेकिन हम माननीय विधायकों के प्रस्ताव पर अगर आप स्वीकृति देंगे तो अच्छी बात होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी बातें हमारे साथियों ने कह दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक यू। श्री आशीष छाबड़ा जी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और जब बजट प्रस्तुत होता है, जब सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार का बजट प्रस्तुत करते हैं तो सबकी निगाहें विशेष रूप से किसानों की निगाहें इस पर टिकी होती हैं कि कृषि के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों को, किसानों को क्या सौगात देने जा रहे हैं? हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की ऋण की हड्डी हमारी कृषि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार जब सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ है तो मुख्य रूप से जो न्याय की बात हुई है, उसमें किसानों के साथ हर बजट में न्याय का प्रावधान किया है। किसान काफी खुश है। किसानों में बजट के बाद खुशी देखने को मिली है। उत्साह देखने को मिला है। व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र के किसान फोन करके धन्यवाद देते हैं कि आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो। सरकार में आपको बैठने का अवसर मिला है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से सीधी बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए जो किया है, छत्तीसगढ़वासियों के लिए जो किया है, उसके लिए किसानों उन्हें काफी दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना से अपनी बात शुरू करूंगा । हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछले 15 साल जो पार्टी सरकार में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रही है, उन्होंने हर चुनावी घोषणा-पत्र में किसान को स्थान तो दिया है, लेकिन अपने एक भी घोषणा-पत्र को या छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किये गए वायदों को पूरा नहीं किया । आज हमारे विपक्ष के साथी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता था तो वे किसानों से बड़ी-बड़ी बातें करते थे, किसानों के लिए घोषणाएं करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खतम हो जाता था, उनकी सरकार बन जाती थी, उसके बाद उन्होंने अपनी एक भी घोषणा और किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया । किसानों ने हमेशा अपने आप को ठगा माना । पूरे प्रदेश के किसान हताश थे, युवाओं और किसानों में कृषि के प्रति धीरे-धीरे रूचि कम होती जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने धान के लिए 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की और हमारी घोषणा-पत्र में किसानों से जो वादा किया था, सरकार बनने के बाद जैसे ही भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने तत्काल किसानों के लिए 25 सौ रूपये समर्थन मूल्य देने की बात की थी, उस घोषणा को पूरा किया । उसका असर यह हुआ कि लगभग ढाई साल हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, अगर हम ढाई सालों के आंकड़े देखें तो आंकड़े यह बताते हैं कि किसानी के प्रति, खेती के प्रति हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का रूझान बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सरकार ने किसानों से धान पर 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, वह वादा पूरा किया, जिससे किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया ।

समय :
2:27 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में यह पूरा सदन जानता हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि आखिर इस योजना की शुरूआत क्यों करनी पड़ी ? इस साल भी राजीव गांधी न्याय योजना में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी ने 5703 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । आज हमारे विपक्ष के साथी यहां उपस्थित नहीं हैं । जब भी गोधन न्याय की बात होती है तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में गो माता का उपयोग करना जानते थे, लेकिन गौ माता की असली सेवा किसी ने की है, अगर गौ माता का किसी ने ख्याल रखा है तो कांग्रेस की सरकार ने ख्याल रखा है, हमारे कृषि मंत्री जी ने ख्याल रखा है । गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर की भी खरीदी करके पूरे देश के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश उदाहरण बना कि गोबर की भी खरीदी हो सकती है । इस साल गोधन न्याय योजना में अभी तक हमारी सरकार ने 80 करोड़ रूपए का भुगतान गौ पालकों को किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे विधान सभा के बेरला ब्लॉक में रामपुर नामक गांव है, वहां रमेश यादव नामक चरवाहा है । उसने गोबर इकट्ठा करके गौठान समिति को गोबर बेचकर लगभग 2 महीने में 60 हजार रूपए की आमदनी की है और उसने 42 हजार रूपए की एक मोटर सायकल भी खरीदी है । जब माननीय कृषि मंत्री जी बेमेतरा आये थे तो वह चरवाहा मुझसे मिलने आया, मेरे कार्यालय में मुझे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आया और कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोधन न्याय योजना की शुरूआत की है । हमारे जैसे गौ पालक थे, जिनके लिए मोटर सायकल एक सपना हुआ करता था, जो कभी यह सोच नहीं पाते थे कि हम मोटर सायकल में चलेंगे, वे दो महीने में गोधन न्याय योजना में गोबर बेचकर मोटर सायकल खरीदने का लाभ मिला ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मेरा विधान सभा क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग है । सिमगा से लेकर बेमेतरा तक जब हम रात को वापस जाते थे तो रोड पर गौमाता बैठी रहती थी, बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारी एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं में गौमाता की मृत्यु भी हो जाती थी, बड़ा दुख लगता था, बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन जब से हमारी सरकार ने सुराजी योजना की शुरूआत की है, जब से गांव गांव में गौठान बनाये हैं और गौठान बनाने के बाद जब से गोबर की खरीदी शुरू हुई है, लोग अपने मवेशियों को ढीला छोड़ दिये हैं। गौठान बनने के बाद गौठान में गौमाताएं रहती हैं। अभी लगभग पिछले एकात साल से यह देखने का मिला है, यह आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटना में कमी भी आई है, गौमाता की मृत्यु भी कम हुई है। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को, हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गौठान को एक जीविका के साधन से जोड़ने का काम किया है। गौठान में वर्मी कंपोस्ड खाद का निर्माण हो रहा है। हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट समय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उनको भाषण देना है, 3 बजे समाप्त होना है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि बहुत सारी बातें थी। मैं सी मार्ट की बात करना चाहता हूं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में हमारे जो स्थानीय कृषक हैं, जो ढेकी, कूटा चावल, जैसे खाद्य तेल के हमारे जो उत्पादक होते थे, उसको बेचने के लिये उचित स्थान नहीं मिल पाता था, उनको उचित बाजार नहीं मिल पाता था, उनकी समस्या रहती थी, अगर हम उत्पादन कर भी दें तो इनको कहां बेचा जाये। उन बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए सी-मार्ट का निर्माण हमारी सरकार करने जा रही है। उसके लिये भी मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बातें बहुत सारी थीं, बहुत सारी विषयों पर, बहुत सारे विभागों पर बोलना था, समय का अभाव है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल, मंत्री जी से मिलकर बात कर लीजिएगा। माननीय मंत्री जी।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सभी विभागों में बहुत सम्माननीय धनेन्द्र भैया, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, सम्माननीय प्रकाश नायक जी, आदरणीय शैलेश पांडे जी, सम्माननीय धर्मजीत भैया जी, ममता चंद्राकर जी, रामकुमार यादव जी, उत्तरी जांगड़े जी और अंत में भाई आशीष छाबड़ा जी ने कुछ सुझाव दिये अपनी बातें कही।

अध्यक्ष जी, सभी के प्रति धन्यवाद करते हुए आशीष छाबड़ा जी ने जो बातें कही, वहीं से शुरूआत करूंगा। माननीय आशीष छाबड़ा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और बजट पेश होता है तो छत्तीसगढ़ के किसानों का सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। सारी चर्चाएं एक तरफ, सबको यह अपेक्षा रहती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिये कौन सी सौगात दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सचमुच पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पहली शुरूआत में ही हमने नारा दिया था "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" उस दिशा में भी कृषि, जल संसाधन, पशु पालन, मछली पालन, संसदीय कार्य विभाग सहित इस बार का बजट है। आप इसको अग्रगामी कह सकते हैं। हम भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ने के लिये, विकास करने के लिये हम लोगों ने इस बजट में तमाम प्रावधान किया हुआ है। अध्यक्ष जी, लगभग एक साल, पिछले बजट सत्र में ही संभवत: 22 मार्च को आपने कोविड के कारण इस सदन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। एक साल पूरा बीत गया, परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहीं, सारी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रही, सारी औद्योगिक गतिविधियां बंद रही, सारी व्यापारिक गतिविधियां बंद रही लेकिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इस कोविड काल में भी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर के कोई भी काम बंद नहीं होने चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में जो बाजार गुलजार दिख रहा है , किसानों के चहरे में खुशी दिख रही है, कृषि में विकास का दर दिख रहा है, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास में कृषि एवं सिंचाई का सेक्टर वह मदद करते दिख रहा है तो यह इस बात को साबित करता है कि हमने इस कोविड काल की चुनौती को भी अवसर में बदला। हमने अपने किसानों को सारी सुविधाएं दीं, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय धर्मजीत भैय्या बहुत विस्तारित करके कुछ बातें कहीं। आपने किसानों की आत्महत्या से बात की शुरूआत की थी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दो दिन पहले उत्तर दिया था कि इस सरकार के बनने के बाद 141 किसानों ने आत्महत्या की है। आशय यह है कि हम छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को तो किसान ही मानते हैं। 95 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। धनेन्द्र भैय्या ने अपने भाषण के शुरूआत में कहा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो खेती के ऊपर आश्रित हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की परम्परा है कि कोई रेगहा लेकर, कोई अधिया लेकर खेती करता है। जो कृषि मजदूर हैं, वे भी खेती के दायरे में आते हैं। अगर हम सारी आत्महत्याओं को किसानों से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जोड़कर देखते हैं, तो आपने जो 141 की संख्या कही, आपने उसके आगे चिंता जाहिर की कि आखिर इसके क्या कारण हो सकते हैं ? अन्नदाता तो अन्नपूर्णा माता के दूत हैं, वे तो भगवान हैं। छत्तीसगढ़ में इतनी सारी अच्छी परिस्थितियों के बाद उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। माननीय अध्यक्ष जी, धर्मजीत भैय्या, यह छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है, जहां किसान संतुष्ट हैं। जहां किसानों को इतनी धनराशि मिल रही है, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। आज दिल्ली राजधानी किसानों से घिरा हुआ है। दो सौ किसान शहादत को प्राप्त हुए हैं। कोई सोचने वाला है ? कोई आंसू बहाने वाला है ? दिल्ली की सरकार हमारे किसानों से क्या व्यवहार करती है ? मैं छत्तीसगढ़ के किसानों की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली की सड़कों में चारो तरफ कीलबंदी किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कितना दुर्भाग्य है। हमने सुना था कि बापू ने जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, चम्पारण में जो सत्याग्रह किया था, वह नील किसानों के लिए किया था। जो नमक सत्याग्रह हुआ था, वह दाण्डी मार्च नमक उत्पादन करने वाले किसानों के लिए किया था। अंग्रेज भी बापू के रास्ते में कभी कीलें नहीं लगवाई थीं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सोचने वाली सरकार है। आपने जोत सीमा की बात कही। आप वहां हमारे साथ बैठते थे, हमने इनके शासनकाल में लगभग हर विधान सभा सत्र में प्रश्न, ध्यानाकर्षण लगाया था। अकेले जांजगीर जिले में 2 लाख एकड़ जमीन एम.ओ.यू. कर दिया गया। 60 हजार मेगावाट पावर प्लाण्ट के लिए एम.ओ.यू. किये गये। उससे क्या हुआ ? खाली किसानों की बेदखली हुई। आपने उद्योगपतियों को जमीन सौंप दिया, आपने उद्योगपतियों को पानी दे दिया। अभी रामकुमार यादव जी अपनी बात कह रहे थे कि महानदी में जितना एनीकट बना है सब पानी केवल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। धर्मजीत भैय्या, यही कारण था और यही सोच में अंतर है। जब वह सरकार थी तब किसानों के पक्ष में सोच नहीं पाती थी। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, वह केवल और केवल किसानों के लिए है। सारे विकास के कामों में प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष कृषि का बजट पिछले साल की तुलना में लगभग 13 अधिक है। हम आर्थिक झंझावतो से लगभग जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजस्व की प्राप्तियां कम हुई हैं। केन्द्र सरकार से हमारी लड़ाई लगातार जारी है। धान खरीदी में क्या हो रहा है ? पहले कहा कि बारदाना नहीं है, बाद में कहा कि 24 लाख मीट्रिक टन के अलावा आपका कोई चावल नहीं खरीदेंगे, फिर नया कि चावल बारदाना में चावल देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की है। (मेजों की थपथपाहट) केन्द्र सरकार से हमारी आर्थिक स्थिति हमारी राजस्व की प्राप्तियां कम है। परसो ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि केन्द्र सरकार से जो पैसा लेना था, 18 हजार करोड़ रूपये हमारे माईनिंग का सेस, हमारे जी.एस.टी. का सेस, हमारी रायल्टी, हमारा टैक्सेसन जो कि छत्तीसगढ़ का अधिकार बनता है, अब छत्तीसगढ़ को इतनी राशि का अभाव हो जायेगा उसके बावजूद भी पिछले साल जो बजट का प्रावधान था उसकी तुलना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में इस साल कृषि के बजट में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को दर्शाता है और आने वाले समय में जो हमारी योजनाएं हैं उसे लेकर हम कृषि के क्षेत्र में विकास करेंगे। पहले साल जब बजट आया तो हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राशि की व्यवस्था करके किसानों के पक्ष में पैसा देने का, हस्तांतरण करने का फैसला किया। दूसरी बार के बजट में हमारी गोधन न्याय योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। और इस बार जैसा अभी आशीष जी कह रहे थे, सी-मार्ट की योजना आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है। अनवरत जारी रहने वाली सारी योजनाओं में हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस बजट में जो प्रमुख-प्रमुख योजनाएं हैं उनका जिक्र मैं करना चाहता हूं। इसमें धरसा विकास की सबसे बड़ी योजना है। इंक्रोचमेंट के कारण किसानों को खेती-पाती करने में, खेत जाने में अड़चनें आती हैं। इसका किस तरीके से समाधान किया जाए, इसकी अभी रूपरेखा बनायेंगे लेकिन गांव के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धरसा विकास का कार्यक्रम लिया है वह हमारी सबसे बड़ी योजना होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में उल्लेख किया है कि लाख को खेती का दर्जा दिया जायेगा। इससे सैंकड़ों-हजारों किसानों को सीधा फायदा होने वाला है। मछली पालन की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। इसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में खेती का दर्जा देने का निर्णय किया है। खेती के दर्जा का आशय उनके लिए के.सी.सी. बनेगा, उनको जीरो प्रतिशत में जैसे हम खेती में ब्याज मुक्त ऋण देते हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण देंगे। उनके लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे जैसे किसानों को छूट होती है। इससे लाख के किसानों, मछली के किसानों को सीधा लाभ होगा। इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण एक और योजना है कि जो भूमिहीन कृषक श्रमिक हैं, जो खेती पर भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए भी इस बजट में न्याय योजना लाई जायेगी। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। विद्युत विभाग के द्वारा किसानों की मदद करने के लिए कृषि जीवन ज्योति योजना के लिए इसमें 2500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 हजार नए विद्युत कनेक्शन तत्काल देने का निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा निर्णय हुआ, हमने लगभग 725 नई साख समितियों का गठन किया और छत्तीसगढ़ में हमारी 2048 समितियां बन गईं। कहने का आशय यह है कि इस साल हम लोग जो 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं उसमें सबसे बड़ी मदद हमें हमारी सोसायटियों के पुनर्गठन के कारण हुई है। इस बजट में और एक बड़ा प्रावधान है कि नदी किनारे जिन नदियों में सोर्स है और पानी रहता है, वहां हमारे किसानों की सुविधा के लिए नदियों के दोनों किनारों (bank) पर विद्युत लाईन का विस्तार किया जायेगा। आने वाले समय में इसी से तो छत्तीसगढ़ का विकास होना है। इस प्रदेश में इस बजट में एक प्रावधान और किया गया है कि कोदो, कुटकी और रागी का भी समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा और समर्थन मूल्य में उसकी खरीदी करने का भी निर्णय इस सरकार ने इस बजट के माध्यम से किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमने इस बजट के माध्यम से किया है। बोधघाट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं। जहां-जहां, जिन-जिन नदियों में पानी है उन नदियों में हम मेगा लिफ्ट एरीगेशन के सिस्टम को आगे डेव्हलप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब मैं कृषि के विकास की बात कर रहा हूं तो कुछ आंकड़े बताना भी बहुत आवश्यक है। हमने कहा न कि पिछली सरकार में हमारे किसानों की जोत सीमा कम हो रही थी, जमीनें बिक रहीं थीं, किसान कम हो रहे थे, उत्पादन कम हो रहा था और सौभाग्य देखिए कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने केवल 2 वर्षों में किया। एक साल पूरा कोरोना में निकल गया। केवल एक साल में बजट में इतने सारे काम किए तो छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में जो विकास की संभावनाएं हो सकती हैं मैं आपके सामने थोड़े आंकड़े पढ़कर सुनाता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप खड़े रहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप कृपया 10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। आपको पूरा 10 मिनट का समय दिया जा रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसा निर्देश देंगे। धान का रकबा वर्ष 2019 में 39 लाख, 95 हजार हेक्टेयर था यह वर्ष 2020 में 40 लाख 39 हजार हेक्टयर हुआ। यह सरकार बनने के बाद, एक साल में 1.10 की वृद्धि हुई। मक्के का रकबा, उत्पादन भी बता देता हूँ। वर्ष 2019 में 116 लाख मीट्रिक टन धान का जो उत्पादन हुआ और वर्ष 2020 में 132 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। इसमें लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई उसी प्रकार दलहन में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई, रकबे में भी वृद्धि और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार मक्का में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, दूसरा मैं रबी में बताना चाहता हूँ कि जो रबी में धान का रकबा तो कम हुआ, गेहूं और मक्का का रकबा इसमें वृद्धि हुई, वर्ष 2019 और वर्ष वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में भी वृद्धि हुई। जो आदान सामग्री प्रदान की गई, उसके बारे में भी थोड़ा आंकड़े बताना चाहता हूँ। कृषि का विकास इसी पर आधारित है। पहला बीज, खरीफ में 8 लाख 40 हजार 710 क्विंटल बीज हमने प्रदान किया था और इस बार 8 लाख 97 हजार, इसमें 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फर्टीलाईज़र में 6.43, 8 लाख 87 हजार मीट्रिक टन का फर्टीलाईजर वर्ष 2019 में 9 लाख, 44 हजार दिया गया था। उसी प्रकार एग्रीकल्चर जो लोन है शार्ट टर्म लोन और के.सी.सी. के माध्यम से जो किसानों को देते हैं। यह वर्ष 2019 में 3 हजार 981 करोड़ रूपया दिया गया था और वर्ष 2020 में 4 हजार, 495 करोड़ रूपये दिया गया। कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़ ने केवल दो वर्षों में कृषि के क्षेत्र के किसानों ने खाद भी ज्यादा लिया, ऋण भी ज्यादा लिया, रकबा भी बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा। कृषि के क्षेत्र में यही सफलता है और उसके बाद जब खरीदी की बात आयी तो केन्द्र सरकार से जिस प्रकार से हमारी बातें चल रही हैं आप उसको महसूस कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लगभग एक साल का कोविड काल गुजरा। उसमें किसानों को हम कितनी मदद दे पायें। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। पिछले साल धान की खरीदी में लगभग 17

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हजार, 228 करोड़ रूपये किसानों को हस्तांतरित किये गये थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 4 हजार, 511 करोड़ रूपये दिया गया। गन्ना उत्पादक किसानों को 390 करोड़ रूपये मिला। गोधन न्याय योजना में 80 करोड़ रूपये, फसल बीमा योजना में 1 हजार 292 करोड़ रूपये, दुग्ध उत्पादक किसानों को 55 करोड़ रूपये मिला। यह कोविड काल में 23 हजार 555 करोड़ रूपये हम लोगों ने किसानों के खाते में हस्तांतरित किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नकली खाद और बीज के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। इन 2 सालों में लगभग जितनी कार्यवाही की गई, पहले कभी नहीं की गई। मैं उसके आंकड़े और संख्या ज्यादा विस्तारित नहीं करना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ा और किसानों की संख्या भी बढ़ी। हर्टीकल्चर में भी पिछले साल की तुलना में लगभग हमारे बजट में वृद्धि हुई है उद्यानिकी फसलों का भी रकबा पहले उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 2.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 8.61 लाख हेक्टेयर हुआ है अर्थात् इसकी वृद्धि काफी अप्रत्याशित है और उत्पादन भी 17.57 लाख मीट्रिक टन जो था वह बढ़ करके लगभग 108.98 लाख मेट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार जो योजनायें हम संचालित कर रहे हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुईं। नरवा का आशय वॉटर कंजरवेशन का पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। गरूवा और घुरूवा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। गोठान के बारे में, गोधन न्याय योजना के बारे में काफी कुछ चर्चाएं होती हैं। विभाग के द्वारा लगातार इस प्रकार से जो काम किये जा रहे हैं गोठान और गोधन न्याय योजना के बारे में एक संक्षिप्त सी बात कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायते हैं। लगभग 9 हजार गौठानें निर्माणाधीन हैं, 9400 स्वीकृत गोठानों में से 5400 गोठान लगभग बन चुके हैं। 42 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है। 80 करोड़ 42 लाख का भुगतान गोपालकों को किया जा चुका है। लगभग 95,680 क्विंटल कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है। इसमें से 44,368 क्विंटल जो वर्मी कम्पोस्ट है, इसको बेचा जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, गोठान में 2-3 बाते हैं। हमने इस बजट में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की बात की है। ग्रामीण क्षेत्र में हम गोठान में एक एकड़ जमीन सुरक्षित रखकर वहां मल्टी यूटीलिटी सेंटर बनायेंगे। महिला उद्यमियों को जो छोटी-छोटी सेल्फ हेल्प ग्रूप (S.H.G.) की महिलायें हैं, उनको उससे रोजगार से जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग साढ़े 6 से 7 हजार महिला समूह अब गोठानों में काम करने लग गये हैं। एक महिला समूह में अगर उसमें 10 प्रतिनिधि महिला सदस्य मानेंगे तो 60 हजार से लेकर 75 हजार महिलाओं को सीधा गोठान के माध्यम से काम मिलना प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ में चिराग की परियोजना स्वीकृत हुई है। लगभग 1 हजार 738 करोड़ का 25 विकासखंडों में इस परियोजना के माध्यम से बस्तर संभाग के बस्तर, बीजापुर, भोपालपट्नम, भैरमगढ़, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण, चरामा, नरहरपुर, बड़ेराजपुर, माकड़ी, नारायणपुर, छिंदगढ़, सुकमा तथा सरगुजा संभाग के भरतपुर सोनहत, कुसमी, शंकरगढ़, प्रतापपुर,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ओढ़गी, लुण्ड्रा, मैनपाट, भनोरा, पत्थलगांव तथा मुंगेली को चिराग परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने शामिल किया है। यह राशि लगभग प्राप्त हो गई है। इसका कार्य वहां के किसानों का और विशेष रूप से एस.टी.,एस.सी. के क्षेत्र में इसलिए लिया गया है कि उनकी माल हालत और उनके जीवन का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सके।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न स्थानों पर जो दौरा किये। उन्होंने कुछ महाविद्यालयों की घोषणा की थी। पहले जो घोषणा हुई थी, जैसे अभी धर्मजीत भैया चिंता कर रहे थे। यह सारे महाविद्यालय जो प्रारंभ हो गये हैं उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोतबा जिला जशपुर, चिरमिरी जिला कोरिया, रामानुजगंज जिला बलरामपुर, सीतापुर जिला अंबिकापुर, मरवाही जिला गौरेला पेण्ड्रा, सांकरा जिला दुर्ग मे 6 उद्यानिकी नये महाविद्यालयों की उन्होंने जो घोषणायें की हैं। आने वाले समय में इन महाविद्यालयों को प्रारंभ करेंगे। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे सुझाव दिया था कि वह अपनी विधानसभा में कहीं पर जमीन सुरक्षित रखे हैं, जैसे धर्मजीत भैया ने भाषण दिया था। जब भी उनका आग्रह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुचाऊंगा और उसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग के बारे में भी कहना चाहता हूं। हम लोगों ने यह तय किया है कि आने वाले समय में राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण का हम नया केन्द्र स्थापित करेंगे। मध्यप्रदेश में लोग बुधनी जाते थे, ट्रेक्टर ट्रेनिंग जैसी बातें होती थीं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसको हम लोग शुरूआत करेंगे। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में अभी जो चेम्स की प्रणाली लागू है, थर्ड पार्टी inspection होने के कारण बहुत किसानों को आदान सामग्री में विलंब हो जाता है। इसके सुधार करके हम लोग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को खत्म करके अपने विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा ही इसका इंस्पेक्शन करायेंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मण्डी बोर्ड के बारे में 3-4 शब्द कहना चाहूंगा कि जितने प्राथमिक सहकारी समितियों में चबूतरे का निर्माण हुआ है उनमें सबमें शेड के निर्माण करने का हम लोगों ने प्लान किया है और उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है । (मेजों की थपथपाहट) प्रत्येक सहकारी समिति में किसान कुटीर बनाया जायेगा ताकि किसान जब धान बेचने आयेगा या ऋण लेने आयेगा तो उनके बैठने की व्यवस्था, उसके पेयजल की व्यवस्था, उसके लिये हवा और पंखे की व्यवस्था और उसके लिये आराम और टायलेट जैसी व्यवस्था प्रत्येक प्राईमरी सोसायटी में मण्डी बोर्ड के माध्यम से करेंगे । (मेजों की थपथपाहट) यह दोनों बाते हैं और जो सी-मार्ट की स्थापना है । मण्डी बोर्ड में हमारी बहुत सारी जमीनें अभी बहुत अच्छी जगह में है उसका उपयोग करेंगे, अभी तत्काल हम सी-मार्ट शुरू करना चाहते हैं । उसमें छत्तीसगढ़ के जितने उत्पाद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बजट भाषण में कहा है कि दिल्ली में भी हम सी-मार्ट बनायेंगे, छत्तीसगढ़ के उत्पाद को हम उसमें जारी करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में हैण्लूम के काम और बस्तर में जितने काम होते हैं, माईनर फॉरेस्ट प्रोडयूज के आधार पर हमारे गौठान की समितियां जो काम करती हैं, एस.एच.जी. की महिलायें जो काम करती हैं, बिहान की जो महिलायें काम करती हैं, सारे उत्पादों के लिये हमारा यह सी-मार्ट होगा । पशुधन विकास विभाग में भी पिछले साल की तुलना में हमारा बजट बढ़ा है और नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी और गौठान और गौधन न्याय की चर्चा होती है । हम पूरे इस विभाग में सुदृढ़ीकरण का काम, वैक्सीनेशन का काम, ए.आई. करने का काम, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखने का काम और आने वाले समय में एस्टेबलिसमेंट की जो कमियां हैं उसको भी दूर करने का काम इसमें हम लोग करना चाहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली पालन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हमने कृषि का दर्जा देने का निर्णय लिया । बजट प्रावधान भी पिछले साल की तुलना में 27.34 प्रतिशत अधिक है । राज्य मछली बीज उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है और छत्तीसगढ़ के किसानों में एक नया केचकल्चर की जो अभी शुरूआत हुई है । सारे बांधों में, सारे डेम में इसका हम विस्तार करना चाहते हैं। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ का भी काम है, डेयरी विकास की योजना सुबह प्रश्नों में उत्तर में आया । उसके साथ-साथ वहां दो नये संयंत्र पाउडर बनाने का, उसकी प्रोसेसिंग करने का हम लोगों ने स्वीकृति जारी की है । हमारी जो प्राईमरी समितियां हैं, उसका भी विस्तार किया है । जब पहले दिन यह सरकार बनी थी, किसानों के 89 डेज का पेमेंट बकाया हुआ करता था, आज यह पेमेंट केवल एक सप्ताह का बचा हुआ है तो क्रमश: यह क्रम जारी है तो यह कृषि, पशुपालन, मछली पालन विभाग की कुछ बातें हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जलसंसाधन विभाग की थोड़ी बातें करूंगा।

समय :
2:57 बजे (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का सदन में प्रवेश)

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, 3.00 बजे से अशासकीय संकल्प लेना पड़ेगा । या तो आप उसके बाद चर्चा करें या समाप्त कर दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा तो हो जाए । मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- कर लीजिये न, जल्दी कर लीजिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जितनी स्पीड से कह रहे हैं मैं उससे भी ज्यादा जल्दी से कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अशासकीय संकल्प को सबसे आखिरी में ले लीजिए, पंरपरा है ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन सहमत होगा तब की बात है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान मांगों पर चर्चा होती है तो कभी-कभी ऐसा होता है । आसंदी से आग्रह है कि पूरी मांगों के बाद अशासकीय संकल्प, चूंकि आखिरी दो घंटे होते हैं, 3.00 बजे नहीं होता है, आखिरी दो घंटे होते हैं, उसको देख लीजियेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि संसदीय कार्य विभाग भी मेरे पास है । संसदीय कार्यविभाग की मांगों को मैंने दिया है, पिछले एक साल कोरोना होने के कारण संसदीय कार्यविभाग के कुछ काम शेष रह गए हैं, माननीय सदस्यों के सम्मान की जितनी बातें थीं, सुविधाओं की जितनी बातें थीं उसको तो इम्प्लीमेंट किया गया लेकिन जो परिभ्रमण का बजट होता था, आपने ही स्वीकृति दी थी, विदेश तक जाने की बात हुई थी लेकिन कोरोना आने के कारण पिछले वर्ष भर न परिभ्रमण का काम हो पाया, न बड़े सेमिनार जैसी कोई बातें हुई । प्रकाशन जो होना था वह हो गया लेकिन आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करें कि कोरोना ठीक हो जाये तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, बोधघाट परियोजना के बारे में काफी चर्चा हुई, हमने निर्णय लिया है कि बोधघाट परियोजना के लिये पृथक से चीफ इंजीनियर का कार्यालय जगदलपुर...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा है और नियम है कि पिछले दो-तीन दिनों से यह सदन नियम, कायदे और कानून से चलने लगा है इसलिए अंतिम ढाई घंटे अशासकीय काम होना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अंतिम ढाई घंटे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पांचवी विधान सभा में एक दिन भी अशासकीय काम नहीं हुआ है । आज 3.00 बजे गया और 3 बजे अशासकीय काम प्रारंभ हो जाना चाहिए । अगर यह नियम हम सब लोगों के लिए है तो मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लिए भी यह नियम लागू होना चाहिए । हमारा आपसे आग्रह है कि आप अशासकीय कार्य प्रारंभ करें ।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम 4 की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अशासकीय संकल्प का कार्य लिया जाएगा । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री रविन्द्र चौबे :- आसंदी की व्यवस्था के बाद अब क्या बचता है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जो कार्य चल रहा है उसे पूरा कर लिया जाए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चूंकि अंतिम ढाई घंटे इसके लिए हैं और अभी सदन का समय बढ़ाया नहीं गया है । जब 5.30 बजे तक का समय है और अभी समय नहीं बढ़ाया गया है तो ऐसे में अंतिम ढाई घंटे शुरू हो चुके हैं । 3 बजे से साढ़े पांच बजे तक । जब यहां पर नियमों की बात हो रही है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, जो अधूरा कार्य है उसे पूरा होने दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- नियमों से ही चल रहा है, नियमों से अलग नहीं है । एक कार्यपूरा करा लिया जाय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज सबेरे ही आपने आसंदी से निर्देश जारी किया है कि अब सदन पूरी तरह से नियमों से चलेगा और आपने प्रश्नकाल में दो प्रश्न से ज्यादा किसी को पूछने नहीं दिया । आपने नियमों का कड़ाई से पालन कराया । हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो नियम है उसके तहत अंतिम ढाई घंटे अशासकीय संकल्प रहते हैं तो आपको अशासकीय कार्य कराना चाहिए । पांचवी विधान सभा में एक भी दिन अशासकीय कार्य नहीं हुआ है । इसको आप सोमवार तक के लिए स्थगित कर दें और अशासकीय संकल्प पर चर्चा प्रारंभ कराइए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है । शर्मा जी, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है । अध्यक्ष जी के अधिकारों का हनन न किया जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो केवल आपने सुबह जो व्यवस्था दी है उसी पर बात कह रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जो काम चल रहा था उसे तो पूरा होने दीजिए, वह अधूरा कैसे रहेगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सदन नियम परम्पराओं से चलता है, आसंदी से जो व्यवस्था आ गई है, उसको चुनौती न दी जाए । हम सभी सदस्यों को अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती देने का अधिकार नहीं होता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने हाऊस ऑफ कॉमन्स को एडॉप्ट किया है और हाऊस ऑफ कॉमन्स में कोई नियम नहीं है, वह परम्पराओं से चलता है । हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि पहली बार इस विधान सभा में कहा गया कि नियमों से विधान सभा चलेगी जबकि कभी नियमों से विधान सभा नहीं चल सकती, परम्पराओं से चलती है । अगर विधान सभा नियमों से ही चलनी है तो अंतिम ढाई घंटा अशासकीय कार्य होता है, आज अशासकीय दिवस है तो यह कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए । या तो आप कहें कि परम्पराओं से चलेगी तो हमको कोई आपत्ति नहीं है । परंतु आपने कहा कि नियमों से चलेगी जब नियमों से ही चलेगी तो अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य होने चाहिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष के दिये गये फैसले को चुनौती देना उचित नहीं होगा और यह परम्पराओं का खुले आम उल्लंघन होगा ।

श्री कवासी लखमा :- विधान सभा अध्यक्ष के आदेश से चलती है, न इधर से चलेगी, न उधर से चलेगी । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आसंदी पर लगातार आक्षेप हो रहा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- व्यवधान न किया जाए, अध्यक्ष के आदेश को चुनौती न दी जाए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, अगर हम चाहें तो अशासकीय कार्यों का भी बहिष्कार कर सकते हैं । अगर 14 लोगों के विपक्ष को दबाकर आप सदन चलाना चाहते हैं । अगर यह सरकार 14 लोगों के विपक्ष को दबाकर सदन चलाना चाहती है, अगर आपके पास इतना बहुमत है ..(व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- एक बार निर्णय हो गया । आसंदी ने कर दिया निर्णय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप 70 के बहुमत के आधार पर विपक्ष को दबाना चाहते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई दबाना नहीं चाहता । (व्यवधान) आप भागते क्यों हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब आप क्यों जवाब दे रहे हैं ? भाग आप रहे हैं, हम नहीं भाग रहे हैं । आपमें हिम्मत नहीं है, अगर आपमें हिम्मत होती तो बोलते कि अभी विपक्ष नहीं है । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आसंदी पर लगातार आक्षेप ..। जब मर्जी तब आप भाग जाते हैं। जब मर्जी आये तब भाग रहे हो। जबर्दस्ती भाग रहे हैं। (व्यवधान) यह बिल्कुल गलत परंपरा है। आसंदी से जवाब-तलब करेंगे। सवाल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप आसंदी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं। पहले चर्चा में तो भाग लीजिए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ये लोग चर्चा से लगातार भाग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हम चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ये लगातार भाग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आज सबेरे ही आपने व्यवस्था की है। नियमों से सदन चलेगा । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- क्यों नहीं चलायेंगे, बिल्कुल चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आपको भाग नहीं लेना है तो क्यों नहीं चलायेंगे। बिल्कुल चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हम लोग बिल्कुल चलायेंगे। चलायेंगे और बिल्कुल चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- है हमारा बहुमत, क्यों नहीं चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हम बिल्कुल चलायेंगे। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या यह पॉसिबल है? क्या यह पॉसिबल है? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- बहुमत है तो है। बिल्कुल चलायेंगे। है हमारा बहुमत। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(3.06 बजे से 3.30 तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
3:30 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग कहां-कहां से भागकर आ रहे हैं ।

रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण लगभग समाप्त हो गया । मेरी मांगों को आप पारित कराएं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देख लिया । विपक्ष के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है । संसदीय कार्यमंत्री जी, आप देख लीजिए कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए । मेरी व्यवस्था आनी चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, हमारी व्यवस्था आनी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन परम्पराओं और नियमों से अलग जा रहा है और सदन में ही आसंदी के नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है। इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
3:31 बजे **<u>बहिर्गमन</u>**

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.)

<u>वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28, 13, 14, 54, 23, 45, 75 एवं 57 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	-	28	राज्य विधान मण्डल के लिये- सत्तहर करोड़, उनचास लाख, तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	13	कृषि के लिये- चार हजार छः सौ चार करोड़ तिरपन लाख, अट्ठानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ तिहत्तर करोड़, बयासी लाख, उनतालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	16	मछली पालन के लिये - बयासी करोड़, अड़तीस लाख, चालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यसय के लिये- दो सौ पचपन करोड़ रूपए,
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग के लिये- एक हजार एक सौ उनतालीस करोड़, सैंतालीस लाख, अट्ठावन हजार रूपये,
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- चार सौ तिरपन करोड़, अट्ठानबे लाख, छत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये- छः सौ निन्यानबे करोड़, छः लाख रूपये तथा
मांग संख्या	-	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये- सात करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2)	**मांग संख्या**	**29**	**न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन**
	मांग संख्या	**36**	**परिवहन**
	मांग संख्या	**21**	**आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**10**	**वन**

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या	-	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए-चार सौ अट्ठासी करोड़,पैंतालीस लाख, छियानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	36	परिवहन के लिए-छियानबे करोड़, तीन लाख, पांच हजार रूपये,
मांग संख्या	-	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए-पांच सौ छियालीस करोड़, चौवन लाख, सत्तानबे हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	10	वन के लिए-एक हजार सौत सौ चौरासी करोड़, इक्वायन लाख, तेईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या-29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए

निरंक

मांग संख्या-36

परिवहन के लिए

निरंक

मांग संख्या - 21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये

निरंक

मांग संख्या - 10

वन के लिये

निरंक

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए हैं। अत: अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हाने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए - चार सौ अट्ठासी करोड़, पैंतालीस लाख, छियानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 36 परिवहन के लिए - छियानबे करोड़, तीन लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या - 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए-पांच सौ छियालीस करोड़, चौवन लाख, सत्तानबे हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 10 वन के लिए - एक हजार सौत सौ चौरासी करोड़, इक्वायन लाख, तेईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथापहट)

(3) मांग संख्या - 39 खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभौकता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो हजार तीन सौ सत्तावन करोड, छः लाख, तिरानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये - इक्यावन करोड़ उनसठ लाख, तिरानबे हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये - बावन करोड, सत्तर लाख, अस्सी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

<u>मांग संख्या - 39</u>

<u>खाद्य, नागरिक आपूत्रि तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये</u>

निरंक

<u>मांग संख्या - 26</u>

<u>संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए</u>

निरंक

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए हैं। अत: अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभौकता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो हजार तीन सौ सत्तावन करोड, छ: लाख, तिरानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये- इक्यावन करोड़, उनसठ लाख, तिरानबे हजार रूपये, तथा

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए बावन करोड़, सत्तर लाख, अस्सी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, आपको बधाई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>अशासकीय संकल्प</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में दर्ज अशासकीय संकल्प आगामी शुक्रवार को लिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 8 मार्च, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 3 बजकर 41 मिनट पर विधान सभा सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2021 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रमुख सचिव

दिनांक : 05 मार्च, 2021

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं